लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खंड ६, १९५४

(१६ नवम्बर से १३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

555L.S.D.

अंक १—मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४७, ४९ से ५२, ५६, ५८ से ६२, ६४, ६५, ६८ से ७०, ७२, ७३, ७५, ७८, ७९, ८१ से ८६, ५५ और ६३ १–४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से ४१, ४३ से ४६, ५३, ५४, ५७, ६६, ६७, ७१, ७४, ७६, ८० और ८७ . . . ४१–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १, २, ४ से १०, १२ से ७७, ७९ से ८८, ९० से ९६ . . . . . ७५–१३८

अंक २—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८८, ८९, ९१, ९५, ९६, ९८, ९९, १०१ से १०६, १०८, ११२ से ११४, ११६, ११८, १२०, १२३, १२५, १२७, १२८, १३१, १३३, १३४ . . . . . १३९—८१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९०, ९२, ९४, १०७, १०९, ११०, ११५, १२१, १२२, १२४, १२६, १३०, १३२ . . . . . १८१—८९

अतारांकित प्रश्न संख्या ९७ से ११०, ११२ से १४० . . . १८९—२२०

अंक ३—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३५, १३८, १३९, १४१, १४२, १४५, १४७ से १४९, १५२ से १५७, १५९, १६०, १६४ से १६६, १६९ से १७१, १७४, १७५, १३६ और १४४ . . . . . २२१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३७, १४०, १४३, १४६, १५०, १५१, १६१ से १६३, १६७, १६८, १७३ और १७६ . . . . . २५४—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १७४ . . . . २६१—७२

अंक ४—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७७, १८० से १८२, १८४, १८७ से १८९, १९१ से १९४, १९६, १९७, २०० से २०६, २१०, २१०ए, २१२ से २१४, २१६, २१८, २२२ से २२५, १७८ और १८५ . स्तम्भ २९३—३४१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १७९, १८३, १८६, १९०, १९५, १९८, १९९, २०८, २०९, २११, २१५, २१९ से २२१ . . . ३४१—४८

अतारांकित प्रश्न संख्या १७५ से २२६ . . . ३४८—९४

अंक ५—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३, ११७, २३१ से २३३, २३६, २३९, २४१, २४२, २४४, २४५, २४९ से २५१, २५३, २५५, २५८ से २६२, २६५, २६८ और २६९ . . . . . ३९५—४३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . ४३२—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२९, २२६, २२८ से २३०, २३४, २३५, २३७, २३८, २४०, २४३, २४७, २४८, २५२, २५४, २५६, २५७, २६४, २६६, २६७, २७० और २७१ . . . . . ४३८—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२७ से २५१ . . . . ४५०—६६

अंक ६—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७९ **से** २८२, २८५, २८६, २९० से २९२, ३००, ३०१, ३०४, ३०५, २७४, २७७, २८३ **और** २९७ . . . . ४६७—९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७५, २७६, २७८, २८७ से २८९, २९३ **से** २९६, २९८, २९९, ३०२ **और** ३०३ . ४९१—५०१

अतारांकित प्रश्न संख्या २५२ **से** २६६, २६८ **से** २७६ . . ५०१—१४

अंक ७—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३०६, ३०८, ३०९, ३१२, ३१५ से ३१८, ३२२ से ३२५, ३२७, ३३०, ३३४ से ३४४, ३४६ से ३५० और ३९४ . . ५१५—६२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ . . . . . ५६२—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०७, २१७, ३०७, ३१० ३११, ३१३, ३२०, ३२१, ३२६, ३२८, ३२९, ३३१ से ३३३ और ३४५ . . . . ५६६—७६

अतारांकित प्रश्न संख्या २८० से ३२४ . . . . ५७६—६१२

अंक ८—गुरुवार, २५ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५२, ३५३, ३९३, ३५५—३५७, ३६०, ३६२ से ३७६ ३८१, ३८२, ३८४, ३८५, ३८७, ३९०, ३९२, ३९४ से ३९७ और ३९८ . ६१३—५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५१, ३५४, ३५८, ३५९, ३७७, ३७९, ३८०, ३८३, ३८६, ३८९ और ३९३ . . . . . ६५७—६३

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२५, ३२७ से ३५७ . . . ६६४—८८

अंक ९—शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९८, ४०० से ४०२, ४०४, ४०६ से ४०८, ४१०, ४१४, ४१६ से ४१८, ४२१, ४२४ से ४३२, ४३४, ४३५, ४०९, ४३३ और ४११ . . . . . ६८९—७२८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९९, ४०३, ४०५, ४१३, ४१५, ४२०, ४२२, ४२३, ४३६ और ४३७ . . . . ७२८—३४

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५८ से ३८७ और ३८९ . . ७३४—६२

अंक १०--सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३९ से ४४१, ४४३, ४४५, ४५१, ४५२, ४५४, ४५५, ४५७, ४५८, ४६२, ४६५, ४६७, ४६८, ४७१, ४७४, ४७५, ४७७ से ४७९, ४८१ से ४८३, ४८५, ४९९, ४८८, ४९०, ४९३, ४९४, ४९६, ४९७, ५०२ से ५०४, ४४४ और ४४७ . . ७६३—८११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३८, ४४२, ४४६, ४४८ से ४५०, ४५३, ४५६, ४५९ से ४६१, ४६३, ४६६, ४६९, ४७०, ४७२, ४७३, ४७६, ४८०, ४८४, ४८७, ४८९, ४९१, ४९२, ४९५, ४९८, ५००, ५०१ और ५०५ ८११--२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९० से ४०९, ४११ से ४२६ . . . ८२८—५६

अंक ११—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ८५७

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०८ से ५११, ५१३, ५१८, ५२० से ५२३, ५२७, ५२९ से ५३४, ५३७, ५४१ से ५४६, ५५०, ५५२, ५५३ . . ८५७—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०७, ५१२, ५१४ से ५१७, ५१९, ५२४, ५२५, ५२८, ५३५, ५३६, ५३८ से ५४०, ५४७, ५४८, ५५४ से ५६५ . . ८९८—९१६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४४८, ४५० से ४५४ . . ९१६—३६

अंक १२—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६९ से ५७४, ५७६, ५७७, ५७९, ५८०, ५८३ से ५८५, ५८७ से ५८९, ५९६, ५९७, ५९९, ६००, ६०२, ६०३, ६०५ से ६०७, ६११ से ६१६ और ६२० . . ९३७—८४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६६ से ५६८, ५७५, ५७८, ५८१, ५८२, ५८६, ५९० से ५९५, ५९८, ६०१, ६०४, ६०८ से ६१०, ६१७ से ६१९ और ६२१ . . . . . ९८४—१००

अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४८३ . . . . १००१—२०

अक १३ –गुरुवार, २ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—. स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ६२३ से ६२७, ६३२, ६३५, ६३६, ६३८, ६४०, ६४१, ६४४, ६४६ से ६४९, ६५२ से ६५५, ६५९ से ६६३, ६७९, ६६४ और ६६५ . . . . . १०२१—६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२२, ६२८ से ६३१, ६३३, ६३४, ६३६, ६३९, ६४२ ६४३, ६४५, ६५०, ६५१, ६५६ से ६५८, ६६६ से ६७८, ६८० से ६८६ १०६५—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४८४ से ५२६ . . . १०८६–११२०

अंक १४—शुक्रवार, ३ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८७ से ६८९, ६९२, ६९५, ६९७, ६९९, ७०२, ७०३, ७०५, ७०८ से ७१२, ७१४ से ७१७, ७२१ से ७२६, ७२९, ७३२, ७३६, ७३८ और ७४० . . . . . ११२१—६६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . . ११६६—६९

प्रश्नों के लिखित उत्तर:—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९०, ६९१, ६९३, ६९४, ६९८, ७००, ७०१, ७०४, ७०६, ७०७, ७१३, ७१८ से ७२०, ७२७, ७२८, ७३०, ७३३, ७३४, ७३७, ७४२ से ७४७ ७३९, ... ११६९—८६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५५३ . . . . ११८६—१२०४

अंक १५—सोमवार, ६ दिसम्बर १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७५२, ७५६, ७५७, ७५९ से ७६३, ७६५ से ७७२, ७७५ से ७८०, ७८२ से ७८५, ७८७ से ७८९, ७९२ से ७९५ . . १२०५—५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ से ७५०, ७५३ से ७५५, ७५८, ७६४, ७७३, ७७४, ७८६, ७९०, ७९१, ७९६, ७९७, ७९९ से ८०७ . . . १२५५—६९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ५७७ . . . . १२६९—८४

अंक १६—मंगलवार, ७ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१०, ८११, ८१३, ८१४, ८१६ से ८२५, ८२७, ८२९ से ८३३, ८३६, ८३७, ८३९, ८४०, ८४२, ८४४, ८४६ से ८४८ और ८५० से ८५४ . . . . . १२८५—१३३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . १३३५—३७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०९, ८१२, ८१५, ८२६, ८२८, ८३४, ८३५, ८३८, ८४१, ८५५ से ८६८ . . . . . १३३७—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ५७८ से ६२७ . . . . १३२०—८४

अंक १७—बुधवार, ८ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ८६९, ८७१, ८७४, ८७६, ८७८, ८७९, ८८१, ८८२, ८८४ से ८८६, ८९०, ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९९, ९००, ९०२ से ९०८, ९१०, ९१४ से ९२० . . . . . १३८५—१४३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८७०, ८७२, ८७३, ८७५, ८७७, ८८०, ८८३, ८८७, ८८९, ८९२, ८९५, ८९७, ८९८, ९०१, ९०९, ९११ से ९१३, ९२१ से ९२७, ९२९ से ९३१, ९३३ से ९३७, ११९ . . . . १४३३—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६४६ . . . . १४५२—६६

अंक १८—गुरुवार, ९ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३८, ९४० से ९५०, ९५२, ९५३, ९५५, ९५६, ९६० से ९६२, ९७१, ९७२, ९७५ से ९७७, ९८९, ९७८, ९७९, ९८२, ९८३ और ९८५ से ९८७ . . . . . १४६७—१५११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९३९, ९४६, ९५१, ९५४, ९५७ से ९५९, ९६३ से ९६८, ९७३, ९७४, ९८०, ९८१, ९८४, ९८८ और ९९० से ९९५ . १५१२—२५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४७ से ६५१ और ६५३ से ६६८ . . १५२५—४२

अंक १९—शुक्रवार, १० दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९७ से १००२, १००५ से १००७, १००९, १०१२ से १०१४, १०१७, १०२१, १०२४, १०३१, १०३२, १०३४, १०३६ से १०४२, १०४४, १०४५ और १०४९ से १०५० . . . १५४३—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९९६, १००३, १००८, १०१०, १०११, १०१५, १०१६ १०१८ से १०२०, १०२२, १०२३, १०२५ से १०२७, १०२९, १०३३, १०३५, १०४३, १०४६ से १०४८ और १०५१ से १०५८ . १५८८—१६०५

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६९ से ७०३ . . . . १६०५—३०

अंक २०—सोमवार, १३ दिसम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५१, १०६१, १०६३, १०६५, १०६७, १०७१ से १०७४, १०७८, १०८१, १०८५, १०८६, १०८८, १०११, १०९३, १०९५, १०९६, १०९८, ११००, ११०२ से ११०४, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ . . . . . १६३१—७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६०, १०६२, १०६४, १०६६, १०६९, १०७०, १०७५ से १०७७, १०८९, १०८०, १०८२ से १०८४, १०८७, १०९२, १०९४, ११०१, ११०५, ११०७, १११०, ११११ . . . १६७४—८७

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०४ से ७१८ . . . . १६८८—९८

GIPD—NSH—555 LSD—3-10-55—240

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ११ बजे समवत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

जच्चा तथा शिशु कल्याण

*१७७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जच्चा तथा शिशु कल्याण केन्द्रों के लिये एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाने में कहां तक प्रगति हुई है ;

(ख) इस प्लांट के लगाने पर कितना खर्च होने का अनुमान है ;

(ग) इस प्लांट से क्या काम लिया जायगा ; और

(घ) यह कब चालू होगा ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जच्चा तथा शिशू कल्याण केन्द्रों द्वारा प्रयोग के लिये एयर कंडीशनिंग प्लांट लगाने की कोई योजना नहीं है ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या फोर्ड फाउंडेशन अथवा विश्व की अन्य किसी संस्था से भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिये सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : जी हां, १९५१ में यू० एन० आई० सी० ई० एफ० दिल्ली में चार चिकित्सालयों के लिये आधारभूत एयर कंडीशनिंग उपकरण देने को तैयार हो गई थी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या इस संबंध में व्यय होने वाला सारा धन वही संस्था दे रही थी अथवा भारत सरकार ने भी इस के लिये कुछ धन दिया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उन्होंने चार यंत्र भेजे हैं जिन की लागत लगभग ६,००० डालर होगी । ठंडा करने इत्यादि की व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इन यन्त्रों से क्या लाभ उठाया गया है ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : एयर कंडीशनिंग ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न १८० ।

श्री बी० एस० मूर्ति : प्रश्न १८४ भी इसके साथ ले लिया जाय ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इन का अलग अलग उत्तर देना ही अधिक अच्छा रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सदस्य की यही इच्छा है तो इन का उत्तर अलग अलग दे दिया जाये ।

हैदराबाद काज़ीपेट रेलगाड़ी दुर्घटना

*१८०. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा:** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सितम्बर, १९५४ में हुई हैदराबाद-काज़ीपेट एक्सप्रेस रेल समय दुर्घटना के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो हताहतों की कुल संख्या कितनी थी ; और

(ग) पीड़ितों को कुल कितना प्रतिकर दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) रेलवे के सरकारी निरीक्षक के प्रतिवेदन का प्रारूप प्राप्त हो गया है ।

(ख) (१) हत ...१३६ जहां तक ज्ञात हुआ ।

(२) आहत

अधिक . . .	१८
कम . . .	७०
कुल . . .	८८

जिन परिस्थितियों में बाढ़ के पानी में मृतकों के शव बह गये थे उन्हें ध्यान में रखते हुए मृतकों की ठीक ठीक संख्या के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ।

(ग) अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: इस रेल दुर्घटना का क्या कारण था ?

श्री शाहनवाज खां : अत्याधिक वर्षा और नदी में बाढ़ के कारण पुल के खम्भों के नीचे से मिट्टी बह गई थी जिस के कारण अन्त में वे डूब गये ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस पुल को कुल कितने दिन चलना था और उसमें से कितना समय बीत चुका था ?

श्री शाहनवाज़ खां : मेरे पास इस समय तो यह जानकारी नहीं है, किन्स पुल की अवधि पूरी नहीं हुई थी ।

श्री वीरस्वामी: जो इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी थे उनके विरुद्ध क्या कार्य-वाही की गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस दुर्घटना के लिये कोई उत्तरदायी नहीं था ।

श्री आल्तेकर : इस से पूर्व पुल का निरीक्षण कब हुआ था ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : वार्षिक निरीक्षण समयानु-सार किया गया था और सामान्य निरीक्षण लगभग एक सप्ताह पूर्व हुआ था ।

श्री रघुरामैय्या : क्या कुछ मिनट या कुछ घंटे पूर्व वहां से कोई एक्सप्रेस या कोई और गाड़ी गुज़री थी और रेल अधिकारियों को उस मार्ग के संबंध में क्या सूचना मिली थी ?

श्री शाहनवाज़ खां : इस दुर्घटना से पन्द्रह मिनट पूर्व ही इस पुल पर से कए पैसेंजर गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित गुजर गई थी ।

श्री बी० एस० मूर्ति : जब यह गिरने वाली गाड़ी गुजर रही थी क्या उस समय पटरी के ऊपर से पानी बह रहा था ?

श्री [एल० बी० शास्त्री : ऐसी बात नही थी ।

रेलवे के पुनर्वास सम्बन्धी कार्य

*१८१. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे के पुनर्वास संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करने में बाधाओं को दूर करने के लिये यदि कोई उपाय किये गये हैं, तो वे क्या हैं ; और

(ख) ऐसे शेष पुनर्वास संबंधी कार्य कौन से हैं जिन्हें आरम्भ में प्रथम पंचवर्षीय योजना में करने का इरादा था किन्तु जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही करना. पड़े ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) रेलवे के पुनर्वास संबंधी कार्यों को क्रियान्वित करने में मुख्य कठिनाई डिब्बों तथा इंजनों और इस्पात की रेलों, स्लीपरों, प्लेटों, चद्दरों इत्यादि की कमी है । तथापि देश में ही माल के डिब्बों का उत्पादन बढ़ाने तथा भारत अमरीका टेकनिकल सहायता करारों के द्वारा और सीधे भी विदेशों से रेलों और स्लीपरों का आयात करने के लिये कार्यवाही की गई है ।

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम अभी योजना के चौथे वर्ष में हैं यह नहीं कहा जा सकता कि कौन से पुनर्वास संबंधी कार्य आगे करने के लिये शेष रह जायेंगे । आशा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने से पूर्व पुनर्वास संबंधी कार्य काफी हद तक पूरे हो जायेंगे ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : हमें अमरीका से क्या सामान मिलने की संभावना है ?

श्री अलगेशन : भारत-अमरीका टेकनिकल सहकारी सहायता कार्यक्रम के अधीन चालू वितीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व लगभग ५०,००० टन रेल की पटरी और ३०,००० टन इस्पात के स्लीपर आयात किये जाने की आशा है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: रेल गाड़ियों के इंजनों, डिब्बों और माल के डिब्बों के संबंध में हम कब तक आत्म-निर्भर हो जायेंगे ?

श्री अलगेशन: सभा को वह कार्यक्रम भली प्रकार विदित है जो आयात और स्वदेशी में निर्माण के लिये बनाया गया है । हम थोड़े ही समय में कमी पूरी कर लेंगे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या हम अपने देश में इस्पात के स्लीपरों का निर्माण नहीं कर रहे हैं और क्या यह सच है कि यद्यपि बहुत से समवायों ने प्रार्थनापत्र भेजे थे, परन्तु उन्हें आर्डर नहीं दिये गये ?

श्री अलगेशन : मैं समझता हूं कि हम ने देश में बनाये जा सकने वाले सारे सामान को ले लिया है और कमी पूरी करने के लिये आर्डर दिये हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या जो इंजन हमें अमरीका से मिलते हैं वे हमें अमरीका नहीं भेजता प्रत्युत अमरीका जापान आदि दूसरे देशों को ये संविदा उपहार रूप में दे देता है या बांट देता है और हमें वे इंजन अमरीका के द्वारा मिलते हैं । हमारे इन देशों से सीधे इंजन मंगवाने में क्या बाधा है ?

श्री अलगेशन: हम सीधे भी इंजन मंगवाते हैं । परन्तु सहायता कार्यक्रम के अधीन अमरीका ये प्रबंध करता है ।

त्रावनकोर-कोचीन में जंगलों का विकास

*१८२. **श्री वी० पी० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री पंचवर्षीय योजना के १९५३-५४ के प्रगति संबंधी विवरण की कण्डिका ९८ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन विकास पर आयोजित व्यय में से, ट्रावनकोर-कोचीन राज्य द्वारा, केवल ३ प्रतिशत उपयोग किये जाने के निश्चित कारणों का पता लगा लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख)। त्रावनकोर-कोचीन राज्य से इस संबंध में पूछा गया था और अभी उन के उत्तर की प्रतीक्षा है। जानकारी मिलने पर लोक सभा को दे दी जायगी।

श्री वी० पी० नायर : योजना आयोग के प्रगति संबंधी वृतांत से पता चलता है कि सरकार ने व्यय का उपयोग न करने का यह कारण बताया है कि नये बनाये गये जंगल विभाग का अच्छी प्रकार संगठन नहीं हुआ है और आवश्यक टेकनिकल कर्मचारी वृन्द की भी कमी है। क्या सरकार को विदित है कि त्रावनकोर-कोचीन का वन विभाग भारत के वन विभागों में से सब से पुराना विभाग है और हमारे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षण-प्राप्त हैं और जिन के पास वनशास्त्र में केम्ब्रिज जैसे विदेशी विश्व-विद्यालयों की उपाधियां हैं।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे मित्र ने जो विचार प्रकट किया है मैं उसे स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। परन्तु मैं ठीक से नहीं जानता कि गलती किस की है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह विदित है कि त्रावनकोर सरकार ने केन्द्र द्वारा दी गई राशियों को न उपयोग करने के साथ ही साथ, अपने कुछ कृपापात्रों को कुछ समय के लिये वन में से वृक्षों के अधांधुंध काटने की अनुमति भी दे दी है ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रायः ऐसा राज्य सरकार के न चाहने पर भी हो जाता है। मैं नहीं समझता कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार ने अंधाधुंध वृक्ष काटने की अनुमति दे दी है।

हैदराबाद-काज़ीपेट रेलगाड़ी दुर्घटना

*१८४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २७ सितम्बर, १९५४ को जलगांव में हुई रेलगाड़ी दुर्घटना की जांच के लिये नियुक्त की गई समिति की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ख) सरकार का उक्त समिति की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) क्योंकि बंगलौर के सरकारी रेलवे निरीक्षक ने दुर्घटना की संविहित जांच की थी इस लिये जांच के हेतु कोई विभागीय समिति नियुक्त नहीं की गई थी। उसने अभी दुर्घटना का यह कारण बताया है कि यह दुर्घटना मील १७४ ५-४ पर पुल सं० ३९३ पर से गाड़ी के इंजन के गुज़र जाने के बाद पुल के टूट जाने के कारण हुई थी, पुल के टूटने का कारण बहुत बड़ी और आकस्मिक बाढ़ के कारण से बंध सं० २ के तल के नीचे से मिट्टी खिसक जाने से उस का धंस जाना था।

(ख) सरकारी निरीक्षक की सिफारिशों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी: श्रीमान्, इस गाड़ी में कितने लोग यात्रा कर रहे थे ?

श्री शाहनवाज़ खां: हम जितना ठीक से ठीक अनुमान लगा सके हैं उसके अनुसार लगभग ४०० और निश्चित रूप से ३९९ लोग ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या सब के शव मिल गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि ये प्रश्न दोहराये जा रहे हैं । उन्होंने इस बारे में उत्तर दे दिया था ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : कितने लोगों ने दावे भेजे हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : लगभग दो लाख पंद्रह हजार और कुछ रुपये के ३३ दावे आये हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम् : कुछ मिनट पूर्व माननीय मंत्री ने कहा था कि घटना की तिथि से एक सप्ताह पूर्व पुल का निरीक्षण किया गया था । क्या उस निरीक्षण के पश्चात् सम्बंधित इंजीनियर ने पुल की बनावट के स्थायित्व के संबंध में प्रमाण-पत्र दे दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार का विश्वास है कि एक सप्ताह के बीच ही पुल टूट जाने के कारण यह दुर्घटना हुई ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): जैसा मैं ने बताया वार्षिक निरीक्षण पूर्ण रूप से किया जाता है और उसके पश्चात् इंजीनियर प्रमाणपत्र दे देते हैं । जो साधारण निरीक्षण किये जाते हैं उनमें प्रायः इंजीनियर औपचारिक प्रमाणपत्र नहीं देते । परन्तु इस मामले में रेलवे इंजीनियरों की यह राय नहीं है वरन् स्वयं सरकारी निरीक्षक की यह राय है कि पुल के स्तम्भों में से एक कुछ ही मिनटों में बह गया था ।

डा० राम सुभग सिंह : माननीय सभा-सचिव ने एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि लगभग ४०० व्यक्ति मर गये हैं जबकि प्रश्न के उत्तर में .....

श्री एल० बी० शास्त्री : ३९९ लोग यात्रा कर रहे थे ।

अध्यक्ष महोदय: गाड़ी में ३९९ यात्री थे ।

डा० राम सुभग सिंह: क्या उन लोगों के सम्बंधियों द्वारा दिये गये दावों को भी स्वीकार किया जायगा जिन के शव नहीं मिले ?

श्री शाहनवाज़ खां : इसी प्रयोजन के लिये एक दावा आयुक्त नियुक्त किया गया है और वह अवश्य प्रत्येक मामले की उस के गुण दोषानुसार पूरी २ जांच करेगा ।

श्री नम्बियार: क्या पुल के टूटने के दिन केनेडियन इंजन का प्रयोग किया गया था ।

श्री शाहनवाज़ खां : डब्ल्यू० पी० इंजन का प्रयोग किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । इन सब प्रश्नों को पूछने से कोई लाभ नहीं है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बहुत भयानक बाढ़ आई थी जैसी कभी नहीं आई और उस के कारण यह दुर्घटना हुई । परन्तु सभी प्रश्नों में यह कहा जा रहा है कि कुछ उपेक्षा हुई है और इस पर इन प्रश्नों द्वारा जिरह की जा रही है । यह विवादास्पद बात को ठीक मान लेना है । यदि यह दुर्घटना थी तो बात यहीं समाप्त हो जाती है ।

श्री नम्बियार : साधारण इंजन प्रयोग नहीं किया गया था, एक और प्रकार का इंजन प्रयोग किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार हमें अनुमानतः बता सकती है कि दावों की क्षति-पूर्ति के लिये कुल कितनी राशि देनी पड़ेगी ?

श्री शाहनवाज़ खां : अभी तक बहुत थोड़े दावे आये हैं । तेईस दावे मृतकों के संबंध में हैं, बारह सम्पत्ति के बारे में और एक ऐसा दावा है जिस में कुछ विवरण नहीं दिया हुआ है । जैसा मैं ने बताया एक दावा आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है और निसंदेह यथासमय और प्रार्थना-पत्र प्राप्त होंगे ।

श्री पी० सी० बोस : क्या टूटी हुई लाइन की मरम्मत हो गई है और उसे पुनः पर्याप्त रूप से इतना सुरक्षित बनाया गया है कि वह किसी और ऐसी ही बाढ़ के प्रकोप को सह सके ?

श्री शाहनवाज़ खां : लाइन पुनः बना दी गई है, परन्तु पुल का पुनर्निर्माण हो रहा है । इस समय इसका सर्वेक्षण किया जा रहा है । पुल के ऊपर से केवल अस्थायी यातायात चलाया गया है ।

रेलवे बोर्ड

***१८७. श्री एस० सी० सिंघल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में एक और सदस्य बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी ; और

(ख) गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड पर वार्षिक स्थापना तथा अन्य व्यय क्या हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जैसा मैं ने २४ सितम्बर १९५४ को सभा में अपने वक्तव्य में कहा था, यह निश्चय किया गया था कि उन बड़ी बड़ी योजनाओं को शीघ्र बनाने और क्रियान्वित करने और वैज्ञानिक ढंग से आयोजित करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें रेलवे आगामी वर्षों में आरम्भ करेगी, रेलवे बोर्ड में एक व्यक्ति बढ़ाया जाय ।

(ख) गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड पर हुआ व्यय इस प्रकार है :

(हजारों में)

१९५१-५२ . .	३०,२६
१९५२-५३ . .	३१,८२
१९५३-५४ . .	३५,५८

श्री एस० सी० सिंघल: वर्ष १९०५ में जब रेलवे भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग विभाग के अधीन चलती थीं, तो समवायों द्वारा प्रबन्ध की जाने वाली रेलों पर सरकारी नियंत्रण रखने के लिये रेलवे बोर्ड बनाया गया था ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । उनका प्रश्न क्या है ? वे अपना प्रश्न रखें ।

श्री एस० सी० सिंघल: श्रीमान्, प्रश्न यह है ।

अध्यक्ष महोदय: वे तो कुछ इतिहास सुना रहे हैं ।

श्री एस० सी० सिंघल: इतिहास नहीं, यह केवल प्रकरण है ।

अब जबकि सब रेलें राज्य की हैं और राज्य उनका प्रबन्ध करता है और प्रशासन के हेतु उनका छः रेलवेज़ में वर्गीकरण कर दिया गया है तथा एक पूरा रेलवे मंत्रालय है तब क्या सरकार इन परिस्थितियों में रेलवे बोर्ड को समाप्त कर देना उचित नहीं समझती है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार रेलवे बोर्ड को समाप्त कर देना वांछनीय समझती है, वस्तुतः उसकी आवश्यकता ही क्या है ? यह इसका प्रश्न है ।

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मैं ऐसा नहीं समझता ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केन्द्र में और प्रदेशों में विभिन्न परामर्शदातृ समितियां बनाई गई हैं, अभी तक रेलवे बोर्ड को बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

श्री एल० बी० शास्त्री : परामर्श-दातृ समितियां और रेलवे बोर्ड दो सर्वथा भिन्न चीजें हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या ये समितियां रेलवे बोर्ड का काम नहीं कर सकतीं ?

अध्यक्ष महोदय : वे परामर्शदातृ समितियां हैं और यह एक कार्यपालक निकाय है ।

श्री एल० बी० शास्त्री : वे सर्वथा भिन्न कार्य करती हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या रेलवे बोर्ड के कार्यों में से एक रेलवे मंत्रालय को मंत्रणा देना भी है और क्या यह भी सच है कि रेलवे बोर्ड के सदस्यों में से एक को जिस ने हाल ही में अपना पद त्याग किया था, रेलवे मंत्रालय का मंत्रणाकार नियुक्त कर दिया गया है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : श्री नायर ने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है ।

अमृतसर और लाहौर के बीच रेल गाड़ियों का आना जाना

*१८८. **श्री गिडवानी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अमृतसर लाहौर रेलवे-लाइन पर दोनों स्टेशनों के बीच माल का यातायात भी आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : भारत-पाकिस्तान के बीच माल का यातायात ६-११-४९ से जारी की गई "दत्त-देय" पद्धति के आधार पर आरम्भ किया गया था और एक देश अपने सीमांत के स्टेशन तक माल का भाड़ा ले लेता है और यात्रा का शेष भाड़ा जो दूसरे देश में पड़ता है उसको देना होता है ।

श्री गिडवानी : क्या जोधपुर की ओर से यातायात आरम्भ होने की कोई सम्भावना है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : जब तक पाकिस्तान सरकार इस के लिए सहमत न हो हम इस यातायात को आरम्भ नहीं कर सकते ।

श्री गिडवानी : क्या इस संबंध में कोई वार्तालाप हुआ है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : कुछ बात-चीत तो हुई है, किन्तु इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है ।

श्री के० के० बसु : क्या पाकिस्तान में से हो कर सियालदह से उत्तरी बंगाल के साथ रेलवे संबंध पुनः स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

श्री एल० बी० शास्त्री : हमें ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं मिली है ।

चीनी के कारखानों का विस्तार

*१८९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान चीनी के कारखानों के विस्तार के लिए कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) क्या प्राप्त सारे प्रार्थना-पत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन नियुक्त की गई लाइसेंस देने वाली समिति के पास भेज दिये गये हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३ नवम्बर १९५४ तक ३० ।

(ख) जी नहीं । प्राप्त ३० प्रार्थना-पत्रों में से २६ को लाइसेंस देने वाली समिति ने पहले ही निबटा दिया है । शेष ४ उस कतिपय अनुपूरक जानकारी के मिलने पर जो संबन्धित कारखानों से मांगी गई हैं, लाइसेंस देने वाली समिति के पास भेज दिये जायेंगे ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : ये प्रार्थना-पत्र अधिकतर किस क्षेत्र से आये थे ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्वाभावतः क्योंकि ये प्रार्थना-पत्र वर्तमान चीनी के कारखानों से आये हैं अतः वे अवश्य ही उन क्षेत्रों से होंगे जिन में चीनी के कारखानों की अधिक संख्या है ।

अध्यक्ष महोदय : वे क्षेत्र जानना चाहते हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : ये उत्तर-प्रदेश और बिहार हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : लाइ-सेंस देने वाले प्राधिकारी ने उन्हें भेजे गये प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैं ने बताया हम ने उन में से कछ को स्वीकार कर लिया है और शेष पर विचार किया जा रहा है ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : उन में से कितने स्वीकार किये गये हैं और कितने अस्वीकृत कर दिये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं, तीस में से छब्बीस को लाइसेंस देने वाली समिति पहले ही निबटा चुकी है और शेष चार बाकी हैं ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाड़क : कैसे निबटा दिये गये हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं उन प्रार्थना-पत्रों की सूची दे सकता हूं जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है ।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में पेरने के लिये गन्ने की कमी है क्या कारखानों को विस्तार देने की अनुमति देना उचित है ?

डा० पी० एस० देशमुख : केवल वहीं अनुमति दी जायेगी जहां हम समझते हैं कि गन्ना पर्याप्त मिल सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

डाकखाने का बचत बैंक

*१९१. **श्री डाभी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकखाने का बचत बैंक व्यक्तियों द्वारा जमा की गई धन राशि पर ग्राम पंचायतों तथा इसी प्रकार के अन्य निकायों द्वारा जमा की गई धन-राशि की अपेक्षा अधिक ब्याज देता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस दोष को दूर करने का विचार है, ताकि

ग्राम पंचायत तथा इसी प्रकार के अन्य निकाय डाकखाने के बचत बैंक में अपना धन जमा करने को प्रोत्साहित हो सकें ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

श्री डाभी : ग्राम पंचायत जैसे छोटे छोटे निकायों के लिए ब्याज की निम्न दर रखने के क्या कारण हैं ?

श्री राज बहादुर : वस्तुतः ये लोक लेखे चालू लेखे होते हैं और व्यापारिक बैंक भी सामान्यतः ऐसे लेखों पर कोई ब्याज नहीं देते हैं ; और यदि हम इन लेखों पर ब्याज दें, तो व्यापारिक बैंक भी यह आपत्ति कर सकते हैं क्योंकि यह अनुचित प्रतियोगिता होगी ।

श्री डाभी : ब्याज की दर कौन तय करता है ?

श्री राज बहादुर : समय समय पर इस की जांच होती रहती है, और १९५० में हमने डाकखाने के बचत बैंक की एक जांच समिति नियुक्त की थी । उसी समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्याज की वर्तमान दरें नियत की गई थीं ।

श्री आल्तेकर : क्या ग्राम पंचायतों को साधारण व्यक्ति की अपेक्षा इन बैंकों में पैसा जमा करने के संबंध में अधिक सुविधाएं मिली हुई हैं ?

श्री राज बहादुर : नहीं, श्रीमान् ब्याज के दर के संबंध में उल्टी बात है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि व्यापारिक बैंक भी न्यूनतम राशियों के चालू लेखों पर ब्याज देते हैं ?

श्री राज बहादुर : जहां तक मुझे मालूम है बैंक चालू लेखों पर ब्याज नहीं देते ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं ने प्रश्न पूरा नहीं किया है । अतः क्या वे इन परिस्थितियों में सार्वजनिक लेखों पर ब्याज की दर में वृद्धि करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे ?

श्री राज बहादुर : इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है और यह वांछनीय नहीं समझा गया ।

फर्गुसन का औजार

*१९२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धान की खेती के लिए निर्मित फर्गुसन के एक विशेष औजार को प्रयोग में लाने के लिए मेसर्स एस्कोर्ट (एजेन्ट्स) लि० ने १ अक्तूबर १९५४ को भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में एक प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस यंत्र का ग्रामों में प्रयोग किया जा सकता है ; और

(ग) धान के प्रतिरोपण के लिए इस औजार से एक घंटे में कितने एकड़ भूमि तैयार की जा सकती है और उस पर कितना व्यय होता है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) ३०-९-१९५४ को मैसर्स मस्सी हैरिस फर्गुसन कम्पनी, बंगलौर ने भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के खेत में धान बोने के यंत्र का प्रदर्शन किया था ।

(ख) इस का प्रयोग किया जा सकता है ।

(ग) इस के बनाने वाले यह दावा करते हैं कि इस से २½ से ३ घंटे तक के समय में एक एकड़ भूमि तैयार हो सकती है । लागत का अनुमान नहीं लगाया गया क्योंकि प्रदर्शन बहुत थोड़े समय के लिए ही किया गया था ।

श्री विभूति मिश्र : इस औजार की कीमत क्या होगी ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी उन्होंने कीमत मुकर्रर नहीं की है ; यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल तौर पर किया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार ने कभी यह भी सोचा है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जहां पैडी की ज्यादा खेती है वहां इस का इस्तेमाल अच्छी तरह से हो सकेगा या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी हम ने कुछ तय नहीं किया है, यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डिमान्स्ट्रेशन था । इस के बाद सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि इसकी कीमत क्या होगी और वह कितना यूसफुल हो सकेगा ।

आंध्र राज्य को ऋण

*१९३. **श्री सी० आर० चौधरी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ के लिए अच्छे बीज, उर्वरक तथा पशु-पालन के औजारों को खरीदने के लिये कृषकों को ऋण संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के हेतु आन्ध्र राज्य को कितनी धन-राशि दी गई है; और

(ख) आन्ध्र राज्य अब तक कितनी राशि प्रयोग कर चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) सामान्यत: केवल अमोनियम सल्फेट और अच्छे बीज के वितरण के लिये ही राज्यों को ऋण दिये जाते हैं । राज्य सरकार को ६०,६०० टन उर्वरक दिया गया है और ६३ लाख टन रुपये के ऋण की प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० आर० चौधरी : जितना उर्वरक आन्ध्र राज्य के लिये नियत किया गया था उसमें से उस ने कितने का प्रयोग किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : ४०,००० टन से ऊपर का प्रयोग कर लिया गया है । मेरे पास आज तक के ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : रय्यतों को उर्वरक का वितरण कौनसे अभिकरण के द्वारा किया जाता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इसका निश्चय करना राज्य सरकारों का काम है ।

चलते-फिरते डाक घर

*१९४. **श्री नवल प्रभाकर**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चलते-फिरते डाकघरों को कहां तक सफलता मिली है ;

(ख) क्या शीघ्र ही भारत के अन्य नगरों में भी इसी प्रकार के डाकघर चालू करने का विचार किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो किन किन नगरों में ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) नगरों में चलते फिरते डाकघर सफल हुए हैं ?

(ख) जी हां ।

(ग) बम्बई और कलकत्ता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई सेवा दिल्ली की नव-निर्मित विस्थापित बस्तियों के लिये भी चालू करने का विचार है ?

श्री राज बहादुर : दिल्ली में यह सेवा पहले ही से चलती है और हम यह आशा करते हैं कि जो नये प्रकार के पोस्टल वैन तैयार किये गये हैं, उनमें से दो यहां पर रखे जायेंगे, जिसके जरिये से एक जो पुराना यहां पर है, वह हटा दिया जायेगा और उस की जगह एक नया आ जायेगा। और इस के इलावा एक और बढ़ा दिया जावेगा ।

श्री वीरस्वामी : क्या मद्रास नगर में चलते-फिरते डाकघर हैं और यदि हां, तो क्या उन के द्वारा पूरे नगर की सेवा हो जाती है अथवा नहीं ?

श्री राज बहादुर : मद्रास में १-८-५१ से एक चलती-फिरती डाक सेवा है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : पटना में यह सेवा कब चालू की जायेगी ?

श्री राज बहादुर : हम ने ये सेवायें उन स्थानों में प्रारम्भ की हैं जहां रात्रि की हवाई डाक सेवा शुरू की गई है, आरम्भ में हम केवल ऐसे ही स्थानों में उसे जारी करने का विचार कर रहे हैं।

सहकारी समितियां

*१९६. **श्री नम्बियार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे मंत्रालय क अधीन विशेष कार्य पदाधिकारी (सहकारिता) का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे की कर्मचारी सहकारी समितियों के अंशधारियों को प्राप्त ऋण संबंधी सुविधाएं बन्द होने वाली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) उनके प्रतिवेदन की अधिकांश सिफारिशें मान ली गई हैं ।

(ख) और (ग)। जी हां, परन्तु इस विषय का पुनरीक्षण किया जा रहा है और ऋण की सुविधाएं प्रदान करने का विचार है। इस काम के लिये इस समय नियम बनाये जा रहे हैं ।

श्री नम्बियार : क्या यह सच है कि सहकारी भंडारों से अंशधारियों को ९५% सामान उधार दिया जाता है और यदि हां, तो क्या जांच करने वाले पदाधिकारी को इसका ज्ञान था ?

श्री शाह नवाज़ खां : मुझे मालूम नहीं है । मैंने माननीय सदस्य से यह जानकारी प्राप्त की है ।

श्री नम्बियार : ऋण संबंधी सुविधायें बन्द करने का प्रश्न क्यों उठाया गया था, और क्या सरकार ने इस प्रश्न का पुनरीक्षण कर लिया है और यदि हां, तो क्यों ?

श्री शाहनवाज़ खां : उपभोक्ताओं के लिये ऋण संबंधी सुविधायें बन्द करने के कारण ये थे कि इस से संस्था की पूंजी का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा । कई ऐसे ऋण होंगे जिन्हें बट्टे खाते में डालना पड़ेगा और इस से हिसाब किताब का काम बहुत बढ़ जायेगा । इन सब बातों के साथ साथ यह भी ख्याल था कि रेलवे के आदमी अपनी आय के भीतर ही अपना निर्वाह करने की आदत डालें, क्योंकि यदि उन

को ऋण दिया जायेगा तो वे बहुत सी वस्तुएं खरीद लेंगे और अपने साधनों से अधिक खर्च करेंगे ।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को ज्ञात है कि यदि ऋण संबंधी सुविधाऐं बन्द कर दी जायेंगी तो रेलवे के ये सहकारी भंडार अपने आप खत्म हो जायेंगे ?

श्री शाहनवाज़ खां : माननीय सदस्य ने माननीय मंत्री के पास एक अभ्यावेदन भेजा है, जिस पर उचित मान सहित विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग

*१९७. **श्री भीखाभाई** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ (उदयपुर-मोदासा विभाग) का निर्माण बहुत मन्द गति से हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि तीन वर्ष बीत जाने पर भी कागदार नदी पर एक पुल नहीं बन सका है ; और

(घ) इस राज मार्ग के जल्दी निर्माण के लिये सरकार का कौन से उपाय करने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) और (घ)। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ उदयपुर खेरबाड़ा–बिचीबाड़ा–रतनपुर–हिम्मतनगर–अहमदाबाद-बम्बई से होकर जायेगा और बिचीवाड़ा-मोदासा की सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है । इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उन भागों पर जहां सड़क नहीं है निर्माण कार्य संतोषजनक गति से हो रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) कागदार नदी पर सोम के पुल के निर्माण के लिये टेन्डर अभी हाल ही में मांगे गये हैं, और निर्माण कार्य के जल्दी ही प्रारम्भ होने की आशा है ।

श्री भीखाभाई : राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ८ की कितनी मील सड़क पूरी तरह बन गई है ?

श्री शाहनवाज़ खां : जैसा मैं ने बताया, केवल २२ मील का ही एक टुकड़ा नहीं बना हुआ था, जो कि बनाया जा रहा है :

श्री भीखाभाई : पुल का निर्माण कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री शाहनवाज़ खां : सारे प्राक्कलन तैयार हैं । सामग्री एकत्रित की जा रही है और हमें आशा है कि प्रारम्भ होने के दिन से अट्ठारह महीने के अन्दर पुल बन जायेगा ।

श्री भीखाभाई : इस पुल के बनने में देरी का क्या कारण है ?

श्री शाहनवाज़ खां: कोई भी पुल बनाने के लिये रेलवे इंजीनियरों को उचित स्थान चुनने के संबंध में बड़ी सावधानी से काम करना पड़ता है ।

पैबंदी मकई

*२००. **श्री राधा रमण**: **क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली में किये गये परीक्षण में एक प्रमुख भारतीय मकई

की किस्म की तुलना में अमरीकी पैबंदी मकई से अधिक अनाज प्राप्त हुआ है ?

(ख) इस से कितना अधिक अनाज प्राप्त हुआ है

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के पैबंदी बीजों को अधिक मात्रा में आयात करने के लिये कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि हां, तो वह मात्रा तथा उसकी दर क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) १५·५ मन प्रति एकड़ ।

(ग) और (घ) । इन पैबंदी बीजों का मूल्य बहुत अधिक होने के कारण विदेश से आयात करने की बजाय हमने अपने यहां पैबंदी बीज तैयार करना अधिक उपयुक्त समझा ।

श्री राधा रमण : क्या इस प्रकार के बीज पर भारत के किसी क्षेत्र विशेष में परीक्षण करने का विचार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : अभी तो यह प्रयोगात्मक अवस्था में है । फिलहाल प्रयोग के तौर पर यह कार्य किया जायेगा, किन्तु हम और भी विशद गवेषणा करना चाहते हैं ।

श्री राधा रमण : इस प्रकार के बीजों के इतना महंगा होने की दृष्टि से क्या सरकार ने उनके आयात करने का विचार त्याग दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : बिल्कुल नहीं सीमित मात्रा में हम अभी भी कभी कभी इन का आयात करते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को उन पौदों विशेष की जाति के विषय में जानकारी है, जिन से ये पैबंदी बीज बनते हैं और क्या भारत सरकार के अधीन यह के जलवायु में उन्हें उपजाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां हम इन बीजों को यहां के जलवायु में तैयार करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

रेलवे लोक सेवा आयोग

*२०१. **श्री लक्ष्मीधर जेना**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पूर्ण भारत में रेलवे कर्मचारियों को भर्ती करने के लिये कितने रेलवे लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की गई है ;

(ख) उन के मुख्यालय कहां कहां हैं ;

(ग) क्या कलकत्ता में ऐसा कोई रेलवे सेवा आयोग है ; और

(घ) यदि हां, तो यह किस रेलवे से सम्बन्धित है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) चार ।

(ख) कलकत्ता, बम्बई, इलाहाबाद तथा मद्रास ।

(ग) जी हां ।

(घ) कलकत्ता रेलवे सेवा आयोग पूर्व रेलवे , पूर्वोत्तर रेलवे के पांडु प्रदेश तथा चितरंजन के इंजन के कारखाने के लिये तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को भर्ती करता है ।

श्री लक्ष्मीधर जेना : क्या यह सच है कि सम्पूर्ण उड़ीसा राज्य में पूर्व रेलवे चलती है ?

श्री अलगेशन : यह उड़ीसा राज्य के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी चलती है ।

श्री लक्ष्मीधर जेना : क्या इस रेलवे लोक सेवा आयोग में कोई उड़िया सदस्य भी हैं ?

श्री अलगेशन : आयोग में कोई भी उड़िया सदस्य नहीं बैठता है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या रेलवे लोक सेवा आयोग सभी आवेदकों को अवसर देता है अथवा वे केवल सीमित संख्या में उम्मीदवारों के आवेदन पत्र जांचते हैं ?

श्री अलगेशन : आवेदन पत्र प्राप्त होने के पश्चात् उनमें से केवल कुछ भेंट के लिये चुने जाते हैं । उनसे भेंट करने के पश्चात् ही चुनाव किया जाता है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस कठिनाई को दृष्टि में रखते हुये कि सभी उम्मीदवारों को जांच का उचित अवसर नहीं मिलता क्या रेलवे लोक सेवा आयोग के नियमों तथा विनियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री): हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री निम्बयार उठे—

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न !

दूरमुद्रकों (टेलीप्रिंटरों) का दुरूपयोग

*२०२. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या संचार मंत्री २४ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरमुद्रक सेवा द्वारा किस प्रकार के दुरुपयोग किये गये ; और

(ख) सम्बन्धित समाचार एजेंसियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ऐसे संवादों का भेजा जाना जिनके लिये विधियों, उपविधियों, नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत प्रैस की दरों पर भेजने की अनुमति नहीं है और जो पंजीकृत समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिये नहीं थे ;

(ख) समाचार एजेंसियों को यह चेतावनी दे दी गई है कि यदि समाचार सरकट का उचित प्रयोग न किया गया तो सरकट वापस ले लिये जायेंगे ।

श्री तुषार चटर्जी : किन किन समाचार एजनसियों ने ये दुरुपयोग किये हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में यह पहले ही बता चुका हूं । मानीटरिंग के परिणाम स्वरूप हम यही जान सके हैं ।

खाद्यान्नों का आयात

*२०३. **श्री टी० के० चौधरी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री चालू वर्ष तथा अगले वर्ष का भी खाद्यान्नों के आयात का कार्यक्रम बताने की कृपा करेंगे ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा) : खाद्यान्नों का आयात आवश्यकतानुसार किया जाता है। १९५४ में सरकारी हिसाब में लगभग १० लाख टन आयात करने की आशा है । अगले वर्ष आयात की जाने वाली मात्रा के सम्बन्ध में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

श्री टी० के० चौधरी : आयात किये जाने वाले खाद्यान्न विशेष कौन कौन से हैं तथा किन किन देशों से इनका मुख्यत: आयात किया जाता है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : इस वर्ष में अभी तक हम ने २,५०,००० टन गेहूं अधिकांशतया आस्ट्रेलिया से और कुछ

मात्रा में कनाडा तथा अमरीका से भी एवं ६·५ लाख टन चावल सारा बर्मा से आयात किया है। पाकिस्तान से भी हमने २५,००० टन चावल आयात करने की अनुमति दे दी है किन्तु वह अभी तक आया नहीं है। अमरीका से हमने ८,००० टन ज्वार-बाजरा आयात किया है।

श्री टी० के० चौधरी: इन आयातों के क्या कारण हैं, विशेषत: उस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि सरकार कई बार यह कह चुकी है कि न केवल चालू वर्ष के लिये ही वरन् आगामी कई वर्षों के लिये भी उसके पास काफी मात्रा में खाद्यान्नों का स्टाक सुरक्षित है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: जितना भी खाद्यान्न आयात किया गया था वह सारा देश के उपभोग के लिये नहीं था। इस आयात में से हमें देश के लिये १५ लाख टन सुरक्षित रखना था। हमने १० लाख टन से भी कम का आयात किया है; और इस वर्ष के अन्त तक हमारे पास १५ लाख टन का सुरक्षित भंडार हो जायेगा।

श्री रघुरामैया: क्या केन्द्रीय सरकार को इस तथ्य का पता है कि आन्ध्र में काफी मात्रा में फालतू चावल बेकार पड़ा हुआ है जिस की मांग नहीं है और जिस को सावधानी से रखा नहीं जाता है ऐसी दशा में उस आयात नीति से क्या बाज़ार में अत्याधिक मन्दी नहीं आ रही है और क्या सरकार ने इस पर ध्यान दिया है ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा: मुझे यह कहने में प्रसन्नता होती है कि आज कल देश में चावल का आधिक्य है। एक बार यदि हम आयात न कर के सुरक्षित भंडार न रखें तो इस आधिक्य का पता नहीं क्या हो जायेगा। यदि हमारे पास काफी सुरक्षित भंडार न रहे तो यह फालतू चावल छिपा लिया जायेगा।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा: चावल के लगातार गिरते हुए मूल्यों के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है और क्या उस का विचार मूल्यों में कमी को रोकने के लिये कुछ करने का है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): जैसा कि सभा को विदित है जहां तक मूल्यों को गिरने से रोकने का सम्बन्ध है, हम अनेक प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं, किन्तु हम अमरीका की भांति मूल्यों को गिरने से रोकने की नीति नहीं अपना सकते, किन्तु निम्नतम मूल्य स्थिर रखने के लिये हम यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं।

डीज़ल रेल कारें

*२०४. **श्री केशवैयंगार:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विदित है कि हैदराबाद तथा बोदर स्टेशनों के बीच चलने वाली डीज़ल रेल कारें बड़ी लोक प्रिय हो गई हैं;

(ख) क्या सरकार की अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार की रेल कारें चलाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक तथा किन क्षेत्रों में ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा-सचिव (श्री शाहनवाज़ खां): (क) डीज़ल रेल कारें जो सिकन्दराबाद से मुहम्मदाबाद बीदर तथा हैदराबाद से वरंगल के बीच चलती हैं, बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

(ख) जी हां।

(ग) दिसम्बर १९५४ में दक्षिण रेलवे की छोटी लाइन पर तथा १९५५ में

उत्तर रेलवे की छोटी लाइन पर चालू की जायेंगी । बड़ी लाइन की कुछ रेल कारों के लिये भी शीघ्र ही आर्डर दिया जाने वाला है ।

श्री केशवैयंगार: क्या हम जान सकते हैं कि इस कार का क्या मूल्य है और क्या यह यहां नहीं बन सकती ?

श्री शाहनवाज़ खां: इसकी कीमत का अभी मेरे पास कोई सही अन्दाजा मौजूद नहीं है । अगर आनरेबल मेम्बर चाहेंगे तो मैं उन को बाद में बता सकूंगा । अभी तक यह डीज़ल रेल मोटर हमारे मुल्क में नहीं बनती है । जब हम इस को ठीक तरीके से बना सकेंगे तो इस पर भी जरूर गौर किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

श्री नम्बियार: एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति ।

श्री नम्बियार: परन्तु बहुत सी कारें आ चुकी हैं ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । अगला प्रश्न ।

किसानों के लिये प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम

*२०५. **श्री संगण्णा: खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा द्वारा १ अक्तूबर, १९५४ से मध्य प्रदेश स्थित अमरावती में किसानों के लिये तृतीय प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पाठ्यक्रम से प्रत्येक राज्य के कितने किसानों ने लाभ उठाया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् के तत्वावधान में किसान युवकों के लिये दो प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम पूरे हो चुके हैं और यह ज्ञात हुआ है कि परिषद् की मंजूरी की पहले से आशा करके ४ नवम्बर से तृतीय पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है ।

(ख) विशेष रूप से इस केन्द्र में ४७ किसान युवक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और २५ तृतीय पाठ्यक्रम के लिये प्रविष्ट हो गये हैं । वर्तमान प्रशिक्षणार्थियों में से १८ मध्य प्रदेश से और ७ खानदेश, बम्बई राज्य से हैं ।

श्री संगण्णा: इस प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम में खेती के किन किन पहलुओं की शिक्षा दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: यह पाठ्यक्रम भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने तैयार किया है । यह देश के भिन्न भिन्न भागों में राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न केन्द्रों में चलाया जा रहा है । किसानों के लड़कों को क्रियात्मक शिक्षा देने तथा खेती के सम्बन्ध में प्रचलित कुछ बातों को सिखानें के लिये यह पाठ्यक्रम बहुत ही उपयुक्त समझा जाता है ।

श्री संगण्णा: इन प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्यक्रम पूरा कर लेने के पश्चात् अपने अपने क्षेत्रों में अपने ज्ञान को फैलाने के लिये क्या सहायता दी जाती है ?

डा० पी० एस० देशमुख: जब ये लड़के इन पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा एक चीज़ यह करने का विचार है कि यदि ये भूमिहीन हों तो जहां कहीं भूमि उपलब्ध हो वहां भूमि दे कर बसा दिया जाये ।

श्री संगण्णा: क्या यह वार्षिक होता है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह पाठ्यक्रम छः मास का है और एक वर्ष में ऐसे दो पाठ्यक्रम हो सकते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या ये प्रशिक्षणार्थी देश के विभिन्न भागों से चुने जाते हैं या किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : जहां तक सम्भव है ये उस विशेष राज्य तक ही सीमित रहते हैं, किन्तु यदि पड़ौसी राज्य से कोई लड़के आजायें, तो उन्हें भी प्रविष्ट कर लिया जाता है ।

कृषि सम्बन्धी गवेषणा संस्थाएं

*२०६. **श्री मुरारका :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि संबंधी गवेषणा संस्थाओं के बारे में प्रति तीन वर्ष में एक सामयिक प्रगति लेखा परीक्षण करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) तथा (ख) . प्राक्कलन समिति ने अपने सप्तम प्रतिवेदन के अनुच्छेद ६९ में इस आशय की सिफारिश की है, जो अभी सरकार के विचाराधीन है ।

श्री मुरारका : सरकार इस प्रस्थापना का कब निर्णय करना चाहती है और क्या वह कृषि संबंधी गवेषणा संस्थाओं के बारे में इस प्रकार का सामयिक प्रगति लेखा-प्रशिक्षण करवायेगी या नहीं ?

डा० पी० एस० देशमुख : हम यथाशीघ्र निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या इस में उन व्यक्तियों से लिये गये शुल्कों का लेखा भी सम्मिलित है, जो इन संस्थाओं में गवेषणा कर रहे हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह प्राक्कलन समिति की सिफारिश है । जैसा कि मैं ने कहा, यह विचाराधीन है । मैं किसी विशेष लेखा के बारे में पृथक रूप से यह नहीं जानता कि आया वह इस समय इस प्रस्थापना में सम्मिलित है या नहीं ।

चीनी की फैक्टरियां

*२१०. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में चीनी की कुल कितनी फ़ैक्टरियां हैं; और

(ख) उनकी कुल कितनी निश्चित क्षमता है जिस के द्वारा वे चलतीं हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १५९ फ़ैक्टरियां ।

(ख) १५९ फ़ैक्टरियों की प्रतिदिन १,३७,००० टन गन्ना पेरने की क्षमता है । उनमें से कुछ फ़ैक्टरियां , जिन की प्रतिदिन लगभग ८,७०० टन गन्ना पेरने की क्षमता है नियमित रूप से चल नहीं रहीं हैं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : क्या गन्ने—कच्चे माल की कमी के कारण कतिपय मिलों में इस अनुमानित क्षमता सीमा तक काम नहीं हो सका है, या इस का कोई और कारण है ?

डा० पी० एस० देशमुख : साधारणतया यह गन्ने की कमी के कारण है ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अनुमानित उपयोग हमारी उत्पादन क्षमता से कितना बढ़ गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस प्रश्न के ठीक अभिप्राय को समझ नहीं पाया हूं ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : अनुमानित क्षमता प्राप्त करने पर हम जितना

उत्पादन कर सकते हैं, उस से वास्तविक उपभोग बढ़ गया है। उपभोग या मांग और संभरण के बीच जो कि मिल अधिकतम मात्रा में तैयार कर सकते हैं, क्या अन्तर है ?

डा० पी० एस० देशमुख : उस क्षेत्र विशेष में गन्ने की कमी के कारण संयंत्र की क्षमता से कम उत्पादन होता है। यही एक मात्र कारण है।

श्री ए० एम० थामस : क्या त्रावनकोर-कोचीन की चीनी की एकमेव फ़ैक्टरी को दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रार्थना पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम रूप में कोई निर्णय किया जा चुका है, और यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मुझे इस के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

पोषाहार संबंधी अव्यवस्था का प्रभाव

***२१०क. श्री वी० पी० नायर :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घटया खुराक के कारण पोषाहार संबंधी अव्यवस्था के प्रभाव में वृद्धि या कमी होने का अनुमान लगाने वाला कोई सरकारी विभाग है; और

(ख) यदि हां, तो खाद्य, उत्पादन की वृद्धि का पोषाहार संबंधी अव्यवस्था, कुप्रबंध तथा तत्परिणाम स्वरूप होने वाली व्याधियों के व्यापात पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी हां, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खुराक तथा पोषाहार संबंध में समय समय पर पड़ताल की जाती है। सन् १९५३ में कई राज्यों में किये गये कार्य के प्रतिवेदन समेत, भारतीय चिकित्सा गवेषणा परिषद् द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका सभा पटल पर रखी जाती है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या ४२८ एस०/५४]

(ख) पोषाहार संबंधी अव्यवस्था के प्रभाव पर देश के बढ़े हुए खाद्य उत्पादन प्रभाव का अनुमान लगाने के लिये अभी तक किसी भी राज्य सरकार द्वारा योजना बद्ध पड़ताल नहीं की गई है।

श्री वी० पी० नायर : पुस्तिका को पढ़े हुए मैंने देखा है कि हल्की रक्तहीनता से ले कर व्यापक जलोदर तक विभिन्न प्रकार की पोषाहार संबंधी अस्वस्थाएं बहुत अधिक बढ़ गई हैं। खाद्य उत्पादन की वृद्धि के बारे में खाद्य मंत्रालय द्वारा किये गये बहुत बड़े दावों को विचारते हुए क्या मैं जान सकता हूं, कि क्या सरकार इस सभा को बतासकती है कि क्या पोषाहार संबंधी ऐसी अस्वस्थाओं के अनुपात को किसी बड़ी मात्रा तक रोका गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : पोषाहार संबंधी अस्वस्थाएं विद्यमान हैं। जब कभी यह बात केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाई जाती है कि विशेष खुराक की आवश्यकता है, तो हम इस का प्रबंध करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु माननीय सदस्य को यह बात अवश्य अनुभव करनी चाहिये कि पोषाहार संबंधी अव्यवस्थाएं तब तक जारी रहेंगी, जब तक कि लोगों के पास खरीदने की पर्याप्त शक्ति नहीं होती।

श्री वी० पी० नायर : सरकारी हिसाब के अनुसार, एक साधारण भारतीय की पोषाहार संबंधी क्या आवश्यकता है और खाद्य उत्पादन में वृद्धि का जो दावा किया गया है, उस का विचार करते हुए, सन् १९५३ या १९५४ में उस का वास्तविक उपयोग कितना था ?

राजकुमारी अमृतकौर: वास्तविक आवश्यकता उस की उपेक्षा बहुत अधिक है, जो लोग प्राप्त करते हैं।

गोदाम

*२१२. **श्री विभूति मिश्र:** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के क्या नाम हैं, जहां पर भारत संयुक्त राज्य-संयुक्त परियोजना करार के अधीन खाद्यान्न गोदाम बनाये गये हैं या बनाने का प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) इन स्थानों को चुनने की क्या मुख्य कसौटी थी ?

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री एम० वी० कृष्णप्पा): संयुक्त राज्य टैक्नीकल सहयोग मिशन के साथ किये गये करार में प्रत्येक गोदाम में, १०,००० टन माल भरने की क्षमता वाले दो सिलो व एलीवेटर और ५०,००० टन की क्षमता के पूर्व निर्मित धातु से बनाये जाने वाले गोदामों का उपबन्ध किया गया है। इन गोदामों को बनाने के लिये ये स्थान चुने गये हैं :—

सिलो-कम-एलीवेटर

कलकत्ता १०,००० टन का एक सिलो-कम-एलीवेटर

मध्य भारत (ग्वालियर) १०,००० टन का दूसरा सिलो-कम-एलीवेटर

धातु के पूर्व निर्मित गोदाम

कलकत्ता (बड़े कलकत्ता समेत)	१०,००० टन
आसाम	५,००० टन
त्रिपुरा	५,००० टन
कोचीन	२०,००० टन
मद्रास	१०,००० टन

(ख) इन स्थानों को चुनते हुए निम्न बातों को ध्यान में रखा गया है :

(१) सिलो के वास्तविक कार्य संचालन संबंधी अनुभव को जानने में सुविधा, जो पत्तन क्षेत्र और आन्तरिक क्षेत्र में पहली बार स्थापित किये जा रहे हैं।

(२) धातु के पूर्व निर्मित गोदामों के बारे में भी विभिन्न केन्द्रों के बारे में विभिन्न वायुमण्डलीय तथा अन्य स्थानीय स्थितियों के आंकड़े एकत्रित किये जायेंगे।

(३) केन्द्रीय रिज़र्वों के भण्डारों को खाली करके फिर से भरने की आवश्यकता।

(४) कतिपय स्थानों पर माल भरने के स्थान का प्रबन्ध करने की आवश्यकता जहां माल भरने के लिये अच्छा और बड़ा स्थान नहीं मिलता।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार ऐसे ऐरियाज़ में भी गोदाम बनाना चाहती है जो डैफ़िसिट ऐरियाज़ हैं, जैसे नार्थ बिहार ?

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : १२ वर्ष के अनुभव के साथ हम जान लेते हैं कि इस प्रकार माल भरने की कहां पर अधिक आवश्यकता है और इसी अनुभव के आधार पर हम स्थान चुनते हैं।

श्री विभूति मिश्र : उन क्षेत्रों में जहां अक्सर अकाल पड़ता है और बाढ़ आ जाती है जैसे कलकत्ता, बम्बई या मद्रास आदि स्थानों से गल्ला मंगाने में काफ़ी देर, दिक्कत और असुविधा होती है, क्या सरकार ऐसे डैफ़िसिट ऐरियाज़ में गोदाम स्थापित करने के संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): हां आवश्यकता होगी तो ज़रूर ख्याल करेगी।

दिल्ली के लिये निगम

*२१३. **श्री गिडवानी :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को दिल्ली के लिये एक निगम स्थापित करने के प्रस्ताव के संबंध में दिल्ली राज्य सरकार की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या निर्णय है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) जी हां, ।

(ख) दिल्ली के लिये एक निगम स्थापित करने का दिल्ली राज्य सरकार विरोध करती है । दिल्ली एक छोटा नागिरिक राज्य है और दिल्ली के लिये निगम स्थापित करने से यह परिणाम होगा कि यहां समान कार्य और समान अधिकार वाले दो प्राधिकारी हो जायेंगे और जनता पर अधिक वित्तीय भार भी पड़ जायेगा । इस लिये यह निर्णय किया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिये नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने के पश्चात् निगम स्थापित करने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार किया जायेगा ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य ने इन प्रस्तावों का विरोध किया है, और यदि हां, तो उन्हों ने क्या कारण बताये हैं ?

राजकुमारी अमृततकौर : यह कारण बताये गये हैं कि समान कार्य और समान अधिकार वाले दो प्राधिकारी हो जायेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि दिल्ली नगर में ही बहुत से स्थानीय निकाय हैं , अर्थात सिविल लाइन्ज़, नोटिफाइड ऐरिया (सूचित क्षेत्र) आदि ?

राजकुमारी अमृयकौर : जी, हां । ऐसा ही है ।

श्री गिडवानी : यदि इतने अधिक छोटे और पृथक निकायों के स्थान पर एक निगम स्थापित कर दिया जाये, तो क्या यह उचित अधिक प्रभावी और कम व्यय वाला नहीं होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप तर्क वितर्क आरम्भ कर रहे हैं ।

दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) का कारखाना

*२१४. **श्री नवल प्रभाकर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दूरमुद्रक (टेलीप्रिंटर) बनाने का कारखाना खोलने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कब और कहां खोला जायगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां, एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ।

(ख) अभी कारखाने का स्थान निश्चित नहीं किया गया है । अन्तिम निर्णय होने पर यथा सम्भव शीघ्र कारखाने का निर्माण किया जायेगा ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस तरह की फैक्टरी का जो निर्माण किया जायगा तो उस के लिये सर्वे वग़ैरह कर लिया गया है ?

श्री राज बहादुर : टेलीप्रिंटरों की हमारी वार्षिक कितनी आवश्यकता है, इस का सर्वे किया जा चुका है ।

विमान द्वारा डाक

*२१६. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में द्वितीय श्रेणी की डाक विमान द्वारा ले जाने का सरकार का विचार है;

(ख) कब तक इस योजना को कार्यान्वित करने की आशा है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख)। अभी योजना का परीक्षण हो रहा है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार इस योजना पर आने वाली लागत का अनुमान बता सकती है ?

श्री राज बहादुर : हां, श्रीमान्। यदि हम द्वितीय श्रेणी की उस डाक को, जो कि अब अधिभार देने पर वायु द्वारा भेजी जाती है, बिना किसी अधिभार के विमान द्वारा भेजने लगें तो ८५ लाख रुपये वार्षिक लागत आयेगी। यदि द्वितीय श्रेणी की सारी डाक भेजी जाये तो २ करोड़ रुपये अधिक लागत आयेगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : वायुयान द्वारा डाक कितने नगरों के बीच आने जाने लगेगी ?

श्री राज बहादुर : जहां जहां हवाई अड्डे हैं ।

भारत में हलीकाप्टर निर्माण संयन्त्र

*२१८. **श्री राधा रमण** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में हेलीकाप्टर हवाई जहाजों के निर्माण का संयन्त्र स्थापित करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर इसे स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस के निर्माण पर कितनी लागत आयेगी; और

(घ) यह उपक्रम तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) नहीं श्रीमान् ।

(ख) से (घ)। प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एन० एम० लिंगम : सीमा पर गश्त लगाने, महामारी पर नियंत्रण करने और भूगर्भ सर्वेक्षण के लिये सरकार को कितने हैलीकाप्टरों की आवश्यकता है ।

श्री राज बहादुर : इस प्रश्न का एक से अधिक मंत्रालयों से सम्बन्ध है ?

श्री राधा रमण : इस समय सरकार के पास कितने हेलीकाप्टर हैं ?

श्री राज बहादुर : संचार मंत्रालय के पास कोई नहीं ।

मछली पकड़ने की नावें

*२२२. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नारवे द्वारा दी जाने वाली सहायता के अन्तर्गत सरकार ने नारवे से तीन मछली पकड़ने की नावें खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक नाव का मूल्य; और

(ग) उन का कहां तक प्रयोग किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली परिवहन सेवा

*२२३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **परिवहन मंत्री** १० मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से १२ वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिये डी० टी० एस० की बसों में

किराया कम करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि से लागू किया जायगा ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकारियों ने इस विषय में अभी तक कोई निश्चय नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि दिल्ली ट्रांस्पोर्ट अथारिटी की ऐडवाइजरी कमेटी ने भी इस प्रकार की सिफारिश की है ?

श्री शाहनवाज़ खां : यह मसला दिल्ली रोड ट्रांस्पोर्ट अथारिटी कमेटी की मीटिंग के सामने, जो कि १७ जुलाई को हुई थी, पेश हुआ था लेकिन उन्हों ने यह तय किया कि इस का आखिरी फैसला मि० मिरैन्डा, जो कि आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी मुकर्रर हुए हैं, की राय पर छोड़ दिया जाय । उन्हों ने राय दी है कि इस किराये में कोई कमी नहीं होनी चाहिये ।

कृषि श्रमिक

*२२४. **श्री गिडवानी** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि श्रमिकों के कार्य करने और रहन सहन की हालत के बारे में की गई सामाजिक वा आर्थिक जांच के वर्ष १९५०-५१ के प्रतिवेदन पर विचार कया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण जीवन को निर्वाह स्तर पर ला कर कृषि श्रमिकों की ऋणग्रस्त स्थिति समाप्त करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई): (क) और (ख) । कृषि श्रमिक सम्बन्धी जांच तीन क्रमों, अर्थात् (१) सामान्य ग्राम सर्वेक्षण (२) सामान्य परिवार सर्वेक्षण और (३) विस्तृत परिवार सर्वेक्षण, में की गई । जांच के प्रथम क्रम के परिणाम १९५३ में प्रकाशित हुए । जांच के द्वितीय तथा तृतीय क्रम के प्रतिवेदन प्रकाशित हो रहे हैं । इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन होने तक हाल ही में एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है जिस में जांच के तीनों क्रमों का संक्षेप दिया गया है । सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हो गया है कि कृषि श्रमिकों की समस्या बड़ी जटिल है और कृषि श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर देना उतना ही महत्वपूण है जितना कि निम्नतम मजूरी निश्चित करना । जांच के विभिन्न प्रतिवेदनों में दी गई सामग्री से न केवल राज्य सरकारों को, कृषि श्रमिकों की निम्नतम मजूरी निश्चित करने और उस का पुनरीक्षण करने में सहायता मिलती है बल्कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को कृषकों के कार्यक्रम बनाने तथा पंचवर्षीय योजना तैयार करने में भी सहायता मिलती है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि भारत में कृषि श्रमिक की प्रति व्यक्ति आय एक साधारण भारतीय की आय से आधी है ?

श्री के० के० देसाई : आधे से थोड़ी कम है ।

श्री गिडवानी : क्या सब राज्यों में ऐसे श्रमिकों की निम्नतम मजूरी निश्चित की गई है और क्या राज्यों द्वारा की गई कार्यवाही का कोई प्रतिवेदन सरकार को मिला है ?

श्री के० के० देसाई : जैसे कि मैं पहले किसी प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं, निम्नतम मजूरी लगभग सब 'ग' राज्यों में निश्चित की जायेगी और अन्य राज्यों ने अपने प्रदेशों के अनुसार यह कार्य आरम्भ किया है ।

डा० रामा राव : 'ग' राज्यों के अतिरिक्त अन्य कितने राज्यों में निम्नतम मजूरी

निश्चित करने के लिये सक्रिय रूप से कार्य किया गया है ?

श्री के० के० देसाई : लगभग तीन राज्यों, उत्तर प्रदेश, बिहार और बम्बई में सक्रिय रूप से कार्यवाही की गई है ।

श्री के० के० बसु : क्या कोई समय निश्चित किया गया है जब तक समस्त भारत में निम्नतम मजूरी निश्चित हो जानी चाहिये ?

श्री के० के० देसाई : संविधि द्वारा समय निश्चित किया जा चुका है परन्तु उसे बढ़ाने के लिये हमें पुनः संसद् के सामने प्रस्ताव रखना पड़ेगा । यह स्पष्ट ही है कि कृषि श्रमिकों की निम्नतम मजूरी निश्चित करने का कार्य बड़ा कठिन है ।

श्री गिडवानी : ग्रामीणों के ऋण को समाप्त करने के हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री के० के० देसाई : ग्रामीणों के ऋण का सम्बन्ध केवल कृषि श्रमिकों से नहीं वहां की अन्य जनसंख्या से भी है । दूसरे मंत्रालय यह जानने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं कि क्या उन्हें उधार दिया जा सकता है अथवा नहीं ।

चकबन्दी

*२२५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में शीघ्र चकबन्दी करने के बारे में राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किया है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : नहीं श्रीमान् । इस बारे में योजना में की गई सिपारिश अप्रेल, १९५३ में राज्य सरकारों को भेज दी गई थी ताकि वे इस पर आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या सरकार हमें बता सकती है कि भिन्न भिन्न राज्य सरकारों ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

डा० पी० एस० देशमुख : इस का सम्बन्ध राज्य सरकारों से है और उन्हों ने कुछ कार्यवाही की है । उदाहरणतः बम्बई, मध्य-प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, पैप्सू तथा हिमाचल प्रदेश में चकबन्दी के लिये विधान बनाया जा चुका है । दिल्ली राज्य ने पंजाब अधिनियम ही अपने प्रदेश पर लागू किया है । अन्य राज्य भी कार्यवाही करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

नेपाल में विमान सेवाओं का विकास

*१७८. **श्री एन० एम० गिगम् (श्री एस० एन० दास की ओर से):** क्या संचार मंत्री २४ अगस्त, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७२ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उस के पश्चात नेपाल में विमान सेवाओं का विकास करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस विषय पर अभी विचार किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : श्रीमान्, प्रश्न १८५ तीन सदस्यों के नाम पर है परन्तु आप ने केवल एक ही नाम लिया ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम प्रश्न १८५ लेंगे ।

चीनी मिलें

*१८५. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में भारत में नई चीनी मिलें शुरू करने का एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये मिलें किन किन स्थानों पर लगाई जायेंगी;

(ग) इन मिलों के कब चालू हो जाने की आशा है; और

(घ) इन मिलों के खुलने से चीनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित जानकारी का एक विवरण पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५५**]

(ग) उन २३ नई मिलों में से (जिन में २ शोधक कारखाने भी सम्मिलित हैं), जिन के लिए, लाइसेंस दिये गये हैं एक के १९५४-५५ सीज़न में, तीन के १९५५-५६ सीज़न में और शेष के १९५६-५७ में चलने की आशा है ।

(घ) ३ लाख टन प्रति वर्ष ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब, बम्बई और मैसूर राज्यों में सहयोग समितियों को सहकारिता के आधार पर चीनी की कलें खोलने की इजाजत दी गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, अगर मेम्बर साहब का मतलब यह है कि लाइसेन्स दिये गये हैं तो मैं बतला सकता हूं कि मैसूर में एक और पंजाब में दो आर्गेनाइ-ज़ेशन्स को इस की इजाजत देने का हमारा इरादा है ।

श्री अनिरुद्ध सिंह : अभी तक इस सम्बन्ध में कितनी पूंजी इकट्ठी हो सकी है तथा सम्बद्ध राज्यों का उस में क्या हिस्सा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह इन्फार्मेशन तो मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन मालूम होता है कि इतनी पूंजी इकट्ठी हो गई है जिस में कि हम लाइसेन्स दे सकें ।

श्री गाडिलिंगन गौड़ : क्या बेलारी सहकारी स्टोर्ज ने बेलारी जिले में एक शोधक कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र दिया है और यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख: मेरे विचार में लाइसेन्स के लिए सिफारश कर दी गई है; यह बेलारी केन्द्रीय सहकारी स्टोर्ज, बेलारी है ।

श्री के० के० बसु : क्या नई मिलों के लिए लाइसेन्स देने से पहले इस बात पर विचार किया गया है कि उन के लिए गन्ना पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा ?

डा० पी० एस० देशमुख : जी हां, यह एक बहुत संगत विषय है ।

श्री राघवाचारी : क्या सरकार आंध्र राज्य के अनन्तपुर ज़िले में सहकारी चीनी मिलें स्थापित करने के प्रार्थनापत्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए तैयार है ?

डा० पी० एस० देशमुख : दो प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिये गये हैं और वे ये हैं : लक्ष्मी नारायण शूगर लि० और वी० वी० एस० शूगर लि० ।

डा० रामा राव : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हम ५२ करोड़ रुपये तक की चीनी आयात कर रहे हैं सरकार का दक्षिण के उन क्षेत्रों की मिलों को जहां गन्ने और चीनी दोनों का उत्पादन अत्यधिक होता है, क्या सहायता देने का विचार है ?

डा० पी० एस देशमुख : हम ने प्रार्थनापत्र मंगवाये हैं और केन्द्रीय सरकार एक विशिष्ट सूत्र के अनुसार विभिन्न नई मिलों को सहायता देने के लिए तैयार है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारत आने वाले पर्यटक

*१७९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३० अक्तूबर १९५४ तक कितने पर्यटक भारत आये; और

(ख) उन के आने से इस अवधि में विदेशी मुद्रा की कुल कितनी आय हुई ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३१,८५८ ।

(ख) यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

रेलवे में भोजन व्यवस्था

*१८३. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या रेलवे मंत्री १ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस समिति ने जिसे रेलवे में भोजन व्यवस्था की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस की एक प्रति पटल पर रखने का विचार है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट की १० प्रतियां सदन के पुस्तकालय में रखी जा चुकी हैं।

बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में परिवहन सुविधाएं

*१८६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सारे भारत में बाढ़-पीड़ित लोगों को धान की पनीरी के परिवहन के लिए क्या सुविधायें दी गई हैं ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : उत्तर बिहार में बाढ़ से पीड़ित क्षेत्रों में धान की पनीरी पहुंचाने के लिए निम्न सुविधाएं दी गई थीं :—

(१) यात्री गाड़ियों के ब्रेकवैनों द्वारा भेजना;

(२) उन विभागों पर जहां धान की पनीरी भेजने के लिए अतिरिक्त परिवहन सुविधा की आवश्यकता थी, यात्री गाड़ियों में विशेष पार्सल वैनों की व्यवस्था;

(३) प्रशुल्क की दर की ११/४ रियायती दर ।

अन्य बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में धान की पनीरी भेजने के लिए सुविधाओं के लिए सरकार को कोई विशिष्ट प्रार्थनाएं प्राप्त नहीं हुई थीं।

रेल के डिब्बे

*१९०. **पंडित एस० सी० मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे दर्जे के मीटर-गेज डिब्बों के नये नमूने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में विदेशी विशेषज्ञों की सहायता भी ली जाती है;

(ग) क्या ये डिब्बे भारत में बनाये जायेंगे; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें बनाने का ठेका किस फर्म को दिया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां !

(घ) अभी कोई ठेका नहीं दिया गया किन्तु आशा है कि यह हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लि० को दिया जायेगा ।

रेलवे वस्तु भाड़ा

*१९५. **श्री हेडा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्तु भाड़े के प्रयोजनों के लिए मीलों की अधिकतम सीमा निश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के सामने है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सीमा क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं । तथापि उस माल के लिए जिसे दर्जे की दरों पर भेजा जाता है और कोयले के लिए प्रति मन अधिकतम दरें निर्धारित की गई हैं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

नल-कूप

*१९८. **श्री कर्णीसिंह जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २० अगस्त, १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ३६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने फीरोज़पुर हैडवर्क्स के निकट दोनों ओर नल-कूप लगाने की योजना के वित्तीय प्रश्न पर विचार किया है, ताकि गर्मियों के महीनों में जब नदी में सामान्यतया पानी कम होता है, अधिक पानी दिया जा सके ।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी नहीं । राजस्थान सरकार ने इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए अभी तक कोई उत्सुकता प्रकट नहीं की ।

पटसन और गन्ने का उत्पादन

*१९९. **श्री इब्राहीम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंच वर्षीय योजना में निर्धारित पटसन और गन्ने के उत्पादन का लक्ष्य ठीक समय पर पूरा हो जायेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के मुख्य कारण ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) आशा यही है ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग

*२०८. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय चावल आयोग की उस बैठक में जो १९५४ में टोकियो में हुई थी, भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो उस में कौन कौन से मख्य विषयों की चर्चा की गई थी;

(ग) भारत ने चर्चा में क्या योग दिया; और

(घ) भाग लेने वाले देशों के द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिए आयोग ने क्या निर्णय किये थे ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य विषय जिन पर चर्चा की गई थी ये थे--अच्छी नस्ल का चावल उगाना, उर्वरकों के प्रयोग से चावल में खाद देना, भूमि-जल-पौधा सम्बन्ध, चावल के उत्पादन के यन्त्रीकरण की समस्याएं अधिक अच्छे कार्यकरण प्रणाली द्वारा चावल की हानि को कम करना, पोषाहार सम्बन्धी पहलू और

मछली पालन के लिए चावल के खेतों का प्रयोग ।

(ग) तथा (घ) । एक विवरण पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५६**]

अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट गोष्ठी

*२०९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डाक टिकट शताब्दी के सम्बन्ध में हाल में दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट सम्बन्धी गोष्ठी में क्या निर्णय किये गये थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : विख्यात टिकट संग्रह करने वालों ने लेख पढ़े थे या ये इन की ओर से पढ़े गये थे । रुचिकर विषयों पर किन्हीं निश्चित निष्कर्षों पर पहुंचे बिना चर्चा की गई थी । ये लेख पुस्तक के रूप में छापे जा रहे हैं और इन्हें बेचने के लिए प्रकाशित किया जायेगा ।

पुरे धनसार कोयला खान बिहार पर तालाबन्दी

*२११. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या श्रम मंत्री ३० सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५१४ के उत्तर के सम्बन्ध में बतायेंगे कि :

(क) क्या सन् १९४९ से अब तक लाभांश के न दिये जाने के कारण पुरे धनसार कोयला खान बिहार के प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया है; तथा

(ख) यदि चलाया गया है, तो क्या सरकार देश में कोयले की कमी को दृष्टि में रखते हुए इन खानों को चलाने का विचार रखती है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की लोहा व इस्पात समिति

*२१५. **ठाकुर युगल किशोर सिंह** : क्या श्रम मंत्री अक्तूबर १९५४ के द्वितीय सप्ताह में जनेवा में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ की लोहा व इस्पात समिति की सभा में हुए निर्णयों के बारे में बताने की कृपा करेंगे ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : अपेक्षित जानकारी को संक्षेप में बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५७**]

रियायती टिकट

*२१९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अन्तर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, नई दिल्ली में पधारने वाले डाक-टिकट एकत्रित करने वालों को रियायती वापिसी-यात्रा-टिकट दिये थे;

(ख) यदि ऐसा है, तो उन्हें कितनी रियायत दी गई थी; तथा

(ग) इस रियायत से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या ?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दो सौ मील से अधिक दूरी से आने वाले व्यक्तियों को पहली अक्तूबर से ३१ अक्तूबर तक के समय के लिए १ १/२ एकल-यात्रा के किराये के दर से दिल्ली तथा नई दिल्ली के लिए द्वितीय, मध्यम, तथा तृतीय श्रेणियों के वापसी टिकट दिये गये थे ।

(ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

दिल्ली सुधार प्रन्यास

*२२०. **श्री एस० एन० दास** : क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) दिल्ली सुधार-प्रन्यास तथा नई दिल्ली नगरपालिका समिति के बारे में दिल्ली राज्य सरकार के अधिकारों में भारत सरकार द्वारा हाल ही में किस प्रकार की कमी की गई;

(ख) इस कमी के कारण; तथा

(ग) क्या इस विषय पर केन्द्रीय सरकार और राज्य-सरकार में कोई पत्र-व्यवहार हुआ है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) दिल्ली सुधार प्रन्यास और नई दिल्ली नगरपालिका समिति के बारे में राज्य सरकार के अधिकारों में इस बात के अतिरिक्त और कोई कमी नहीं की गई है कि अब दिल्ली के मुख्य आयुक्त को दिल्ली सुधार प्रन्यास तथा नई दिल्ली नगरपालिका समिति से सम्बन्ध रखने वाले कुछ विशेष मामलों के बारे में भारत सरकार को पूर्व निर्देश देना होता है।

(ख) प्रशासनीय सुविधा के लिए ।

(ग) जी नहीं ।

यूनियन अंगार पथरा कालियरी में दुर्घटना

*२२१. **श्री टी० बी० विठ्ठल राव** क्या श्रम मंत्री ३० सितम्बर १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५५३ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान-अधिनियम १९५२ तथा भारतीय कोयला-खान-विनियम १९२६ के उपबन्धों के उल्लंघन के कारण यूनियन अंगार पथरा कॉलियरी झरिया के प्रबन्धकों और स्वामी के विरुद्ध कोई अभियोग चलाया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या अभियोग के परिणाम तक प्रबन्धक को विलम्बित कर दिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : (क) खान के प्रबन्ध क के विरुद्ध दण्ड अभियोग चला दिया गया है। मैसर्ज़ विलियमसन मागर एण्ड को, लिमिटेड, के व्यक्तिगत संचालकों से, जो कि खान के प्रबन्ध-अभिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं, यह कारण पूछा गया है कि खान अधिनियम, १९५२ तथा भारतीय कोयला खान विनियम १९२६ की कुछेक विशेष धाराओं के उल्लंघन करने के कारण क्यों न उन पर अभियोग चलाया जाये। अगली कार्यवाही यथासमय की जायेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

समुद्रीय मछलियां

१७५. **श्री वी० पी० नायर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५०-५१ तथा १९५३-५४ इन दो वर्षों में अनुमानत: कितने प्रतिशतक समुद्रीय मछलियां पकड़ी गईं तथा शीतागार में रखने के पश्चात बेची गईं; तथा

(ख) १९५३-५४ में भारतीय रेलों द्वारा कितनी मछली यातायात के लिए शीतागारों में रखी गई ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) १९५०-५१ तथा १९५३ ५४ के वर्षों में पकड़ी गई तथा शीतागार में रखी गई मछलियों के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इन की अनुमानित मात्रा बहुत कम है। मछलियों का शीतागार में रखना व्यक्तिगत प्रबन्ध में है ।

(ख) १९५३-५४ में भारतीय रेलों के शीतागार में मछली का कोई यातायात नहीं हुआ। तथापि पश्चिमी रेल पर उस वर्ष माल और असबाब के डिब्बों में आबेधित कमरों में १५,२४३ मन मछली ले जायी गयी थी ।

नई रेलवे लाइनें

७६. **श्री अनिरुद्ध सिंह :** क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार-सरकार ने योजना अवधि में बिहार में नई रेलवे लाइनें बनाने के लिए कुछ सुझाव भेजे थे;

(ख) यदि ऐसा है, तो उन स्थानों के नाम जहां नई रेलवे लाइनें बनाई जायेंगी ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रथम योजना काल में निर्माण के लिए इन में से कोई भी सुझाव नहीं लिया जा सका है ।

रेलवे लाइनों की लम्बाई

१७७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई; तथा

(ख) प्रत्येक राज्य की रेलवे की लम्बाई का उस राज्य के क्षेत्र से अनुपात ।

रेलवे तथा परवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख) । प्रत्येक रेलवे प्रशासन की रेलवे लम्बाई के आंकड़े भारतीय रेलवे के रेलवे बोर्ड के प्रतिवेदन के द्वितीय खण्ड-सांख्यकी में प्रति वर्ष एकत्रित तथा प्रकाशित किये जाते हैं । परन्तु राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते । तथापि माननीय सदस्य का ध्यान श्री आर० एन० एस० देव द्वारा १०-१२-१९५२ को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५०८ के उत्तर में विशेषत: एकत्रित तथा दिये गये आंकड़ों की ओर दिलाया जाता है ।

घाट सेवा

१७८. **श्री एस० एन० दास :** क्या रेलवे मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पूर्वी रेलवे पर मोकामेह, भागलपुर और दिगा घाटों की वर्तमान नौका घाट सामर्थ्य;

(ख) क्या इन घाटों के सामर्थ्य को बढ़ाने के सुझावों पर सोच विचार किया गया है;

(ग) यदि किया गया है, तो उस का परिणाम क्या हुआ है;

(घ) पिछले पांच वर्षों में ये घाट अपने पूर्ण सामर्थ्य के अनुसार कितनी सेवा कर सके हैं; तथा

(ङ) इन घाटों के नौका घाट सामर्थ्य में कितनी वृद्धि करनी होगी ताकि ये घाट जहां तक कोयले, सीमेंट, पत्थर तथा लोहे का सम्बन्ध है, उत्तरी बिहार की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य बन सकें ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) (१) मोकमेह घाट—११६ विशाल लाइन के डिब्बे प्रति दिन (२) भागलपुर घाट—३० विशाल लाइन के डिब्बे प्रति दिन, (३) दीघा घाट की ओर से सीधे जाने वाले माल-यातायात के आवागमन के लिए कोई प्रबन्ध नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) तथा (घ). प्रत्याशित सामर्थ्य को दृष्टि में रखते हुए समय समय पर निर्धारित

किये गये कोटों तथा औसत दैनिक यातायात का ब्योरा नीचे दिखाया जाता है :—

यातायात के स्थान	वर्ष	सामर्थ्य (कोटा)	वास्तविक औसतन दैनिक यातायात
मोकामेह घाट	१९५०	११३	६९.१
	१९५१	११९	१००.७
	१९५२	११० से १३६	१०५.०
	१९५३	१३६ से १२१	१२०.१
	१९५४*	१३५ से ११५	१०८.९
भागलपुर घाट	१९५०	२४	१५.१
	१९५१	३०	२५.७
	१९५२	३० से ४२	३०.९
	१९५३	३९	२८.४
	१९५४*	३९ से ३०	२०.९

यह कार्य गंगानदी की परिवर्तनशील स्थिति पर निर्भर करता है।

*१९५४ में हुई अवनति जनवरी से जुलाई तक नदी की अत्यन्त प्रतिकूल अवस्थाओं के कारण हुई थी।

(ङ) मोकामेह घाट तथा भागलपुर घाट की सामर्थ्य नौपरिवहन-यातायात के बड़ी लाइन से छोटी लाइन की ओर आने जाने की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बिल्कुल अपर्याप्त है। और यह ना ही केवल बिहार में है अपितु ऐसे अन्य राज्यों में भी है जिन में इन मार्गों से काम लिया जाता है। अन्य मार्गों से आने जाने को ठीक कर दिया य है ताकि जहां तक सम्भव हो स्थिति का सुधार हो सके। वास्तविक हल यह है कि नदी की परिवर्तनशील प्रवृत्तियों के प्रभाव से रहित पर्याप्त तथा नियमित यातायात को निश्चित करने के लिए गंगा पर पुल बनाया जाये, और वह कार्य हाथ में लिया हुआ है।

चीनी के बेकार कारखाने

*१७९. **सरदार हुक्म सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि देश का चीनी उद्योग अपने सम्पूर्ण प्रस्थापित सामर्थ्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) गत पांच वर्षों से बेकार पड़े हुए कारखानों की संख्या; तथा

(ग) इन कारखानों के बेकार पड़े रहने के मुख्य कारण ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५८]

मोटर गाड़ियां

१८०. **श्री एम० एल० द्विवेदी परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाईं ओर से चलाई जाने वाली मोटर गाड़ियों के दाम दायीं ओर से चलाई जाने वाली मोटर गाड़ियों के दाम की अपेक्षा कम होते हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों के मूल्यों में कितना अन्तर है;

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बायीं ओर से चलाई जाने वाली गाड़ी के दाम, दायीं ओर से चलाई जाने वाली गाड़ी के दामों से कम होते हैं, सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि देश में सड़क

बायीं ओर चलाने के स्थान में दायीं ओर चलने की प्रथा चलाई जाय; और

(घ) संसार में ऐसे कितने देश हैं जहां गाड़ियां सड़क के दाहिनी ओर चलाने का नियम है, और क्या इस से उन्हें कोई लाभ हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) बाईं ओर से चलाई जाने वाली मोटर गाड़ियों का मूल्य दाईं ओर से चलाई जाने वाली उन मोटर गाड़ियों के मूल्य की अपेक्षा कम होता है जो ऐसे देशों में बनती हैं जहां यातायात का नियम 'दाएं चलो' है। ऐसा किसी टैक्निकल कारण से नहीं है। ऐसे देशों में निर्माण व्यवस्था मुख्यत: बाईं ओर से चलाई जाने वाली गाड़ियों के लिए निश्चित होती है। दाईं ओर से चलाई जाने वाली गाड़ियों का निर्माण उन की सामान्य कार्यविधि के बाहर होता है और चूंकि इस प्रकार की गाड़ियों की मांग उन देशों में अपेक्षाकृत कम होती है अत: इन का परिव्यय अधिक बैठता है।

(ख) यह बहुधा गाड़ी के प्रकार और निर्माताओं पर निर्भर होता है और बहुधा इस बात पर भी कि प्रत्येक श्रेणी की कितनी गाड़ियां बनाई गई हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसे देशों के नामों की एक सूची संलग्न है जिन के बारे में यह विदित है कि उन का यातायात नियम 'दाएं चलो' है अथवा 'बाएं चलो'। [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५९]। यह सूची पूर्ण नहीं है। भारत सरकार इस बात से अवगत नहीं है कि 'दाएं चलो' वाले नियम का अनुसरण करने वाले देशों को इस नियम से कोई लाभ हुआ है या नहीं।

खाद

१८१. **श्री वी० पी० नायर**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत में खाद की बड़ी मात्रा ईंधन के रूप में जला दी जाती है;

(ख) यदि ऐसा है तो प्रति वर्ष इस प्रकार जला दी जाने वाली खाद की मात्रा क्या है; तथा

(ग) सरकार ने क्या पग उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है जिस से यह खाद भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए बचाई जा सके ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) माननीय सदस्य का अभिप्राय सम्भवत: गोबर से है। यदि ऐसा है तो उत्तर सकारात्मक है।

(ख) लगभग ७ करोड़ २३ लाख टन अथवा गोबर के कुल उत्पादन का ५० प्रतिशत, सूखे भार के आधार पर।

(ग) निम्नलिखित उपाय किये जा चुके हैं :—

(१) राज्य सरकारों द्वारा पोस्टरों और पैम्फलेटों के माध्यम से प्रचार तथा प्रदर्शन किये गये हैं जिन का उद्देश्य कृषकों को गोबर की खाद के लाभ समझाना है।

(२) राज्य सरकारों को १९४४–४५ से १९५०–५१ तक इस उद्देश्य से वित्तीय सहायता दी जाती रही है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर इत्यादि से मिली जुली खाद के उत्पादन को प्रोत्साहन दे सकें

(३) देश के ईंधन सम्बन्धी संसाधनों की वृद्धि के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में

तेज़ी से उगने वाले ईंधन उपयोगी वृक्षों का लगाया जाना ।

(४) गोबर और अन्य मलमूत्रादि से जलने वाली गैस के उत्पादन के लिए प्रयोग किये जा रहे हैं । इन प्रयोगों के आधार पर एक ग्रामोपयोगी, सस्ते और अच्छे गैस संयंत्र का मौडल विस्तृत स्तर पर उत्पादन के लिए बना लिया गया है ।

रेलगाड़ी के डिब्बे

१८२. **श्री माधव रेड्डी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५४ के समय में भारत में रेलगाड़ी के कुल कितने डिब्बे बनाये गये;

(ख) ये डिब्बे बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और वे वर्ष भर में कितने डिब्बे बना सकते हैं;

(ग) इसी काल में विदेशों से कितने डिब्बे बनाये गये;

(घ) क्या पिछले कुछ वर्ष से यात्री डिब्बों का आयात बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो देश में उन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ३९२ डिब्बे ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है, जिस में यह जानकारी दी गयी है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६०]**

(ग) बैंच आदि से रहित ५८ डिब्बे ।

(घ) पुराने आर्डरों के डिब्बे अधिक मात्रा में आ रहे हैं । परन्तु यह अस्थायी बात है । पिछले पांच वर्षों में जो आर्डर दिये गय हैं उन का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६१]**

(ङ) रेलवे कारखानों में और ठेके दे कर उत्पादन बढ़ाने के लिये पहले ही कार्यवाही की जा चुकी है । पूरे डिब्बे बनाने वाले कारखाने (इन्टेग्रल कोच फैक्टरी) में १९५५ में उत्पादन प्रारम्भ हो जायगा ।

वायुयानों का आयात

१८३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो विमान निगमों ने १९५४ में कितने, किस प्रकार के और कितनी वहन सामर्थ्य के वायुयान मंगाये हैं; और

(ख) इन वायुयानों पर कितना खच हुआ है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) (क) भारतीय विमान निगम ने १९५४ में कोई वायुयान बाहर से नहीं मंगाया । एयर इण्डिया इन्टरनैश्नल निगम ने १९५४ में १०४५-सी टाइप के दो लॉकहीड सुपर कान्स्टलेशन वायुयान मंगाये । इन वायुयानों को साधारण वायुयानों और पर्यटकों के ले जाने वाले वायुयानों के अनुरूप बनाया गया है । इन में माल और डाक के अतिरिक्त ७१ यात्री (४० पर्यटक और ३१ दूसरे) आ सकते हैं ।

(ख) इन दो वायुयानों का मूल्य, अतिरिक्त इंजनों, बिजली बनाने वाली मशीनों और अन्य पुर्जों सहित लगभग ३ करोड़ ४ लाख रुपये था ।

रेलवे कुली

१८४. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय रेलों में लाइसेंस प्राप्त कुलियों को क्या क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : भारतीय रेलों में काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त कुलियों को प्रतिवर्ष दो वर्दियां दी जाती हैं जिन में दो कमीजें होती हैं। उन्हें रेलवे अस्पतालों और दवाखानों में मुफ्त इलाज कराने की सुविधा भी प्राप्त है ।

उन से थोड़ा सा पैसा सुरक्षा धन के रूप में ले कर, जो कि लौटाया जाता है, बिल्ले और बक्सुए भी दिये जाते हैं ।

उन्हें थोड़ी सी लाइसेंस फीस देनी पड़ती है जो "न लाभ न हानि" के आधार पर खर्च की जाती है । वह वर्दियों की लागत और अधीक्षक वर्ग पर होने वाले खर्च के लिये होती है ।

जब तक उन का काम सन्तोषजनक रहे उन की नौकरी सुरक्षित रहती है ।

उन्हें रेलवे का जो भी काम करना पड़ता है उस के लिये उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाता है ।

आम तौर पर स्थिति यही है परन्तु कुछ स्टेशनों पर कुलियों को अस्थायी रूप से रखने की पद्धति समाप्त करने की योजना लागू नहीं की गई है ।

रेडियोफोन का प्रबन्ध

१८५. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने स्थानों में रेडियोफोन सर्विस प्रारम्भ कर दी गयी है; और

(ख) सरकार किस समय तक यह सर्विस देश के बड़े बड़े शहरों में प्रारम्भ कर देगी ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ४३.

(ख) यह बात विचाराधीन है ।

अंशदान स्वास्थ्य योजना

१८६. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) अंशदान स्वास्थ्य योजना के अधीन प्रत्येक केन्द्र में लेडी डाक्टरों सहित कितने डाक्टर रखे गये हैं;

(ख) अन्य कर्मचारियों अर्थात् कम्पाउंडरों, नर्सों, चपरासियों आदि की संख्या कितनी है;

(ग) क्या प्रस्तुत कर्मचारी रोगियों के लिये पर्याप्त हैं;

(घ) क्या पुरानी पद्धति, जिस के अनुसार इलाज पर हुआ खर्च सरकार देती थी, अभी तक चालू है; और

(ङ) यदि हां, तो यह कर्मचारियों के किस भाग या श्रेणी पर लागू होती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) तथा (ख). एक विवरण, जिस में यह जानकारी दी हुई है, सभा पटल पर रखा जाता है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६२]

(ग) अभी तक तो है ।

(घ) और (ङ). पुरानी पद्धति केन्द्रीय सरकार के उन सब कर्मचारियों पर लागू होती है जो नयी दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समितियों, सिविल स्टेशन, दक्षिणी नई दिल्ली, किला और दिल्ली छावनी की सीमाओं के बाहर रहते हैं ।

डीज़ल रेल-कारें

१८७. **श्री गिडवानी** : क्या **रेलवे** मंत्री १७ सितम्बर, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०८८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के अतिरिक्त अन्य रेलों के छोटी लाइन वाले भागों पर डीज़ल रेल-कारें प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो किन किन भागों पर;

(ग) यह प्रस्ताव कब तक कार्यरूप में परिणत होगा; और

(घ) १९५४–५५ में इस काम के लिये कितनी राशि स्वीकार की गयी है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, दक्षिण रेलवे पर।

(ख) त्रिचनापली–लालगुडी,

त्रिचनापली–पुदुकोट्टाई–काराकुड़ी, और

त्रिचनापली–मायावरम भागों पर।

(ग) दिसम्बर, १९५४ में किसी समय।

(घ) छोटी लाइन की २४ रेल-कारों पर खर्च के लिये ३७,२०,००० रुपये की स्वीकृति दी गयी है।

गोदाम

१८८. **श्री मगन लाल बागड़ी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंच वर्षीय योजना के अधीन रक्षित खाद्य गोदाम बनाने के लिये कुल कितनी राशि रखी गयी है;

(ख) ३० सितम्बर, १९५४ तक कितनी राशि खर्च की गयी;

(ग) कितने गोदाम बनाये गये हैं और इन में कितना अनाज आ सकता है;

(घ) क्या यह सच है कि इन के बनाने का काम बहुत धीरे-धीरे हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सरकार ने फरवरी, १९५४ के अन्त में निश्चय किया था कि अनाज का एक केन्द्रीय रिज़र्व बनाया जाय। इस के अनुसार अनाज के बाहुल्य वाले और कमी वाले क्षेत्रों के लिए रक्षित गोदाम बनाने की योजना तैयार की गई है और मार्च, १९५६ तक इसे लागू करने के लिये सिद्धान्त रूप में १० करोड़ रुपये के खर्च की मंजूरी दी गई है।

(ख) ३० सितम्बर, १९५४ तक मामूली खर्च हुआ है क्योंकि इस योजना को लागू करने के प्रारम्भिक प्रक्रमों में नहीं के बराबर ही खर्च हुआ है।

(ग) इस योजना के अधीन अभी तक कोई गोदाम नहीं बनाया गया परन्तु इन गोदामों में, जब ये बन जायेंगे, लगभग १३ लाख टन अनाज रखा जा सकेगा।

(घ) जी नहीं। केन्द्रीय रिज़र्व में लम्बे समय के लिए अनाज रखने की इस योजना को लागू करने के लिए, केन्द्रों और गोदामों के लिये स्थानों को बड़ी सावधानी से, सक्षम अधिकारियों जैसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, राज्य सरकारों और दूसरों से आवश्यक टेक्नीकल परामर्श प्राप्त कर के ही चुना जा सकता है। इन स्थानों को चुनने के बाद ही योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इस योजना को लागू करने के सभी पहलुओं—जैसे गोदामों के लिये स्थानों का चुनना, उन्हें प्राप्त करना, उन के बनाने के लिये सामान पहुंचाने का प्रबन्ध आदि—पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। और निश्चित तिथि अर्थात मार्च १९५६ के अन्त तक इन के निर्माण का काम पूरा करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(ङ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

राजस्थान का रेगिस्तान

१८९. **श्री एस० एन० दास** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान की मरुभूमि में वृक्षारोपण के सम्बन्ध में सलाह

देने के लिए खाद्य और कृषि संगठन के किसी विशेषज्ञ को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो उस की नियुक्ति के निबन्धन और शर्तें क्या हैं; और

(ग) उस ने इस सम्बन्ध में कैसी सिफारिशें की हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य और कृषि संगठन द्वारा वह विशेषज्ञ हमें तीन महीने के लिए निम्न शर्तों और निबन्धनों पर दिया गया है :—

(१) नियुक्ति-अवधि में २५ रुपये प्रतिदिन की दर से स्थानीय निर्वाह-व्यय का भुगतान;

(२) स्थानीय निर्वाह-व्यय पर आयकर के भुगतान की मुक्ति;

(३) प्रार्थना पर उस के लिए रहने का मकान ढूंढने में सहायता;

(४) मुख्यालय से बाहर भारत में सरकारी दौरे में यातायात व्यय और नई दिल्ली से जोधपुर जाने और फिर दिल्ली वापस आने की प्रारम्भिक यात्रा के वास्तविक खर्चों का भुगतान । उसे वायुयान का किराया या रेल का प्रथम श्रेणी का किराया तथा आवास से हवाई अड्डे या रेलवे स्टेशन तक और लौटते समय का वास्तविक टैक्सी किराया और मुख्यालय से बाहर किसी भी पड़ाव पर २० रुपये प्रतिदिन तक का टैक्सी किराया मिलेगा ;

(५) कार्यालय की पर्याप्त सुविधायें, कार्यालय के सामान की पूर्ति और दौरे के समय के सभी सरकारी कामों के सम्बन्ध में सरकारी संचरण-व्यय जिन में तार, टेलीफोन आदि के व्यय सम्मिलित हैं, का उपबन्ध किया जायेगा;

(६) ऐसी शिल्पिक और सचिवालय-सम्बन्धी सहायता, अनुवादक और दुभाषिये की सेवायें और इसी प्रकार की अन्य सहायतायें जो उस की कर्तव्यपूर्ति में आवश्यक हों, का उपबन्ध किया जायेगा; और

(७) वैसी ही चिकित्सा-सेवाओं और सुविधाओं को उपलब्ध किये जाने का उपबन्ध किया जायगा जैसी सरकार के अन्य असैनिक कर्मचारियों को प्राप्त है ।

(ग) अभी तक उस ने कोई सिफारिश नहीं की है ।

रेलवे इंजिन

१९०. श्री साधन गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका के हैमिल्टन कारपोरेशन को कितने रेलवे इंजनों के लिए आदेश दिया गया है; और

(ख) ऐसे प्रत्येक इंजन का मूल्य क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). सरकार को कोई सूचना नहीं है । आदेश देने का निश्चय संयुक्त राज्य टेकनिकल कारपोरेशन मिशन अधिकारियों पर निर्भर है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये पास

१९१. पंडित डी० एन० तिवारी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को कोई स्थायी पास दिये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या जिन लोगों को यह पास दिये जाते हैं उन को अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करने पड़ते हैं और चित्र देने पड़ते हैं?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) सरकारी काम सम्बन्धी यात्रा के समय रेलवे कर्मचारियों को या तो चेक या कार्ड या धातु के पास दिये जाते हैं। चेक पास रुक रुक कर की जाने वाली यात्राओं के लिए जायज़ होते हैं। कार्ड पास केवल विशेष अवधियों के लिए प्रदान किये जाते हैं, जो सामान्यतया एक वर्ष के लिए होते हैं। धातु के बने पास अधिकारियों को दिये जाते हैं और वह तब तक उन का उपयोग करते हैं जब तक वह अपने पद पर आरूढ़ रहते हैं।

रेलवे कर्मचारियों को विशेष कारणों से यात्रा करने के हेतु थोड़े से चेक पास प्रतिवर्ष दिये जाते हैं और प्रत्येक पास, उस पर अंकित स्टेशनों तक और वहां से वापिस केवल एक यात्री के लिए ही नियमित समझा जाता है।

(ख) रेलवे कर्मचारियों को जो पास दिये जाते हैं उन पर न तो उन को अपने हस्ताक्षर प्रमाणित कराने पड़ते हैं और न चित्र देना पड़ता है।

रेलवे दुर्घटनाएं

१९२. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५४ तक की अवधि में निम्न कारणों से रेलवे पर हुई मृत्युओं की संख्या क्या है :—

(१) छतों से गिर कर;

(२) प्लेटफार्म की छतों की चोटों से;

(३) पावदानों से गिरकर;

(४) स्टेशन के अहाते में या उस से बाहर इंजनों से दबकर; और

(ख) जनता को छतों पर और पावदानों पर यात्रा करने से रोकने में कितनी सफलता मिली ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मांगी गई सूचना का एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८]

(ख) रेलवे ने आवश्यक निरोधक उपायों को कार्यान्वित किया है और उन्हें इस दिशा में कुछ सफलता मिली है।

भारतीय डाक-प्रणाली

१९३. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ में भारतीय डाक-प्रणाली का फैलाव कुल कितने मील था; और

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५३ तक हरकारे कुल कितने मील क्षेत्र में जाते थे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) ३१ मार्च, १९५३ को भारतीय डाक-प्रणाली का मार्ग-फैलाव २,०७,४४७ मील था और ३१ मार्च, १९५४ को २,२०,०७६ मील था।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५३ तक हरकारे कुल ८७,०५४ मील क्षेत्र में जाते थे।

यात्रियों की सुविधाओं के लिए धन राशि

१९४. **श्री डाभी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे को वर्ष १९५३–५४ में यात्रियों की सुविधाओं के लिए जो वार्षिक धन राशि दी गयी थी, अभी पूरी खर्च नहीं हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि १९५३-५४ की अवधि में जो धनराशि व्यय की गयी है, उस में से एक बड़ा भाग नये स्टेशनों के निर्माण अथवा पुराने स्टेशनों को नवस्वरूप देने में व्यय किया गया है; और

(ग) यदि उक्त (क) और (ख) भागों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो उन के कारण क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) से (ग). पश्चिम रेलवे को यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्ष १९५३–५४ में कितनी धनराशि दी गयी थी और उस में से वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गयी इस का विवरण १०–९–५४ को अतरांकित प्रश्न संख्या ३३० के उत्तर में माननीय सदस्य को दिया गया था ।

नये स्टेशनों के निर्माण में कुछ भी धन व्यय नहीं किया गया । यात्रियों की सुविधाओं पर किये गये ३९·०८ लाख के वास्तविक व्यय में से १८·३४ लाख रुपये यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्तमान स्टेशनों के भवनों के पुनर्निर्माण या नवस्वरूपन, प्रतीक्षालयों के निर्माण या विस्तार, ऊंची श्रेणियों के प्रतीक्षालयों को बनाने या उन में सुधार करने, विश्रामकक्ष बनवाने, प्लेटफार्मों के विस्तार करने या उन्हें ऊंचा करने, अच्छे शौचालय बनाने, असफाल्त के प्लैटफार्म बनाने, स्टेशन तक पहुंचाने वाली सड़क बनाने, बेंच बनाने और तार से सीमा बनाने, आदि पर व्यय किये गये हैं । निश्चित की गयी सम्पूर्ण राशि मुख्य रूप से इसलिए खर्च नहीं की जा सकी क्योंकि विस्तृत योजनाओं और आकलनों के निश्चय और सामग्री के प्राप्त होने में विलम्ब हुआ ।

सड़क यातायात का राष्ट्रीय करण

१९५. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री इब्राहीम :
श्री तुषार चटर्जी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को निदेश दिया है कि वे १९६१ तक सड़क यातायात का राष्ट्रीयकरण न करें; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या कारण है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) योजना आयोग ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि सड़क भाड़ा सेवाओं के राष्ट्रीयकरण की योजनाओं को योजना में सम्मिलित करने का विचार १९६१ तक अर्थात द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त तक नहीं किया जायेगा । यात्री सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने के इच्छक राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे योजना में सम्मिलित करने के लिए योजना आयोग के विचारार्थ सक्षेत्र कार्यक्रम १९६०-६१ तक तैयार करें जिन में प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण के क्षेत्रों की स्पष्ट परिभाषा दी गई हो ।

(ख) इन सिफारिशों के पीछे मुख्य उद्देश्य यह छिपा है कि राज्य सरकारों के सीमित साधनों को एक अधिक महत्वपूर्ण प्रकार की परियोजनाओं के लिए सुरक्षित रखा जाय और सड़क यातायात जैसे उपक्रमों के विकास को गैर सरकारी उद्योगों पर छोड़ दिया जाय जहां, यदि ऐसे विकास के लिए सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण किया जाय तो, आवश्यक वित्त के उपलब्ध होने की आशा हो ।

सामान्यकालीन और दीर्घकालीन ऋण

१९६. **श्री सी० आर० चौधरी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा १९५४–५५ में कृषकों को वितरित करने के लिए **आंध्र** राज्य को सामान्य और दीर्घ कालीन ऋण के रूप में अब तक कितनी धन राशि दी गयी है; और

(ख) अब तक आंध्र राज्य कितनी राशि का उपयोग कर चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) केन्द्रीय सरकार ने विशेष सामान्य और दीर्घ कालीन ऋण के अन्तर्गत २० लाख रुपये निश्चित किये हैं। जहां तक भारत सरकार को पता है, अब तक भारत के रिज़र्व बैंक द्वारा कोई भी राशि निश्चित नहीं की गई है ।

(ख) अभी तक कोई धनराशि न तो स्वीकृत हुई है और न उपयोग में लाई गयी है। आंध्र सरकार के प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

मछली पालन

१९७. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने मछली पालन को प्रोत्साहन देने के लिए कितना धन व्यय किया;

(ख) उन राज्यों के क्या नाम हैं, जिन्होंने मछली पालन प्रारम्भ कर दिया है;

(ग) वे केन्द्र से किस प्रकार की सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) विभिन्न प्रकार की मछलियों के अच्छे बच्चों को इकट्ठा करने के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है; और

(ङ) क्या यह सच है कि अभी हाल में मछलियों के मूल्य में कमी हो गयी है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधिक अन्न उपजाओ (मछलीपालन) योजनाओं के अन्तर्गत दी गयी सहायता का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६३]

(ग) वित्तीय सहायता देने के अतिरिक्त शिल्पिक परामर्श, मछली के बच्चों का संभरण और सड़क यातायात सुविधाओं आदि के रूप में भी सहायता दी जाती है ।

(घ) मछली के अच्छे बच्चों के प्राप्त करने के साधनों का सर्वेक्षण करने में राज्य सरकारों की प्रार्थना पर उन्हें शिल्पिक परामर्श और सहायता दी जाती है ।

इसी बीच, द्वीप-मछलीपालन गवेषणा का केन्द्रीय स्टेशन मछलियों की चुनी हुई जातियों के अच्छे अच्छे बच्चों का संभरण राज्य सरकारों को करता है ।

(ङ) जी हां, कुछ सीमा तक ।

रेलवे कर्मचारी

१९८. सेठ गोविन्द दास : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अक्तूबर, १९५४ को विभिन्न रेलों पर टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) उन में से कितने ऐसे हैं जो चलती गाड़ी में काम नहीं करते; और

(ग) क्या कारण है कि गाड़ियां चलाने वाले कर्मचारियों को मील के अनुसार भत्ता मिलता है जबकि टिकट चेक करने वाले कर्मचारियों को केवल दैनिक भत्ता ही दिया जाता है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६४]

(ग) गाड़ी चलाने वाले कर्मचारियों को मील के अनुसार भत्ता इसलिए दिया जाता है, कि वह गाड़ी चलने के कामों से प्रत्यक्ष रूप में सम्बन्धित काम करते हैं । टिकट चेक करने वाले कर्मचारी ऐसा काम नहीं करते, बल्कि या तो चलती गाड़ियों में या रेलवे स्टेशन पर केवल टिकट चेक करते हैं ।

बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पुल

१९९. **सेठ गोविन्द दास :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर तथा अक्तूबर १९५४ में अत्यधिक वर्षा के कारण कितने पुलों को क्षति पहुंची; और

(ख) उन की मरम्मत पर कितना खर्च होने का अनमान है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). रेलवे प्रशासनों से सूचना मांगी जा रही है, मिलने पर यथाशीघ्र सदन में रखी जायगी ।

रेलवे भूमि

२००. **श्री जेठालाल जोशी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजकोट में भक्तिनगर स्टेशन के निकट रेल की लाइनों को फिर से मिलाने के लिए कितने एकड़ भूमि अर्जित की गई है; और

(ख) भूमि के स्वामियों को कितनी र शि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ९२ एकड़ ।

(ख) लगभग १,५५,००० रुपये ।

चीनी की खपत

२०१. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष १ अप्रैल से ३० सितम्बर तक जो चीनी खर्च हुई थी उस की अपेक्षा इस वर्ष इसी अवधि में चीनी का खर्च कुछ बढ़ गया है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : जी हां । गत वर्ष की अपेक्षा इस अवधि में अर्थात १ अप्रैल से ३० सितम्बर, १९५४ तक मिलों से स्वदेशी चीनी तथा बन्दरगाहों से आयातित चीनी ५६,००० टन अधिक आई है।

उड़ीसा में नल-कूप

२०२. **श्री सारंगधर दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में कितने नलकूप उड़ीसा राज्य में लगाये जायेंगे;

(ख) इस के लिए कुल कितना धन नियत किया गया है; और

(ग) उस में से कितना धन अब तक व्यय हो चुका है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) एक भी नहीं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

उड़ीसा में जूट की खेती

२०३. **श्री सारंगधर दास :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में १९५३-५४ में प्रति एकड़ जूट का औसतन उत्पादन कितना हुआ है;

(ख) क्या वर्ष १९५१-५२ तथा १९५२-५३ की अपेक्षा उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है ?

(ग) क्या गत वर्षों की अपेक्षा इस की किस्म में कोई सुधार हुआ है; और

(घ) इस की किस्म को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) लगभग २·२० गांठें प्रति एकड़ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अभी तक नहीं ।

(घ) 'जूट की किस्म को सुधारने के लिए राज्य सरकार निम्न कार्यवाही कर रही है :—

(१) अच्छी किस्म के जूट के बीजों का वितरण ।

(२) जूट सड़ाने के लिए तालाबों का निर्माण ।

(३) जूट की खेती करने के लिए सुधार करने वाले तरीक़ों का जारी करना (जैसे पंक्तिबद्ध बोआई तथा बोने वाली मशीनों और पहियों पर चलने वाली द्रान्तियों से घास निकालना) और जूट सड़ाने के तरीक़ों में सुधार करना, रेशों का निकालना एवं उन को तैयार करना ।

सड़क परिवहन संगठन सम्मेलन

२०४. **श्री मगन लाल बागड़ी** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य परिवहन उपक्रमों के अध्यक्षों का जो सम्मेलन हैदराबाद में १८ तथा १९ अक्तूबर, १९५४ को हुआ था उस म किन किन राज्यों ने भाग लिया था; और

(ख) उस सम्मेलन में क्या निर्णय हुए ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) आंध्र तथा आसाम, हिमाचल प्रदेश, और जम्मू तथा काश्मीर को छोड़कर अन्य सभी भाग क तथा ख राज्यों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था ।

(ख) सम्मेलन में दैनिक कार्य संचालन तथा श्रम सम्बन्धी बहुत सी समस्याओं के बारे में विचार किया गया । जैसे ही इस सम्मेलन की कार्यवाही अंतिम रूप से तैयार होगी, वैसे ही उसे संसद् के पुस्तकालय में रखा जायगा ।

परिवहन सम्बन्धी सुविधायें

२०५. **श्री आर० के० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राणाघाट से यात्रियों तथा माल को सीधा आसाम भेजने के लिए राणाघाट-गोलोकगंज रेलवे लाइन को प्राप्त करने के लिए—कम-से-कम आसाम रेल सम्पर्क के खराब रहने तक—कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए पाकिस्तान सरकार से कोई प्रार्थना की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) तथा (ख). जी नहीं । राणाघाट से गोलोकगंज जाने के लिए ई० बी० रेलवे (पाकिस्तान) द्वारा होकर जाना पड़ता है और वहां का टिकट नहीं मिलता । आसाम रेल सम्पर्क की खराबी के कारण जो माल तथा पार्सल रुक गये थे, उन को रेल तथा नदी के मार्ग से भेजने का प्रबन्ध किया गया था । आसाम रेल सम्पर्क पर १३ नवम्बर, १९५४ से फिर से काम होने लगा है ।

सुगवाड़ा में टेलीफोन का सार्वजनिक कार्यालय

२०६. **श्री भीखाभाई** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुगवाड़ा में टेलीफोन का सार्वजनिक कार्यालय कब तक खुल जायगा; और

(ख) वहां सार्वजनिक कार्यालय खोलने में देरी का क्या कारण है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तथा (ख) सगवाड़ा में, जो कि एक मध्यस्थ स्टेशन है, टेलीफोन का सार्वजनिक कार्यालय खोलने के लिए टेलीफोन की दोहरी लाइन डालने से पूर्व बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के बीच भूतपूर्व राज्य की लाइन के पुनर्निर्माण की

आवश्यकता है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस कार्य के प्रारम्भ होने की संभावना है।

राजस्थान के लिए डाक तथा तार कार्यालय

२०७. **श्री भीखाभाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में राजस्थान में, कितने डाकघर, तारघर, संयुक्त डाक तथा तार घर और टेलीफोन कार्यालय खोलने का विचार है ; और

(ख) किन किन स्थानों पर ये खोले जायेंगे ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)

डाकघर	४२०
विभागीय तार घर	कोई भी नहीं
संयुक्त डाक तथा तार घर	४०
सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	२८

(ख) अब तक जो संयुक्त कार्यालय तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोले गये हैं, उन की सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। **[देखिये** परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६५]। वर्ष के शेषांश में ये नये कार्लालय कहां कहां खोले जायेंगे, इस के बारे में तो वास्तव में तभी पता चलेगा जब कि इन के बारे में पूरी जांच हो जायेगी।

दूर-संचार

२०८. **श्री भीखाभाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांसवाड़ा का एक ओर तो रतलाम से तथा दूसरी ओर उदयपुर से टेलीफोन द्वारा स्थायी तौर पर सम्बन्ध जोड़ दिया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो यह कार्य कब पूरा होगा ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी नहीं।

(ख) रतलाम-बांसवाड़ा का कार्य प्रगति पर है और ३१ दिसम्बर, १९५४ तक उस के पूरा होने की संभावना है। जहां तक बांसवाड़ा–उदयपुर के बीच दूर-संचार का सम्बन्ध है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच भूतपूर्व राज्य की लाइन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है जिस के आगामी वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ किये जाने की संभावना है।

बांसवाड़ा ज़िले में टेलीफोन

२०९. **श्री भीखाभाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा बांसवाड़ा क्षेत्र संचार प्रशासन को हथियाने से पूर्व बांसवाड़ा ज़िले के किन किन स्थानों में टेलीफोन की सुविधाएं थीं;

(ख) बाजीड़ोरा, बडोदिया, घंटोला, गढ़ी, कीसलगढ़, सल्लोपट तथा शेरगढ़ में टेलीफोन व्यवस्था को समाप्त करने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या इन स्थानों पर फिर से टेलीफोन लगाने के प्रश्न पर सरकार जांच कर रही है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) बांसवाड़ा, कलिनजीरा, दानपुर, बड़ोदिया और पड़तापुर।

(ख) केवल बड़ोदिया में ही टेलीफोन की सुविधायें थीं और व्यवस्था को हाथ में लेने पर जब यह देखा गया कि यह अलाभकारी है तो, इस को बंद कर दिया।

(ग) यदि जनता की ओर से इन स्थानों में टेलीफोन लगाने की मांग की गई तो इस प्रश्न की जांच की जायगी

फसलों को हानि

२१०. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में और विशेषत: बीकानेर तथा जोधपुर खंडों, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, में १९५४ में टिड्डियों ने फसलों को कितनी हानि पहुंचाई है; और

(ख) १९५४ में टिड्डी-विरोधी कार्यवाहियों पर कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) राजस्थान में १९५४ में टिड्डियों ने फसलों को कितनी हानि पहुंचाई है इस के बारे में विस्तृत रूप से अभी पता नहीं लगा है। अगस्त के अंत तक तो न होने के बराबर हानि हुई थी। उड़ते हुए टिड्डी दलों के परिणामस्वरूप हुई कुछ हानि की सूचना तो मिली थी किन्तु कितनी हानि हुई इस के आंकड़े अभी तक अप्राप्य हैं।

(ख) राजस्थान के अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों में तो भारत सरकार द्वारा तथा कृषियोग्य क्षेत्रों राजस्थान सरकार द्वारा टिड्डी विरोधी कार्यवाही की जाती है। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के व्यय सम्बन्धी विस्तृत आंकड़े अभी तक अप्राय हैं क्योंकि वे अभी तक तैयार नहीं हैं। किन्तु फिर भी ऐसा अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानत: १८ लाख रुपये व्यय होंगे।

चीनी उद्योग के लिये विकास परिषद्

२११. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि सरकार चीनी उद्योग की विकास परिषद् की सिफारिशों के प्रकाश में कितनी अवधि तक देश को स्वावलम्बी बनाना चाहती है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): विकास परिषद् द्वारा ९ अगस्त, १९५४ को नियुक्त उपसमिति के प्रतिवेदन पर परिषद् अपनी आगामी बैठक में, जो कि दिसम्बर के किसी सप्ताह में होने वाली है, विचार करेगी। किन्तु सरकार ने पहिले ही चीनी तथा गन्ने के उत्पादन की वृद्धि करने के उपाय प्रारम्भ कर दिये हैं जिस से विदेश यथासम्भव शीघ्रता से स्वावलम्बी बन सके। अच्छी कृषि का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया गया है। नलकूपों के द्वारा उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिये अच्छी सुविधायें दी जा रही हैं तथा इस उद्योग के लिये ४·५ लाख टन की अतिरिक्त क्षमता की अनुज्ञप्ति दी जा चुकी है। आशा है कि यदि पहिले नहीं तो आगामी तीन चार वर्षों में हम उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे।

कोयले की खानों के लिये चिकित्सालय

२१२. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला निकालने के उद्योग के विभिन्न प्रदेशों में वर्ष १९५३–५४ में कुल कितने कोयला खनिक काम पर रहे थे;

(ख) उन प्रदेशों के नाम जिन के अपने अस्पताल हैं;

(ग) उन प्रदेशों के नाम जहां अस्पतालों के निर्माण का कार्य चल रहा है;

(घ) उन प्रदेशों के नाम जहां अस्पताल-निर्माण का प्रस्ताव किया है ?

श्रम मंत्री (श्री० के० के० देसाई) : (क) वर्ष १९५३ में भारत के विभिन्न राज्यों में कोयले की खानों में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित थी :

बिहार	१,७९,०००
पश्चिमी बंगाल	९५,७००
मध्य प्रदेश	३२,२००
हैदराबाद	१५,८००
विंध्य प्रदेश	७,६००
उड़ीसा	६,०००
आसाम	४,७००
राजस्थान	२००
कुल जोड़	३,४१,२००

(ख) (१) कोयला खान कल्याण निधि ने निम्नलिखित स्थानों पर अस्पताल स्थापित किये हैं :—

बिहार—

क. **झरिया कोयला-क्षेत्र—**

१. जगजीवन नगर में १८० शैयाओं का केन्द्रीय अस्पताल;

२. कटरस में १८ शयाओं का प्रादेशिक अस्पताल;

३. तिस्रा में १८ शयाओं का प्रादेशिक अस्पताल;

४. कटरस में ९ शैयाओं का क्षयरोग चिकित्सालय;

५. भूली उपनगर में एक दवाखाना।

ख. **मुगमा कोयला-क्षेत्र—**

कपासरा में एक दवाखाना।

पश्चिमी बंगाल—

रानीगंज कोयला-क्षेत्र—

१. चोरा में १८ शैयाओं का एक प्रादेशिक अस्पताल;

२. सियरसोल में १८ शैयाओं का एक प्रादेशिक अस्पताल;

३. सियरसोल में ९ शैयाओं का एक क्षयरोग चिकित्सालय।

(२) विभिन्न राज्यों में कोयला-खदान के स्वामियों द्वारा स्थापित दवाखानों/अस्पतालों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना निम्न में दी जाती है :—

कोयला-क्षेत्र का नाम	उन कोयला-खदानों की संख्या जहां अस्पताल/दवाखाने चल रहे हैं।
क. बिहार—	
१. झरिया कोयला-क्षेत्र	१४७
२. मुगमा ,,	२०
३. बोकारो कोयला-क्षेत्र	७
४. करनपुरा ,,	८
५. हज़ारीबाग ,,	२
६. गिरिडीह ,,	३
ख. पश्चिमी बंगाल—	
रानीगंज कोयला-क्षेत्र	११२
ग. उड़ीसा—	
१. सम्बलपुर कोयला-क्षेत्र	१
२. तालचेर ,,	३
घ. मध्य प्रदेश—	
पेंच घाटी कोयला-क्षेत्र	१७
कोरिया	९
ङ. विंध्य प्रदेश—	
रीवा कोयला-क्षेत्र	५
च. हैदराबाद	३
छ. आसाम—	
खासी जयन्तिया नागा पहाड़ियां कोयला-क्षेत्र	९
डाल्टन गंज कोयला-क्षेत्र	१
हुतार ,,	१
कुल जोड़	३४८

(ग) कोयला खान श्रम कल्याण निधि द्वारा निम्नलिखित अस्पताल बनाये जा रहे हैं :

पश्चिमी बंगाल—

रानी गंज कोयला-क्षेत्र—

कल्ला (आसन सोल) में १६० शैयाओं का एक केन्द्रीय अस्पताल।

मध्य प्रदेश—

पैंच घाटी कोयला-क्षेत्र

जगाई में ३० शैयाओं का प्रादेशिक अस्पताल ।

विन्ध्य प्रदेश—

धनपुरी में ३० शैयाओं का एक प्रादेशिक अस्पताल ।

(घ) निम्नलिखित स्थानों में कोयला खान श्रम कल्याण निधि के अस्पतालों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है

बिहार—

क. बोकारो कोयला-क्षेत्र

एक ५० पलंग वाला प्रादेशिक अस्पताल ।

ख. करनपुरा-रायगढ़ कोयला-क्षेत्र ३० शैयाओं का एक प्रादेशिक अस्पताल

ग. कराची स्थित रामकृष्ण मिशन रुग्णालय में ३० शैयाओं का टी० बी० वार्ड ।

मध्य प्रदेश—

कोरिया कोयला-क्षेत्र

३० पलंग वाला एक प्रादेशिक अस्पताल

उपर्युक्त सूचना में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल शामिल नहीं हैं । तथा कोयले खदान मालिकों, राज्य सरकारों द्वारा निर्मित किये जाने वाले अथवा प्रस्तावित अस्पताल भी शामिल नहीं हैं ।

केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन

२१३. श्री आर० एन० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन द्वारा कितनी भूमि का राज्यवार उद्धार किया गया; और

(ख) वह भूमि, राज्यवार कितने एकड़ है जिस पर तब से खेती की गई है ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : (क) सूचना निम्नलिखित है :—

उत्तर प्रदेश	२,७०,५०२ एकड़
मध्य प्रदेश	४,१९,८३७ ,,
मध्य भारत	२,६८,१५१ ,,
भोपाल	३,०१,१९० ,,
पंजाब	१३,५२१ ,,
	१२,७३,२०१ एकड़

(ख) इस कृषियोग्य बनाये गये लगभग सारे क्षेत्र में कृषि होती है ।

भारतीय जहाज

२१४. श्री आर० एन० सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ के बाद से अब तक कितने भारतीय जहाज़ डूबे हैं;

(ख) वे कहां कहां डूबे हैं; और

(ग) उन में से कितने जहाजों का उद्धार किया गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख).

१. एम० एस० 'दीपावली'	बम्बई पत्तन-क्षेत्र के अन्दर
२. एस० एल० 'लक्ष्मी'	बम्बई पत्तन-क्षेत्र के अन्दर
३. एम० एफ० वी० 'कुमुद'	बम्बई में कोलाबा से परे
४. एस० एस० 'बंगबोर'	हुगली नदी

५. एस० एस० 'रामदास'	बम्बई पत्तन से परे
६. एस० टी० 'ग्रैमपस'	विशाखापटनम पत्तन में
७. एस० टी० 'चियरफुल'	बल्लार्ड पायर, बम्बई
८. एस० एस० 'जानकी'	बम्बई में खंडेरी द्वीप के प्रकाशस्तम्भ से ६ मील परे

(ग) तीन ।

टेलीफोन का निर्माण

२१५. **श्री इब्राहीम :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना के अधीन टेलीफोन तथा स्वयंचालित एक्सचेंज लाइनों के उत्पादन का क्या लक्ष्य है; और

(ख) इन लाइनों की प्राप्ति कहां तक हुई है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना का विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

वर्ष	मूल लक्ष्य	पुनरीक्षित लक्ष्य	वास्तविक निर्माण
	टेलीफोन		
१९५१–५२	२५,०००	२५,०००	२१,०४९
१९५२–५३	२५,०००	२७,०००	२२,४४४
१९५३–५४	२५,०००	४०,०००	४०,९५२
१९५४–५५	२५,०००	५०,०००	२९,३७५ (अक्तूबर १९५४ तक)
१९५५–५६	२५,०००	६०,०००	—
	एक्सचेंज लाइनें		
१९५१–५२	—	—	३,०००
१९५२–५३	—	११,०००	८,०००
१९५३–५४	—	१५,६००	१५,६००
१९५४–५५	—	३०,०००	१६,५०० (अक्तूबर १९५४ तक)
१९५५–५६	२०,०००	३५,०००	—

श्रीलंका का रेलवे शिष्ट मंडल

२१६. **श्री गिडवानी :**
श्री बहादुर सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका के रेलवे शिष्ट-मंडल की, जिस ने कुछ समय पूर्व इस देश की यात्रा की थी, यात्रा का क्या प्रयोजन था;

(ख) क्या भारतीय रेलवे अधिकारियों के एक दल को श्रीलंका में भेजने का निर्णय किया गया है; तथा

(ग) यदि हां, तो वे कब भेजे जायेंगे ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) लंका के रेलवे शिष्ट-मंडल की यात्रा सद्भावना मंडल तथा भारतीय रेलों के कार्य का अध्ययन करने के रूप में थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्रम समझौता पदाधिकारी, उड़ीसा

२१७. **श्री लक्ष्मीधर जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एक श्रम समझौता पदाधिकारी नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो किस अवधि तक वह वहां रहा है;

(ग) क्या वह अब भी वहां है; तथा

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) :(क) और (ख). एक पदाधिकारी को लगभग तीन वर्ष के लिये उड़ीसा में रखा गया था ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) मितव्ययता के लिये इस पद को मई १९५४ में उड़ा दिया गया क्योंकि पूरे समय काम करने वाले समझौता पदाधिकारी के योग्य वहां काम नहीं था। समझौता पदाधिकारी, आसनसोल के अधिकार-क्षेत्र को उड़ीस तक बढ़ा दिया गया है ।

चाय मजदूरों की मृत्यु

२१८. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की पश्चिमी बंगाल समिति से कोई ऐसा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में उन सहस्रों मज़दूरों की मृत्यु का उल्लेख है जो पश्चिमी बंगाल में दुआर्स स्थित तान्मू चाय बाग में बाढ़ के फल स्वरूप अगस्त १९५४ में हुई थी;

(ख) क्या सरकार ने दुर्घटना सम्बन्धी समस्त तथ्यों की पुष्टि कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) :(क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) . यह पश्चिमी बंगाल की सरकार के क्षेत्राधिकार का मामला है । उन से अपेक्षित सूचना देने की प्रार्थना की गई है। प्रतिवेदन, प्राप्ति के पश्चात्, सभा पटल पर रखा जायेगा ।

१९५४ में डाकघर

२१९. **श्री बहादुर सिंह**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अब तक कितने डाकघर खोले गय; और

(ख) क्या अब भी २००० से अधिक जन संख्या का कोई ऐसा गांव या ग्राम-समूह है जहां डाकघर नहीं है ?

संचार उपमंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) १ जनवरी, १९५४ के पश्चात २,१५२ नये डाक घर खोले गये ।

(ख) जी हां; एक विवरण, जिस में २,००० से अधिक जन-संख्या के उन गांवों की नामावली दी हैं जिन में डाक घर की सुविधायें नहीं हैं, सभापटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]

आशा है कि २,००० से अधिक जन संख्या के ग्राम-समूह के बारे में योजना ३१ मार्च १९५६ तक पूर्ण हो जायेगी ।

रेलवे सेवायें

२२०. **श्री टी० के० चौधरी**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निकट भविष्य में पूर्वी रेलवे की बंदेल-बरहड़वा लूप लाइन पर नीमतीता स्टेशन से आगे रेलवे सेवा पुनः आरम्भ करने का कोई विचार है; और

(ख) क्या नीमतीता स्टेशन को फरक्का तथा बरहड़वा स्टेशनों से मिलाने के लिए किसी वैकल्पिक मार्ग का भूमापन किमा गया है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) बन्देल-बरहड़वा क्षेत्र में नीमतीता से धुलियान गंगा तक रेलसेवा पुनः आरम्भ करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) नीमतीता तथा तिलमांगा के बीच एक अन्य मार्ग का भूमापन हो रहा है ।

कटनी-मेरवाड़ा स्टेशन

२२१. **श्री टी० के० चौधरी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के कटनी-मेरवाड़ा जंकशन का हाता बढ़ाने का कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) निर्माण-कार्य किस प्रकार का है और तथाकथित रेलवे जंकशन की रेल डिब्बों की व्यवस्था को कहां तक बढ़ाने का लक्ष्य है; और

(घ) तथाकथित कार्य के पूर्ण होने का निर्धारित दिनांक क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) से (घ). कटनी क्षेत्र में यातायात, जिस में अधिकतर कटनी हो कर जाने वाले कोयले के डिब्बे होते हैं, के लिए क्षमता में वृद्धि करने की दृष्टि से आवश्यक कार्य की स्थिति निम्न है :—

कार्य का नाक	हाता-निर्माण-कार्य के पूर्ण होने का दिनांक	सिगनल तथा लाइन मिलाने के कार्य को पूर्ण करने का दिनांक
कटनी दक्षिण—दो अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था		
कटनी—पूर्वी रेलवे पर नये कटनी जंक्शन तथा मध्य रेलवे पर कटनी-दक्षिण को मिलाने वाली लाइन की व्यवस्था	३१—१२—५४	३१—७—५५
कटनी जंकशन—हाते में अतिरिक्त लूप लाइन की व्यवस्था	पूरी की गई	३१—७—५५
कटनी-मेरवाड़ा—हाते में अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था ।	३१— ३—५६	३१—३—५६
	१९५५-५६ के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा रहा है ।	

आशा की जाती है कि मध्य भारत कोयलाक्षेत्रों से कोयले के उत्पादन में प्रति वर्ष वृद्धि होगी । १९५६—५७ में अंतिम लक्ष्य के अनुसार कटनी से हो कर जाने वाला कोयला तथा साधारण यातायात प्रति दिन लगभग ४७५ से ४८० डिब्बे तक का होगा ।

आलू-उत्पादन

२२२. **श्री महोदय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विगत पांच वर्षों में विभिन्न राज्यों के आलू-उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) जिन राज्यों में उत्पादन कम है वहां उस में वृद्धि करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): (क) एक विवरण जिस में प्राप्य सूचना सम्मिलित है, सभापटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]

(ख) आलू के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार निम्न कार्यवाही कर रही है:-

(१) उपर्युक्त प्रकारों के आलुओं का विकास ;

(२) पौधे लगाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उत्तम प्रकार के रोग-मुक्त बीज की व्यवस्था;

(३) सिंचाई की व्यवस्था; और

(४) उपयुक्त खाद की व्यवस्था ।

नई रेलवे लाइन

२२३. **श्री डामर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य भारत में इंदौर से धार हो कर दोहद तक एक रेलवे लाइन बनायी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन पर बनाये जाने वाले मुख्य स्टेशनों के नाम क्या हैं ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) और (ख). इन्दौर से धार होते हुए दोहद तक रेलवे लाइन की जांच पड़ताल हो चुकी है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। सर्वेरिपोर्ट जांच के बाद ही इस लाइन के मार्ग और निर्माण के सम्बन्ध में निश्चय किया जा सकता है ।

सड़कों पर पुल

२२४. **पंडित एस० सी० मिश्र :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३० सितम्बर, १९५४ तक पंच-वर्षीय योजना के अधीन सड़कों पर कितने बड़े पुल बनाये जा चुके हैं;

(ख) इस वर्ष के अन्त तक सड़कों पर कितने बड़े पुलों का निर्माण पूरा हो जायगा;

(ग) पुलों के निर्माण के लिए कुल कितना धन नियत किया गया था; और

(घ) ३० सितम्बर, १९५४ तक कितना धन व्यय हुआ है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन): (क) २९ ।

(ख) १३ ।

(ग) योजना में पुलों के निर्माण के लिए लगभग ८ करोड़ रुपये का उपबन्ध है ?

(घ) १ अप्रैल, १९५१ से ३० जून, १९५४ तक लगभग ३ करोड़ रुपये व्यय हुए हैं ।

टिप्पण :—उपरोक्त सूचना का सम्बन्ध केवल उन पुलों से है जो राष्ट्रीय राज-पथों तथा राष्ट्रीय राजपथों को छोड़ कर उन अन्य सड़कों पर हैं, जिन का वित्तीय उत्तरदायित्व केन्द्र ने अपने ऊपर लिया है ।

यनीसेफ से दूध की प्राप्ति

२२५. **श्री धूसिया :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) यूनीसेफ (संयुक्तराष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय शिशु आपात निधि) ने भारत को १९५४–५५ के लिए, शिशुओं, बनने वाली

माताओं, तथा दूध पिलाती माताओं में वितरण के लिए, मलाई उतारे हुये दूध (सपरेटा) का कितना चूर्ण देना नियत किया है ;

(ख) यदि कोई कोटा निर्धारित किया गया है, तो उस में से कितना भारत आ चुका है ;

(ग) इस में से अब तक कितने का वितरण हो चुका है ;

(घ) अब तक कितने शिशुओं तथा माताओं को यह दूध दिया गया है ; और

(ङ) यह दूध किस माध्यम द्वारा वितरित किया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : (क) यूनीसेफ ने १९५४-५५ में वितरण करने लिए सितम्बर १९५३ में ६,४०० शार्ट टन सपरेटा पाउडर नियत किया था । इसी काल में वितरण के लिए सितम्बर १९५४ में और ५,००० शार्ट टन नियत किये गये हैं ।

(ख) समूची नियत मात्रा से, अब तक लगभग ४,८८० शार्ट टन भारत आ चुके हैं ।

(ग) अक्तूबर १९५४ के अन्त तक सपरेटा को २,७६७ टन चूर्ण राज्यों को दिया गया था । यह विदित नहीं है कि राज्यों ने वास्तव में कितनी मात्रा में इस चूर्ण का उपभोग कराया, क्योंकि अभी वांच्छित सूचना राज्यों से प्राप्त होनी है ।

(घ) अनुमान लगाया गया है कि यूनीसेफ के इस दुग्ध-चूर्ण से लगभग १,२५,२८५ शिशु तथा मातायें प्रति दिन लाभ उठाती हैं ।

(ङ) यूनीसेफ के इस दुग्ध-चूर्ण का वितरण प्रसूति तथा शिशु कल्याण केन्द्रों, अस्पतालों, औषधालयों, स्कूलों, अनाथालयों तथा अन्य शिशु-कल्याण संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है । अभाव के क्षेत्रों में सम्बद्ध राज्य सरकारों द्वारा खोले गये दलिया-कांजो आदि देने के केन्द्रों अथवा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा भी इस का वितरण किया जाता है ।

शीतोष्णनियंत्रित डिब्बे

२२६. **श्री टी० सुब्रह्मण्यम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ में कितने नये शीतोष्णनियंत्रित डिब्बे प्रयोग में लाये गये हैं;

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ है ; और

(ग) क्या उन से होने वाली आय उन पर हुये व्यय के अनुकूल है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) १९५२-५३ में २१ और १९५३-५४ में २१ ।

(ख) लगभग १·०९ करोड़ रुपये ।

(ग) शीतोष्णनियंत्रित श्रेणी से १९५२-५३ में लगभग २,६४९ हजार रुपये की और १९५३-५४ में लगभग ४,६५५ हजार रुपये की आय हुई ।

क्योंकि यात्री गाड़ियों में शीतोष्ण-नियंत्रित डिब्बों को चलाने की लागत के आंकड़े पृथक् नहीं रखे जाते, इसलिए यह सूचना कि उनसे होने वाली आय उन पर हुये व्यय के अनुकूल है या नहीं, प्राप्य नहीं है ।

शुक्रवार, १९ दिसंबर १९५४

लोक सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ८— १९५४

(१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
31-5-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

अष्टम सत्र, १९५४

(खण्ड ८ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,

नई दिल्ली

सेवा में

विषय सूची

खण्ड ८, अंक १ से १५--१५ नवम्बर से ३ दिसम्बर, १९५४

स्तम्भ

अंक १--सोमवार, १५ नवम्बर, १९५४

श्री रफी अहमद किदवई तथा श्री नाडिमुत्तु पिल्ले का निधन. १-६

अंक २--मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा . . . ७

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ७-९

टिन की चादरों के धारण मूल्यों के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . ९

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का संकल्प संख्या एस० सी० (ए)-२ (१३२) / ५४, दिनांक २३ अक्टूबर, १९५४ . . ९

विहित कालावधि के भीतर कतिपय दस्तावेज पटल पर न रखे जा सकने के कारणों का विवरण ९

मोटर गाड़ी लीफ-स्प्रिंग उद्योग के बारे में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन . १०

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या २१(१)-टी० बी०/५४, दिनांक ९ अक्टूबर, १९५४ . . . . १०

भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचना . . . १०

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . . ११

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य ११

विस्थापित व्यक्तियों को निष्क्रान्त सम्पत्ति की अनेक बांट के बारे में याचिका ११-१२

स्थगन प्रस्ताव--आन्ध्र सरकार के बारे में . . . १२-१४

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपा गया १४-६८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव--असमाप्त . . . ६८-१०६

अंक ३—बुधवार, १७ नवम्बर, १९५४ स्तम्भ

पटल पर रखे गये पत्र—

परिसीमन आयोग भारत अन्तिम आदेश संख्या १७, १८ १९ . १०७–१०८

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . १०८

दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के बारे में याचिका . . १०८–१०९

सभा का कार्य—

सत्र में पुरःस्थापन के लिये— प्रस्थापित सरकारी विधेयकों का आशय . १०९–११०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के लिये समय नियतन . ११०–१११

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . १११–१८४

अंक ४—गुरुवार, १८ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण . १८५

सभा का कार्य—

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के खण्डों के लिये समय का बटवारा १८७–१८८

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

समवाय विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय बढ़ाना . १८८

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित १८९

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त १८९–२७५

सभा का कार्य २७६

अंक ५—शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–२७९

सभा का कार्य २७९–२८०

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत २८०–३३४

	स्तम्भ
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—चौदहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	३३५
सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	३३५–३६८
विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—असमाप्त . .	३६९–३७०

अंक ६—सोमवार, २२ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर की स्थिति	३७१–३७४
सभा का कार्य—	
समय नियतन	३७४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत	३७५–४२८
चाय पर बढ़ाये गये निर्यात-शुल्क के बारे में संकल्प—स्वीकृत . .	४२९–४४५
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त	४४५–४५६

अंक ७—मंगलवार, २३ नवम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में शरणार्थियों पर लाठी-चार्ज	४५७–४५९
दिल्ली परिवहन सेवा	४५९–४६१
निवारक निरोध (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . .	४६१–४६५
संशोधनों की ग्राह्यता	४६५–४७८
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—	
संशोधित रूप में स्वीकृत	४७४–५३८

अंक ८—बुधवार, २४ नवम्बर, १९५४

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—	
संशोधित रूप में पारित	५३९–५८४
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खण्डों पर विचार—असमाप्त.	५८४–६०७

स्तम्भ

चाय (द्वितीय संशोधन) विधेयक—
पुरःस्थापित ६०७–६०८

अंक ९—गुरूवार, २५ नवम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली सड़क परिवहन, प्राधिकार (मंत्रणा परिषद्) नियम, १९५१ में संशोधन करने के सम्बन्ध में परिवहन मंत्रालय अधिसूचना . ६०९

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक पर रायें . . . ६०९–६१०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—पन्द्रहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित ६१०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार—असमाप्त ६१०–६७८
खण्ड २ से १५
खण्ड १६ से १९

अंक १०— शुक्रवार, २६ नवम्बर, १९५४

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखा गया . . ६७९

समिति के लिये निर्वाचन—
प्राक्कलन समिति ६७९–६८०

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—
खंडों पर विचार–असमाप्त ६८१–७१९

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—
तेरहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ७१९–७२८

पन्द्रहवां प्रतिवेदन—विचार स्थगित ७२८–७३३

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक—
पुरःस्थापित ७३३

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५३ का रखा जाना)—
पुरःस्थापित ७३४

वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय प्रतिषेध विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त ७३४–७७२

स्तम्भ

११—सोमवार, २९ नवम्बर, १९५४

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध . . . ७७३–७७४

ब्रिटिश सैनिक विमानों द्वारा डमडम विमान क्षेत्र का उपयोग . ७७४–७७६

हायक प्रादेशिक सेना विधेयक—वापस लिया गया . . . ७७६–७७८

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—खंडों पर विचार—असमाप्त ७७८–८५४

खंड २०से २४ . . . . ८१९–८२०

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८२०–८५४

अंक १२—मंगलवार, ३० नवम्बर, १९५४

टल पर रखे गये पत्र—

अन्तर्राष्ट्रीय पुद्रा निधि तथा पुनर्निर्माण और विकास के अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के गवर्नरों के बोर्डों की नवीं वार्षिक बैठक का प्रतिवेदन . . ८५५

दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के आर्थिक विकास सम्बन्धी परामर्शदात्री समिति की बैठकों का प्रतिवदन ८५५–८५६

आश्वासनों आदि पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण ८५६–८५७

लवे अभिसमय समिति, १९५४ का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . ८५७

थगन प्रस्ताव—

आंध्र में राजनैतिक कैदियों का निरोध ८५७–८५८

ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खडों पर विचार—असमाप्त ८५८–९३१, ९३२–९४०

नये खंड २१क, २२क और २४क ८५८–८६५

खंड २५, ९७ और ११४ . . . . . ८६५–९२१

खण्ड २६ से ३८ . . . . . ९२१–९३०, ९३२–९४०

आन्ध्र राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—पुरःस्थापित ९३१–९३२

१३—बुधवार, १ दिसम्बर, १९५४

टल पर रखा गया पत्र—

साहित्य अकादमी और उस की गतिविधि के सम्बन्ध में टिप्पण . ९४१

र-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और सकल्पों सम्बन्धी समिति—

सोलहवां प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ९४१

स्तम्भ

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पाकिस्तान में भारतीय उच्च-आयुक्त के कर्मचारिवृन्द के एक सदस्य के घर की तलाशी ९४२–९४४

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—

खंडों पर विचार—असमाप्त—

खंड २६ से ३८ . . . . . ९४४–१००९

खंड ३९ से ६० . . . . . १००९–१०१४

अंक १४—गुरुवार, २ दिसम्बर, १९५४

राज्य-सभा से सन्देश १०१५

चाय (संशोधन) विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में पटल पर रखा गया . . १०१५–१०१६

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मद्रास में मैदा की कमी १०१६–१०१७

सभा का कार्य—

सरकारी विधान कार्य तथा अन्य कार्य के लिये समय-नियतन . . १०१७–१०२३

दिल्ली जल तथा नाला-व्यवस्था संयुक्त बोर्ड (संशोधन) विधेयक—पुरः-स्थापित १०२३

आन्ध्र राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत

डा० काटजू १०२३–२९, १०६०–६४

श्री पाटस्कर १०२९

श्री रामचन्द्र रेड्डी १०३०–१०३३

श्री ए० के० गोपालन १०३३–१०३९

डा० लंका सुन्दरम् १०३९–४६

श्री रघुरामैया १०४६–५०

डा० जयसूर्य १०५०–५२

श्री एस० एस० मोरे १०५२–५५

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी १०५५–५७

श्री गाडिलिंगन गौड़ १०५८

श्री राघवाचारी १०५८–५९

श्री लक्ष्मय्या १०५९

श्री यू० एम० त्रिवेदी १०५९–६०

	स्तम्भ
खंड १ से ३	१०६४–७०
संशोधित रूप में पारित—	
श्री एच० एन० मुखर्जी	१०७७–८०
डा० लंकासुन्दरम्	१०८०
पं० ठाकुर दास भार्गव	१०८०–८२
श्री जी० एच० देशपांडे	१०८३
डा० काटजू	१०८३–८८
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त—	
खंड ६१ से ६५	१०८८–९८
दोनों सभाओं की विशेषाधिकार समितियों की संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१०९८–११००
अंक १५—शुक्रवार, ३ दिसम्बर, १९५४	
स्थगन प्रस्ताव—	
मनीपुर में सत्याग्रह आन्दोलन	११०१–११०८
पटल पर रखे गये पत्र—	
जिप फासनर, सिलाई मशीन और पिकर उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन तथा उन पर सरकारी संकल्प . .	११०८–११०९
चलचित्र (विवाचन) नियमों, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाली अधिसूचना	११०९
समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें . .	११०९
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें .	१११०
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—छठा प्रतिवेदन —उपस्थापित	१११०–११
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१११९
सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि . . .	१११९–१११२
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक—	
खंडों पर विचार—असमाप्त —	
खंड ६१ से ६५	१११२–५४

स्तम्भ

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सोलहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत ११५४–५५

विधि आयोग की नियुक्ति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया ११५५–१२०२

सरकारी उद्योगों की देखभाल तथा नियंत्रण करने के लिये समविहित निकाय के बारे में संकल्प—असमाप्त १२०२–१२०४

लोक सभा

शुक्रवार, १९ नवम्बर, १९५४

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ बजे मध्याह्न

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : नियम २१५ के अधीन में माननीय श्रम मंत्री का ध्यान इस अविलम्बीनीय लोक महत्व विषय की ओर दिलाना चाहता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि वे इस के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

बैंक विवादों के सम्बन्ध में श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के द्वारा किये गये विनिश्चय में रूप भेद करने वाले सरकारी आदेश के विरुद्ध कुछ बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों के मासिक वेतनों में की गई गड़बड़ी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति ।

श्रम मंत्री (श्री के० के० देसाई) : भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) बम्बई के पंचाट के विरुद्ध की गई अपील पर, २८ अप्रैल, १९५४ को श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में केन्द्रीय सरकार ने रूपभेद किया। उस आदेश में दिया गया था कि एक वर्ष तक कर्मचारियों के वेतनों में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके पश्चात् सरकार ने एक अनुभवी न्यायाधीश श्री राज्याध्यक्ष को, औद्योगिक विवादों को सुलझाने, अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय के विभिन्न पहलुओं की जांच करने, तथा जांच पर आधारित यह सिफारिश करने के लिए कि इन निर्णयों को लागू रखना चाहिये अथवा नहीं, नियुक्त किया था। श्री राज्याध्यक्ष तीन अथवा चार मास में निर्णयों में रूपभेद तथा परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट देंगे तथा जब तक वेतनों में कोई कमी नहीं की जा सकेगी।

कुछ कर्मचारी संस्थाओं ने यह शिकायत की है कि अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को परिवर्तित करने वाले सरकारी आदेशों के आधार पर बैंकों द्वारा जो वेतन निश्चित किये गये हैं उनसे उनके वर्तमान वेतन में

[श्री के० के० देसाई]

भारी कमी होती है। सरकारी जांच के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि यदि किसी बैंक ने सरकारी आदेशों के आधार पर किसी के वेतन में कोई कमी की है तो उन कर्मचारियों को की गई कमी के अनुसार विशेष भत्ता देकर उस कटौती को पूरा किया गया है। परन्तु यह सच है कि मूल वेतन में कमी कर दिये जाने के कारण बहुत से लाभ जैसे भविष्य निधि, लाभांश, तथा उपदान आदि पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। परन्तु क्योंकि ये लाभ अभी मिलने वाले नहीं हैं इसलिये श्री राज्याध्यक्ष का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह विचार किया जा सकता है कि कर्मचारियों को इस हानि से कैसे बचाया जा सकता है। इसलिये सरकार कर्मचारियों को पूर्ण आश्वासन देना चाहती है कि अन्तर्कालीन समय में हुई हानि को पूरा करने के लिये श्री राज्याध्यक्ष की सिफारिशों पर भूतलक्षी प्रभाव से कार्य प्रारम्भ होगा।

अत: सरकार सभी बैंक कर्मचारियों तथा उनकी संस्थाओं से प्रार्थना करती है कि वे श्री राज्याध्यक्ष को पूर्ण सहायता प्रदान करें जिससे कि वह दोनों पक्षों की बात को सुन कर कोई सही रास्ता निकाल सकें। शीघ्र जांच किये जाने का आदेश ही इस बात का उदाहरण है कि सरकार इस विषय को शीघ्रातिशीघ्र ठीक प्रकार से सुलझाना चाहती है। श्री राज्याध्यक्ष के प्रतिवेदन पर जो आदेश जारी होंगे वे काफ़ी लम्बे समय तक चालू रहेंगे जिससे कि बैंक कर्मचारी इस विषय पर पुनर्विचार कर सकें कि यह जांच उन्हीं के लाभ के लिए है।

सभा का कार्य

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री के संकल्प पर विचार होने से पहले मैं सदस्यों का ध्यान २२ तारीख तथा उसके पश्चात् के दिनों के कार्यक्रम की ओर दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले दंड प्रक्रिया संहिता सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार होगा। तत्पश्चात् एक संकल्प तथा दो विधेयक—रबड़ उत्पादन—तथा विक्रय (संशोधन) विधेयक तथा कॉफ़ी विक्रय-विस्तार (संशोधन) विधेयक—आते हैं हालांकि कार्यक्रम परिचालित कर दिया गया है परन्तु मैंने फिर भी यह उपयुक्त समझा कि माननीय सदस्यों का ध्यान इन विधेयकों की ओर दिला दूं।

सदन के समक्ष एक महत्वपूर्ण संकल्प है जिसे उसको एक निश्चित समय तक पारित कर देना है।

श्री अशोक मेहता द्वारा उठाये गये प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आज चार बजे अपने कक्ष में कार्यक्रम मंत्रणा समिति की बैठक बुला रहा हूं। अन्तिम निर्णय उक्त समिति करेगी।

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): इस विषय से सम्बन्धित कुछ पत्रों के दिये जाने के विषय में मैंने प्रार्थना की थी।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : राज्यपाल ने जो प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजा है वह एक गोपनीय दस्तावेज़ है तथा उसको यहां प्रस्तुत करना लोक-हित में नहीं होगा।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार वह एक गोपनीय दस्तावेज़ नहीं है। यदि सरकार किसी उद्घोषणा की स्वीकृति सभा से चाहती?

है तो उसे उससे सम्बन्धित पत्रादि को सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिससे कि सभा यह जान सके कि बताये गये कारण पर्याप्त हैं या नहीं। संविधान में यह नहीं दिया गया है कि वह एक गोपनीय दस्तावेज है राष्ट्रपति ने भी उसी के आधार पर यह उद्घोषणा की है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तर्क की सराहना करते हुए कहता हूं कि यदि यहां हम इस विषय पर चर्चा करने को प्रस्तुत हों कि उस गोपनीय दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना लोक-हित में है अथवा नहीं तो इससे केवल समय ही नष्ट होगा। यदि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट नहीं हैं तो वे अपना विरोध मतदान के समय प्रकट कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि माननीय गृह मंत्री वह सभी कुछ बताने में संकोच नहीं करेंगे जिसको वह आवश्यक समझते हैं। उनका मना करना संकल्प के विरुद्ध मतदान होने को रोकने के लिये हो सकता है परन्तु अध्यक्ष को यह प्रार्थना करने से कि वह सरकार को उक्त दस्तावेज को प्रकट करने के लिये बाध्य करे कोई लाभ नहीं है।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं उद्घोषणा के उप-खंड (ख) को कंडिका २ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें लिखा है :

> "कथित राज्य के संविधानिक अधिकारों का परिपालन संसद् द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत किया जायेगा।"

अतः मैं कहना चाहता हूं कि जब सारे अधिकार संसद् में केन्द्रीभूत किये गये हैं तो कोई निर्णय करने से पूर्व वह किसी भी गोपनीय दस्तावेज को भी देख सकती है।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पूर्व) मैं आपके विचारों से सहमत हूं कि हम संकल्प के विरुद्ध मतदान कर सकते हैं परन्तु जब हम इस पर वाद-विवाद कर रहे हैं तब यह हमारा अधिकार हो जाता है कि हम दूसरे सदस्यों को अपने पक्ष में लेने के लिए प्रभावशाली तर्क उपस्थित करें। हमें यह देखना है कि यह उद्घोषणा राज्यपाल के प्रतिवेदन के अनुसार उपयुक्त है अथवा नहीं और संविधान के अनुकूल है या नहीं। इसके लिये हमें राज्यपाल की रिपोर्ट को देखना आवश्यक है। बिना प्रतिवेदन देखे इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है।

श्री टी० के० चौधरी (बहरमपुर) : जिस दस्तावेज को हम मांगते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है अतः हम आशा करते हैं कि सम्भव है कि आप अपने निर्णय को बदल सकें।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, हम केवल आप से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप हमारे अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की देखभाल करें तथा यहां अनुच्छेद २५६ के अधीन हम किसी भी पत्र को मांग कर सकते हैं चाहे वह कितना भी गोपनीय हो। क्या सरकार की इस बात को एक दम सच मान लिया जायेगा कि उक्त पत्र गोपनीय है अथवा आप स्वयं उसकी जांच करेंगे।

श्री रघुरामैया (तेनालि) : यदि राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर संतोष हो जाये तो वे इस प्रकार की कार्यवाही कर सकते हैं इसलिये हम हर बार राष्ट्रपति के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी किसी मामले में राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना भी राष्ट्रपति ऐसी कार्यवाही कर सकते हैं। प्रश्न है कि राष्ट्रपति को संतोष होना चाहिये न कि सभा को। अतः अनुच्छेद ३५६ के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति यह निश्चित रूप से बतायें कि वह सन्तुष्ट हैं।

[श्री रघुरामैया]

हमें केवल संकल्प की स्वीकृति देने अथवा न देने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न का कोई निर्णय नहीं कर सकता कि यह सदस्य का विशेषाधिकार है अथवा नहीं । केवल प्रश्न है कि गोपनीय दस्तावेज़ प्रस्तुत किया जा सकता है अथवा नहीं । मैंने स्वयं उक्त रिपोर्ट को नहीं देखा है और मुझे यह मालूम तक नहीं कि उसमें लिखा क्या है । मैं केवल इतना कह सकता हूं कि यदि माननीय मंत्री किसी संकल्प को स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना करते हैं तो उन का कर्तव्य है कि वह अपना संकल्प स्वीकृत कराने के लिए उससे सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्रों को सभा के समक्ष रखें । मैं किसी दस्तावेज विशेष को प्रस्तुत करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

श्री राघवाचारी : मेरा प्रश्न यह था कि जब किसी गोपनीय दस्तावेज के प्रस्तुत किये जाने अथवा प्रस्तुत न किये जाने का प्रश्न आ जाये तब यह निश्चित कौन करेगा कि उक्त पत्र गोपनीय है अथवा नहीं । इस गोपनीय पत्र के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि उसकी गोपनीयता निर्णय करने का अधिकार अध्यक्ष को होना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप इस प्रश्न को फिर कभी उठा सकते हैं । अभी हमें केवल माननीय गृह मंत्री के भाषण को सुनना है कि वह क्या कहना चाहते हैं । मैं इस समय गृह मंत्री को इस गोपनीय दस्तावेज़ को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

डा० काटजू : इस संकल्प को प्रस्तुत करने से पहले मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के संकल्प के प्रस्तुत किये जाने का यह तीसरा अवसर है । पहला अवसर १९५१ में पंजाब के सम्बन्ध में आया था तथा दूसरा १९५२ में पैप्सू के सम्बन्ध में आया था । इन दोनों अवसरों पर राज्यपालों के प्रतिवेदन को सभा के समक्ष नहीं रखा गया था ।

डा० लंका सुन्दरम् : परन्तु अब स्थिति दूसरी है ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खंड (१) के अधीन १५ नवम्बर १९५४ को की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है, जिसके अनुसार उन्होंने आंध्र सरकार के सब कृत्य अपने हाथ में ले लिये हैं ।"

मैंने आशा की थी कि राष्ट्रपति के इस कार्य की सभी ओर से सराहना की जायेगी परन्तु संशोधनों की संख्या को देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से सदस्य सही तथ्यों को जानते भी नहीं हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

आन्ध्र विधान सभा में १४० सदस्य हैं तथा वहां यह संकल्प प्रस्तुत किया गया था :

> "कि यह विधान सभा इस मंत्री मंडल में अविश्वास प्रकट करती है क्योंकि यह मंत्रिमंडल इस विधान सभा द्वारा २७ मई, १९५४ को किये गये निर्णय के अनुसार राममूर्ति समिति की सिफारिशों का समादर करने तथा उसकी सिफ़ारिशों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है ।"

मैं प्रजा समाजवादी दल के नेता का ध्यान राममूर्ति प्रतिवेदन की ओर आकर्षित

करता हूं तथा निवेदन करता हूं कि उस रिपोर्ट में मद्य-निषेध के प्रश्न का उल्लेख है और संकल्प केवल उसी के सम्बन्ध में था। इस पर तीन दिन तक चर्चा हुई थी और ६ नवम्बर, १९५४ को इस पर मतदान हुआ था।

सदस्यों की कुल संख्या १४० थी। केवल एक सदस्य को छोड़कर शेष सब उपस्थित थे। सदन में १३९ सदस्य उपस्थित थे जिनमें प्रजा समाजवादी सदस्य मतदान के समय अनुपस्थित रहा। एक अध्यक्ष महोदय थे जो मतदान में भाग नहीं ले सकते थे। इस प्रकार १४० में से १३७ सदस्यों ने मतदान में भाग लिया।

इस सम्बन्ध में मैं सदन को यह भी बता देना चाहता हूं कि आंध्र देश में मुख्य दल कांग्रेस साम्यवादी, कृषिकार लोक दल तथा प्रजा समाजवादी दल थे जिन में से कांग्रेस शासन कर रही थी। कुछ लोग और भी थे जो अपने आप को रायलासीमा के स्वतन्त्र सदस्य कहते थे। दो व्यक्ति अनुसूचित जाति संघ के थे और कुछ स्वतन्त्र थे। जब मतदान हुआ तो प्रस्ताव के पक्ष में ६९ और विपक्ष में ६८ मत आये। इस प्रकार सरकार एक मत से हार गई।

मैं सदन को अधिक विस्तार के साथ इसका विवरण देना चाहता हूं। प्रस्ताव के पक्ष में मत देने वालों में ४० व्यक्ति साम्यवादी दल के थे। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहां कुछ साम्यवादियों ने यह प्रस्ताव रखा है कि राज्यपाल का यह कर्तव्य था कि वह साम्यवादी दल से सरकार बनाने को कहते। इस दल ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। इसके अतिरिक्त कृषिकार लोक दल के सदस्य थे जिनमें से आठ ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया और एक ने सरकार की ओर मत दिया। इसी प्रकार प्रजा समाजवादी दल के सात सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में और एक ने विपक्ष में मत दिया। इस प्रकार ४० और १५ मिल कर ५५ हुए। इसके अतिरिक्त पांच सदस्य स्वतन्त्र थे। इन के अतिरिक्त दो सदस्य कांग्रेस दल को छोड़ गये थे, ३ आंध्र प्रजा दल को छोड़ गये थे और दो साम्यवादी दल को छोड़ गये थे। इन सब ने इस समय प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। दो सदस्य रायलासीमा के स्वतंत्र दल के थे और अनुसूचित जाति संघ का एक सदस्य उन से आ मिला था। इस प्रकार कुल ६९ सदस्य एक ओर हो गये।

प्रस्ताव के विपक्ष में कांग्रेस के ५१ सदस्य थे, पांच सदस्य आंध्र प्रजा दल के थे, एक सदस्य प्रजा समाजवादी दल को छोड़ कर आया था, सात स्वतन्त्र सदस्य थे, एक सदस्य के० एम० पी० का था एक सदस्य अनुसूचित जाति संघ का था, एक सदस्य रायलासीमा स्वतन्त्र दल का था और एक सदस्य कृषिकार लोक दल का था।

ऐसी स्थिति में जहां कहीं भी संसदीय प्रणाली की सरकार होती है, जब सरकार हार जाती है तब राज्यपाल, राष्ट्रपति अथवा सम्राट, जो भी हो, राज्य के प्रधान के नाते कहता है कि हमें जनता से अपील करनी चाहिये क्योंकि यह सदन जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व नहीं करता है इसलिये इसका विघटन होना चाहिये। यह सब उसके अधिकार में है और प्रथा भी ऐसी ही चली आती है। इस मामले विशेष में अर्थात् राज्यों के मामले में हमारे संविधान में अनुच्छेद ३५६ है जिसके अन्तर्गत राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकता है। अतः इस मामले में वहां की सरकार ने तीन घंटे के भीतर ही राज्यपाल के पास पत्र भेजा कि उन्हें सभा का विघटन कर देना चाहिये और निर्वाचन मण्डल से अपील की जानी चाहिये। अपने सम्बन्ध में उसने कहा कि वह स्वयं देखभाल करने वाली सरकार बनाना पसन्द नहीं करेंगे

[डा० काटजू]

यह एक प्रशंसनीय आदर्श है जो अनुकरणीय है क्योंकि यदि वह सरकार बनाते, तो चुनाव के समय उन के विरुद्ध कीचड़ उछाली जाती कि वह सरकारी शक्ति को अपने हित के लिये नियोजित कर रहे हैं। हमारे यहां यह उपबन्ध है कि इस स्थिति में राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार राज्यपाल शासन सम्भाल सकता है और एक दो महीने या जब तक चुनाव कार्य सम्पन्न न हो तब तक वह राजकाज चला सकता है। वहां के मंत्रिमण्डल द्वारा यही परामर्श दिया गया था।

इसके बाद एक दिलचस्प घटना हुई। प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री राजू ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया था इसीलिये प्रस्ताव पारित हुआ था, अन्यथा यदि उनके दल के सात मत विपक्ष में होते तो प्रस्ताव का पारित होना सम्भव नहीं था। उन्होंने कहा कि अब या तो फिर से चुनाव होने चाहियें या कोई उत्तराधिकारी सरकार होनी चाहिये और उत्तराधिकारी सरकार ऐसी गम्भीर स्थिति में अवांछित है।

कितना सुन्दर मन्तव्य दिया उन्होंने ! मेरे विचार से प्रजा समाजवादी दलके अखिल भारतीय नेता इसे अवश्य स्वीकार करेंगे। उस दल ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी और राज्यपाल के पास और कोई विकल्प ही नहीं था। यदि वह प्रतिवेदन न भी भेजते तब भी राष्ट्रपति यह समझ लेते कि वहां वर्तमान विधान सभा से काम नहीं चल सकता है। मैं प्रजा समाजवादी दल के नेता से पूछता हूं कि कांग्रेस के प्रति घृणा के अतिरिक्त उनमें और साम्यवादियों में कितनी समानता है। आवश्यकता पड़ने पर बुरे से बुरे को भी साथी बनाना पड़ जाता है।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : श्रीमान्, क्या ये बातें सुसंगत हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : सुसंगति का कारण यह है कि इन्हीं कारणों से आंध्र में ये दोनों दल सरकार बनाने में असमर्थ हैं।

श्री नम्बियार (मयूरम) : क्या राज्यपाल ने विरोधी दल के नेता से परामर्श किया था ? उसे तो बुलाया ही नहीं गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रकार की अन्तर्बाधा नहीं चाहता हूं। प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री का कथन सुसंगत है या नहीं। और यदि वह सुसंगत है तो इस प्रकार की अन्तर्बाधायें नहीं होनी चाहियें। मेरे विचार से वह सुसंगत हैं क्योंकि तथ्यों को देखते हुए तथा आंध्र की दशा बताते हुए उन्होंने प्रजा-समाजवादी दल के विषय में जो कहा है वह सुसंगत है। साम्यवादी दल से गठजोड़ करने वाले दूसरे दल के नेता ने बाद को यह वक्तव्य दिया कि वह किसी अन्य दल के साथ मिल कर सरकार बनाने को तैयार नहीं थे, इसलिये किसी उत्तराधिकारी सरकार बनाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। माननीय गृह मंत्री का यही कथन है कि ऐसी परिस्थिति में की गई उद्घोषणा ही एकमात्र उपाय था।

श्री नम्बियार : प्रजा समाजवादी दल को छोड़िये। विरोधी दल के नेता को क्यों नहीं बुलाया गया ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह समझते हैं कि उन्हें बुलाना बेकार है।

श्री नम्बियार : इसका निर्णय कौन करेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री करेंगे और यह सभा निश्चय करेगी।

डा० काटजू : प्रश्न यह है कि जब एक सरकार पदच्युत हो जाती तो उत्तराधिकारी सरकार बनती और यह स्थायी नहीं हो सकती

थी क्योंकि प्रजा समाजवादी दल ने कहा था कि उसे साम्यावदियों से कुछ लेना देना नहीं था ।

श्री एस० एस० मोरे : यह आप एक दूसरा ही विवरण दे रहे हैं ।

डा० काटजू : मैं तो इसे तीन वर्ष से सुन रहा हूं । मैं अपनी ओर से कुछ नहीं गढ़ रहा हूं ।

एक और प्रेस वक्तव्य भी है जो उस सदस्य का है जो पहले साम्यवादी दल का सदस्य था और जिसने संकल्प के पक्ष में मत दिया था । यदि वह मत न देता तो मतदान दोनों ओर बराबर रहता और अध्यक्ष महोदय को अवसर मिल जाता किन्तु वह अपने पुराने साथियों से जा मिला और यह मन्तव्य उसने जारी किया ।

आचार्य कृपालानी : क्या प्रेस वक्तव्य को यहां पढ़ना सुसंगत है ? अध्यक्ष महोदय ने तो अनेक बार कहा है कि हम प्रेस वक्तव्य पर निर्भर नहीं करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : उस के पढ़े जाने में कोई हानि नहीं है । यदि विरोधी दल उस पर विश्वास नहीं करता है तो न सही ।

डा० काटजू : वक्तव्य यह है कि सदन ने निश्चय किया है कि प्रशासकीय दल प्रशासन के सक्षम नहीं है । ऐसी दशा में किसी संगठित विरोधी दल के न होने के कारण उत्तराधिकारी सरकार नहीं बन सकेगी । अतएव आम चुनाव ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है जिससे आंध्र में स्थायी सरकार बन सकती है।

साम्यवादियों की ओर मत देने वालों में एक दल और था और वह था कृषिकार लोक दल जिसके आठ सदस्यों ने उस ओर मत दिया । श्री लच्छना ने क्या कहा था ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह इस संकल्प के प्रस्तावक नहीं थे ?

डा० काटजू : वह ही प्रस्तावक थे । संकल्प प्रस्तुत करना और बात है और सरकार का काम सम्भालना दूसरी बात है । जब उन का सहयोग मांगा गया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी कोई निश्चय नहीं किया था और वह सोच कर अपना निश्चय देंगे ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : सहयोग किसने मांगा था ?

डा० काटजू : उन्होंने कहा था कि मुझे पता नहीं मैं सम्मिलित हो सकूंगा या नहीं । वह किसी के विरुद्ध घृणा प्रदर्शन में एक हो सकते हैं किन्तु काम करने में नहीं । काम करने का अर्थ तो यह है कि आप उस दल के आदर्श में और उसकी प्रगति में विश्वास करते हैं (**अन्तर्बाधा**) मैं तो उनकी प्रशंसा कर रहा हूं । मैं तो कहता हूं कि साम्यवादियों के दृष्टिकोण बड़े सुन्दर हैं । वे बिना किसी जांच-पड़ताल के सरकार के केन्द्रीकरण पर ज़ोर देते हैं ।

श्री साधन गुप्त : यह असत्य है ।

डा० काटजू : जब मैं किसी सिद्धान्त को मानता हूं तभी उसके अनुयायियों में मिल सकता हूं अन्यथा नहीं और श्री लच्छना ने कहा कि मैंने निश्चय नहीं किया है । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे ।

साम्यवादी दल के नेता ने क्या किया यह भी सुन लीजिये। शायद मेरे मित्र उसे पहले ही जानते हैं । (**अन्तर्बाधा**) उन्होंने कहा—मुझे सरकार बनाने का अवसर दीजिये मैं जनता को अपनी ओर मोड़ लूंगा। जहां लोगों को रसगुल्ले खिलाये वे हमारी ओर हो जायेंगे । (**अन्तर्बाधा**) उन्होंने यह भी कहा कि यदि मुझे अवसर दिया जाये तो मैं कांग्रेस के सदस्यों को भी अपनी ओर मिला सकता हूं ।

आचार्य कृपालानी : राजाजी ने क्या किया था ?

डा० काटजू : "स्वतन्त्र दल से सदस्य सम्मिलित होंगे और तब आप बहुमत बना सकेंगे ।" यह संविधान का अपमान है, यह उसका मज़ाक है ।

श्री नम्बियार : यह संविधान का मज़ाक क्यों है ?

डा० काटजू : हम सुस्थिर सरकार चाहते हैं । हम इस प्रकार की घूसख़ोरी और बेवकूफ़ी नहीं चाहते हैं । यह घूसख़ोरी के सिवा और कुछ नहीं है ।

मैं कहता हूं कि जो उपयुक्त मार्ग था उसी मार्ग का अनुसरण किया गया है चाहे राज्यपाल ने किसी प्रकार का प्रतिवेदन क्यों न दिया हो । राज्यपाल ने तथ्यों को प्रतिवेदित किया है और मैंने सभी तथ्य आपको दे दिये हैं । तब राष्ट्रपति इस निर्णय पर पहुचे कि आन्ध्र जैसे विकसित प्रान्त में जहां दल विभिन्न समुदायों में विभाजित हैं, केवल एकमात्र रास्ता यही है, कि राष्ट्रपति शासन भार अपने अधिकार में ले लें और तुरन्त निर्वाचन की घोषणा करें ।

अब इतना शोर किस बारे में है? आज १९ नवम्बर है निर्वाचन फ़रवरी के प्रारम्भ में किसी समय होंगे । मैं तारीख तो नहीं जानता हूं किन्तु वह तीन महीने में होंगे और सभी दलों को जाना चाहिये...

डा० लंका सुन्दरम् : क्या आप तीन महीने के बारे में, जिसका उद्घोषणा में कोई उल्लेख नहीं है, आश्वासन दे सकते हैं ?

डा० काटजू : नहीं, विस्तार का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

सभी दल जा सकते हैं, अपना कार्य प्रारम्भ कर सकते हैं, अपना कार्यक्रम निर्वाचकों के समक्ष रख सकते हैं और उन्हें शिक्षित कर सकते हैं । मैं विश्वास दिलाता हूं जैसा कि मैंने पेप्सू के मामले में कहा था, कि भारत सरकार और राज्यपाल यथा सम्भव इस बात के प्रति सावधान रहेंगे कि निर्वाचन स्वतन्त्र, शुद्ध, पक्षपात रहित और बिना किसी बन्धन के हों, इस बात की ज़रा भी परवाह न करते हुए कि कौन सा दल जीतता है और कौनसा दल हारता है । अन्य और कोई कार्यवाही सम्भव नहीं थी, और मैंने यह सोचा कि यह संकल्प विशुद्ध रूप से एक औपचारिक विषय है किन्तु उस पर आठ संशोधन हैं । कोई "संवैधानिक" कहता है, कोई "असंवैधानिक" बताता है, तो कोई "गम्भीर, बहुत बुरा" कहता है और कोई उस का "अनुमोदन नहीं करता" है । वास्तव में ये सभी संशोधन उल्लेखनीय भी नहीं हैं । केवल एक ही रास्ता था और वह स्वीकार किया गया है । मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह सरकार की कार्यवाही को, राष्ट्रपति द्वारा की गयी उद्घोषणा को अपना अनुमोदन दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ ।

अब कई एक संशोधन हैं । सर्वप्रथम इस विषय में यह घोषणा करने के पूर्व कि वे नियमानुकूल हैं अथवा नहीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं । मैं इन सभी संशोधनों का अध्ययन करके यह देखूंगा कि वे नियमानुकूल हैं अथवा नहीं । यदि मुझे कुछ शंकायें होंगी तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगाकि वे मेरा समाधान करें । इस शर्त के अधीन माननीय सदस्य अब अपने संशोधन सभा के समक्ष रखें । तत्पश्चात् डा० रामा राव (काकिनाड़ा), श्री ए० के० गोपालन, श्री एस० एस० मोरे, श्री गिडवानी (थाना) और श्री राघवाचारी ने अपने अपने संशोधन सभा के समक्ष रखे ।

श्री एन० राचय्या (मैसूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प में, अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

> "as that was the only proper constitutional remedy for the crisis that arose on the resignation of the Prakasham Ministry."
>
> ("क्योंकि प्रकाशम् मंत्रिमंडल के पदत्याग से उत्पन्न हुए संकट का वही एकमात्र उपयुक्त संवैधानिक उपचार था।")

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी संशोधन अब सभा के समक्ष हैं और मूल संकल्प तथा संशोधनों पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री के० के० बसु (डायमंड हार्बर) : क्या मैं एक सुसंगत प्रश्न पूछ सकता हूं ? अपने प्रस्ताव के समर्थन में माननीय गृह मंत्री ने समाचार पत्रों के वक्तव्यों का निर्देश किया था और आपने कहा था कि वह समाचार पत्रों के वक्तव्यों से, यदि वे विश्वसनीय हों, तो उद्धरण दे सकते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने समाचार पत्रों के वक्तव्यों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है अथवा वास्तव में तत्सम्बन्धी व्यक्तियों को बुलाकर उनके दृष्टिकोण की जांच की है ?

डा० काटजू : मैंने उच्चतम प्राधिकार के द्वारा उन वक्तव्यों की जांच की है और मैं सभा से निवेदन करूंगा कि वह बिना किंचित् सन्देह के उन्हें स्वीकार कर ले ।

श्री के० के० बसु : वह केवल यह कहते हैं कि मैंने वक्तव्य की जांच की है । हम प्रेस वक्तव्य को चुनौती नहीं देना चाहते हैं । हमारा कथन केवल इतना ही है कि क्या सरकार ने प्रेस वक्तव्य के आधार पर कार्य किया है अथवा राज्यपाल ने सम्बन्धित व्यक्ति को बुला कर वैकल्पिक सरकार बनाने के विषय पर विचार विनिमय किया है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—**पश्चिम**) : उसके अन्तर्गत अवश्य अनेक बातें होंगी (**अन्तर्बाधायें**) ।

श्री एस० एस० मोरे : माननीय गृह मंत्री ने मंत्रिमंडल द्वारा दिये गये त्यागपत्र का निर्देश किया है और उन्होंने उसकी विषय वस्तु भी बतायी है । क्या माननीय गृह मंत्री आपकी अनुज्ञा से, यह दस्तावेज़ सभा पटल पर रखेंगे ? केवल उसी अवस्था में हम प्रामाणिक रूप से उस दस्तावेज़ का निर्देश कर सकते हैं और उससे अपने निर्णय निकाल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : त्यागपत्र एक तथ्य है । मैं उनसे निवेदन करूंगा ।

श्री एस० एस० मोरे : मूल दस्तावेज़ पटल पर रखा जाना चाहिये ।

श्री ए० के० गोपालन : माननीय गृह मंत्री ने अभी उद्घोषणा के कारण बताये हैं किन्तु उन्होंने वे कारण नहीं बताये जो उनसे पूछे गये थे और जिनके विषय में यहां चर्चा की जा सकती है । उद्घोषणा में यह कहा गया है कि :

> "मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिन में भारतीय संविधान के उपबन्धों के अनुसार राज्य की सरकार कार्य नहीं कर सकती है ।"

माननीय गृह मंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति का संतोष ही उस विनिश्चय का आधार है । जिन दो व्यक्तियों ने दल को छोड़ दिया था

और उसके विरुद्ध मतदान किया उनके वक्तव्य भी उन्होंने सभा के समक्ष पढ़े हैं। केवल इन दो वक्तव्यों के आधार पर और विभिन्न दलों पर आक्षेप करने वाले अपने वक्तव्यों के आधार पर उन्होंने उद्घोषणा के औचित्य को दिखाने का प्रयत्न किया है। केवल इतनी ही बातें गृह मंत्री ने सभा के समक्ष रखी हैं।

अब तथ्य यह है कि माननीय गृह मंत्री के लिए यह उपयुक्त नहीं था कि वह इसे एक संवैधानिक समस्या कहते। आज कांग्रेस दल के अतिरिक्त इस देश में अनेक दल हैं। जहां तक सुस्थिर सरकार का सम्बन्ध है मैं यह दिखा सकूंगा कि गृहमंत्री ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं वे लागू नहीं होते हैं क्योंकि पिछले चार पांच वर्षों में इसी आधार पर सुस्थिर सरकारें बनायी गयी हैं।

आज सभा के समक्ष सारा प्रश्न यह है कि राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा की गयी है और उस उद्घोषणा का कारण यह है कि राज्यपाल का कथन है कि उस राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। कुछ कारणों से उनका विश्वास है कि राज्य की सरकार कार्य नहीं कर सकती है। इसलिये उन्होंने राष्ट्रपति से प्रार्थना की है कि वह राज्य के शासन भार को अपने अधिकार में ले लें और तदनुसार राष्ट्रपति ने राज्य विधान-सभा को विघटित कर के उस राज्य का प्रशासन अपने अधिकार में ले लिया है किन्तु देश में इस प्रकार का केवल एक ही उदाहरण नहीं है। मैंने यह सोचा था कि कदाचित् माननीय गृह मंत्री इस उद्घोषणा के जारी करने के कारण बतायेंगे क्योंकि इस देश की जनता, जो देश में संसदीय लोकतन्त्र के विकास के लिए बहुत उत्सुक ह, यह देख कर आश्चर्यचकित और क्षुब्ध है कि यहां किस प्रकार के लोकतन्त्र का लालन पालन किया जा रहा है। यहां किस प्रकार का लोकतन्त्र है ? पहले त्रावनकोर-कोचीन राज्य का प्रश्न था, फिर मद्रास का प्रश्न था, और अब आन्ध्र का प्रश्न है। एक स्थान में किसी विशेष परिस्थिति में, विधान सभा विघटित की गई और आज फिर दूसरे स्थान में विधान सभा विघटित की जा रही है। इन सब बातों का वास्तव में क्या आधार है ? कम से कम अब सरकार जनता को यह समझा दे कि देश में संवैधानिक संकटकाल उपस्थित होने पर सरकार किस संसदीय प्रथा का अनुसरण करती है। हम यह आशा करते थे कि माननीय गृह मंत्री इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे किन्तु उन्होंने केवल इस दल का उस दल का मज़ाक उड़ाया है। वह चाहे किसी दल का मज़ाक क्यों न उड़ायें, हमारे बारे में चाहे जो कहें किन्तु कम से कम देश की जनता को उन्हें यह तो बताना चाहिये था कि संसदीय लोकतन्त्र क्या है, और इस देश में किस प्रथा का अनुसरण किया जाता है। किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया है। आज देश में अनेक दल हैं और जब एक दल दूसरे दल की सहायता से सरकार बनाता है और कुछ व्यक्ति सत्तारूढ़ होते हैं और संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है, तो क्या यह कहना आवश्यक है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है जबकि अन्य दल एक साथ सम्मिलित होकर यह कहते हैं कि हम प्रशासन का भार वहन करने के लिए तैयार हैं ?

अतः मुख्य प्रश्न उद्घोषणा और उसका आधार है और की गयी कार्यवाही संसदीय व्यवहार और लोकतन्त्रात्मक रूढ़ियों के अनुसार कहां तक ठीक है। मैं प्रथम इसी विषय पर ज़ोर देना चाहता हूं।

जैसा कि मैंने पहले कहा, हम उद्घोषणा के कारण जानना चाहते हैं। मैं उसके विषय

में तर्क करना नहीं चाहता हूं । हम केवल कांग्रेस दल और साम्यवादी दल की ठीक ठीक संख्या जानना चाहते हैं । निर्वाचन समाप्त होने पर और आंध्र विधान मंडल की स्थापना होने पर मैंने माननीय गृह मंत्री से निर्वाचन लड़ने वाले और उसमें जीतने वालों की संख्या बताने के लिए निवेदन किया था । वे आंकड़े इस प्रकार हैं :

दल का नाम	लड़ने वालों की संख्या	जीतने वालों की संख्या
साम्यवादी	६७	४१
कांग्रेस	१३६	४०
प्रजा	८२	२०
कृषक लोक	६३	१५
समाजवादी	५५	६
स्वतन्त्र	११०	१७
अन्य	१५	१

जब निर्वाचन समाप्त हो गये तो हमें जनता का निर्णय मालूम हो गया । अतः यदि कोई मंत्रिमंडल निर्वाचन अथवा विधान सभा में हार जाय, तब संवैधानिक संकट का प्रश्न उत्पन्न होता है और दूसरी सरकार बनाने की आवश्यकता होती है । निर्वाचन के समय आन्ध्र राज्य में दलों का निर्माण भिन्न प्रकार से था और निर्वाचन के बाद भिन्न हो गया क्योंकि प्रजा और समाजवादी दल एक साथ हो गये। निर्वाचन में कांग्रेस दल की संख्या ४० थी जबकि साम्य वादी दल की संख्या ४१ थी । निर्वाचन समाप्त होने पर और आन्ध्र राज्य के निर्माण के बाद, राज्यपाल का यह कर्तव्य था कि वह सबसे अधिक संख्या वाले एक दल की सरकार बनाने के लिये बुलाते किन्तु निश्चय ही वैसा नहीं किया गया । त्रावनकोर-कोचीन राज्य में या आन्ध्र राज्य में अथवा अनेक अन्य राज्यों में आज एक भी ऐसा दल नहीं है जिसका निश्चित बहुमत हो, वह केवल दो या तीन राज्यों में ही है । अतः ऐसे राज्यों में जहां किसी एक दल का निश्चित बहुमत न हो और विभिन्न दलों में अन्तर केवल १, २, ३ या ५ का हो, दो या तीन दल एक साथ मिल कर सरकार बना सकते हैं । आन्ध्र राज्य में भी निर्वाचन के पश्चात् ऐसी ही स्थिति थी अर्थात् किसी एक दल का निश्चित बहुमत नहीं था । कांग्रेस दल की संख्या ४० थी और साम्यवादी दल की संख्या ४१ थी । स्वतन्त्र व्यक्तियों में से कुछ कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और कुछ साम्य-वादी दल में । साम्यवादी दल के साथ सात सदस्य थे जो निर्वाचन में स्वतन्त्र रूप से खड़े हुए थे ।

अतः आज प्रश्न यह है कि क्या आन्ध्र राज्य में वास्तव में संवैधानिक संकट था और यदि था, तो वह किस प्रकार था। मेरा यही कथन है कि कोई संवैधानिक संकट नहीं था, केवल दल सम्बन्धी संकट था, शासन करने वाले दल में संकट था । संकट केवल इतना ही था कि जो लोग मंत्रिमंडल बनाने के समय एकत्र हुए थे वह स्थिर न रह सके और उनमें से कुछ दल से बाहर चले गये । मैं इसे संवैधानिक संकट बिल्कुल नहीं कहता हूं । वह केवल दल के अन्दर एक संकट था । जहां अनेक दल हैं वहां प्रत्येक दल में संकट हो सकता है, विभिन्न दलों के मिल जाने पर भी संकट हो सकता है । जहां तक संसदीय प्रणाली का सम्बन्ध है मेरा निवेदन है कि वहां कोई संवैधानिक संकट नहीं था । संवैधानिक संकट तब होता है जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव हो और अन्य दल आमन्त्रित किये जाने पर सरकार न बना सकें । उस समय प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए यदि कोई आगे न आये तभी संवैधानिक संकट होता है । यह है इस सम्बन्ध में संवैधानिक प्रणाली ।

मेरे विचार से वहां ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जिससे कि संवैधानिक शासन

[श्री ए० के० गोपालन]

यंत्र अवरुद्ध हो जाये। मैं श्री आईवर जैनिंग्स की पुस्तक "कैबिनेट गवर्नमेन्ट" से उद्धरण देता हूं। "यह मान्य सिद्धान्त है कि जब पदारूढ़ सरकार हार जाये तो सम्राट को विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमन्त्रित करना चाहिये। आज की संसदीय प्रणाली में एक अभिज्ञात विरोधी दल होता है जिसका नेता विरोधी दल का नेता कहलाता है। यह नियम है कि पदारूढ़ सरकार की हार हो जाने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को आमंत्रित करता है। सम्राट का कार्य सरकार बनाने में सहायता देना है सरकार बनाना नहीं है। इससे सम्राट की निष्पक्षता सिद्ध होती है। इस नियम का एक उपनियम यह है कि विरोधी दल के नेता को आमंत्रित करने से पूर्व सम्राट् किसी से परामर्श नहीं करेगा। परामर्श लेने का अर्थ है विरोधी दल को सरकार बनाने के अधिकार से वंचित करना, और यह प्रत्यक्षतः देश के राजनीति में भाग लेना है।"

इसी पुस्तक के एक अन्य पृष्ठ पर यह भी दिया हुआ है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाने की अवस्था में प्रक्रिया इससे भिन्न होगी। यह तो केवल अविश्वास प्रस्ताव तथा सरकार के हार जाने से सम्बन्ध रखती है।

इसी पुस्तक में कहा गया है: "यह नियम सम्राट को अन्य परिस्थितियों में अपने मनचाहे परामर्शदाताओं से परामर्श करने से रोकता नहीं है। प्रधान मंत्री की मृत्यु हो जाने अथवा स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देने की अवस्था में यह आवश्यक नहीं है कि विरोधी दल निश्चित रूप से सरकार बनाये। यदि सरकारी दल में फूट पड़ जाने से सरकार को त्यागपत्र देना पड़े तो भी यह आवश्यक नहीं है कि विरोधी दल ही नई सरकार बनाये। पहली अवस्था में सम्राट् को सरकारी दल से और दूसरी अवस्था में स्वार्थ रखने वाले दलों से परामर्श करना आवश्यक है।"

मैं कोई संवैधानिक पंडित नहीं हूं। मैंने तो जो मान्य प्रक्रिया है उसे पढ़ कर सुना दिया है। यहां स्पष्ट रूप से बताया गया है कि संवैधानिक संकट आ जाने की स्थिति में सम्राट् या राज्यपाल को तुरन्त ही विरोधी दल के नेता से भेंट करनी चाहिये। यदि विरोधी दल से भेंट नहीं की जाती है और हारे हुए मंत्री को आमन्त्रित किया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रहा है।

दूसरा वाक्य यह है कि न केवल वह निष्पक्ष रूप से कार्य ही करे अपितु यह दिखाई दे कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य कर रहा है। अर्थात् उस का कार्य परखा जायेगा। यह हम मानते हैं कि वहां चुनाव होने को हैं, परन्तु यह कह कर कि संवैधानिक संकट है और इसलिये अविलम्ब चुनाव होने चाहियें बिल्कुल दूसरी बात है। यह स्थिति हो गई है या नहीं यही तो प्रश्न है। इस मामले विशे में श्री नागी रेड्डी ने राज्यपाल से भेंट करके उन्हें यह आश्वासन दिया कि यदि उन्हें १५ दिन का समय दिया जाये तो वह स्थायी सरकार बनाने में अवश्य सफल होंगे। निष्पक्ष होने के नाते राज्यपाल को यह प्रश्न नहीं करना चाहिये था कि एक दल विशेष ही पदारूढ़ रहे। संसदीय प्रणाली के अनुसार उसे विरोधी दल के नेता या नेताओं को बुला कर एक दृढ़ सरकार बनाने की सम्भावना पर परामर्श करना चाहिये था। और कांग्रेस दल ने भी कैसे सरकार बनाई थी? उसने भी तो ऐसे सदस्यों की सहायता से, जो चुनावों में कांग्रेस दल को पराजित करके सदस्य चुने गये थे, सरकार बनाई हुई थी कांग्रेस दल ने अपना विरोध करने वाले

सदस्यों को अपने साथ लिया ही क्यों ? इस आधार पर दल के समर्थकों की गिनती नहीं की जानी चाहिये। भारत में जहां इतने दल हैं और जहां किसी भी दल को निश्चित बहुमत प्राप्त नहीं है क्या आप प्रत्येक बार सरकार के हार जाने पर नये सिरे से चुनाव करायेंगे ? यदि चुनाव के पश्चात् भी कांग्रेस दल के सदस्यों की संख्या यही रही तब फिर क्या होगा ? नये चुनाव फिर तो हो नहीं सकेंगे, इसलिये राज्यपाल को यह देखना चाहिये था कि क्या वास्तव में कोई संवैधानिक संकट था या नहीं, और यदि राज्यपाल ने उचित कार्यवाही की होती तो यह स्थिति होती ही नहीं।

मद्रास में क्या हुआ ? चुनाव के बाद सबसे बड़ा दल कांग्रेस का था, परन्तु श्री प्रकाशम ने अन्य लोगों की सहायता से यूनाईटेड डिमाक्रेटिक फ्रंट दल बनाया। उसका बहुमत हो गया। उस दल ने राज्यपाल से प्रार्थना की कि क्योंकि वह दल बहुमत में था और सभी भाग लेने वाले छोटे दलों का कार्यक्रम एक समान था इसलिये उसे सरकार बनाने का भार सौंपा जाये। परन्तु तब यह कहा गया कि उक्त दल कोई एक संगठित दल नहीं था, इसलिये उसे नहीं अपितु उस दल को जिसने जनता के समक्ष एक समान कार्यक्रम रखा था, सरकार बनाने का अधिकार था, यह बात दूसरी थी कि वह बहुमत में नहीं था। और किया क्या गया। एक व्यक्ति विशेष को, जिसे जनता ने चुना तक नहीं था, जो कि विधान सभा का सदस्य तक नहीं था, बाहर से लाया गया। उसे राज्यपाल ने नाम निर्देशित किया और उसके अधीन सरकार बनाई गई। यह कार्यवाही की गई थी उस समय। राज्यपाल ने उस व्यक्ति को जो विधान सभा का सदस्य नहीं था, विधान परिषद् का सदस्य नाम निर्देशित किया और उसने बहुमत प्राप्त करके अपना मंत्रिमंडल बना लिया। हालांकि वहां ऐसा दल वर्तमान था, जिसके पास कार्यक्रम था और जिसने बहुमत प्राप्त कर रखा था, परन्तु उसे ठुकरा दिया गया। **(अन्तर्बाधा)** त्रावनकोर-कोचीन में भी यही बात हुई कि वहां कांग्रेस दल के ४५ सदस्य थे, और साम्यवादी तथा अन्य दलों के ४५ से अधिक सदस्यों ने मिल कर अपना सबसे बड़ा दल घोषित किया था, किन्तु उन्हें मंत्रिमंडल बनाने का निमन्त्रण नहीं दिया गया, और कांग्रेस दल ने कुछ समय तक वहां राज्य किया।

श्री ए० एम० थामस : तामिल नाड कांग्रेस पार्टी उनमें सम्मिलित नहीं थी।

श्री ए० के० गोपालन : इसका पता तो तब चलता जबकि राजप्रमुख उन्हें सरकार बनाने का निमन्त्रण देते। वहां अकेली सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया गया और बहुमत प्राप्त करने के लिये प्रतिज्ञाएं की गईं। सबसे बड़े अकेले दल को ही सरकार बनाने के लिये कहना और बहुमत प्राप्त कई दलों के संगठन को स्वीकार न करना कोई अच्छी नीति नहीं है। विदेशों में यह रीति है कि जब कोई विश्वास खो बैठता है और हार जाता है तो दूसरे दलों को सरकार बनाने के लिये निमन्त्रण दिया जाता है। अब प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अधीन इन दलों द्वारा शासन चलाया जा सकता है और क्या वे एकत्रित होकर प्रशासन चला सकते हैं।

निर्वाचन के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है जब पैप्सू में राष्ट्रपति का राज्य था और हम निर्वाचनों की मांग कर रहे थे तब शीघ्रता क्यों नहीं दिखलाई गई ? पैप्सू के मामले में एक बात और इस मामले में दूसरी बात, यह समझ में नहीं आता। कांग्रेस सरकार को जहां जो स्थिति अनुकूल दिखाई देती है, उसी के अनुसार वे अपनी नीति बदल लेते हैं। पैप्सू में वह अपनी सरकार जमाना चाहती थी;

[श्री ए० के० गोपालन]

इस लिये वहां निर्वाचनों में अधिकाधिक विलम्ब किया गया और आन्ध्र के मामले में वह कांग्रेस के अधिक सदस्यों को निर्वाचित देखना चाहते हैं, इसलिये वहां शीघ्र निर्वाचन करना चाहते हैं। परिणाम यह होगा कि जो लोग वहां सरकार नहीं चला सके, क्योंकि उन्हें वहां की जनता नहीं चाहती, इसलिये वे पुनः सत्तारूढ़ नहीं हो सकेंगे। उनके स्थान पर अन्य दल सत्तारूढ़ होगा।

श्री रघुरामैया : श्री गोपालन ने एक उद्धरण दिया है कि अविश्वास का मत मिल जाने पर विरोधी दल को सरकार बनाने के लिये कहा जाता है; उस स्थिति में और इस स्थिति में इतना अन्तर है कि इस मामले में मुख्य मंत्री ने सभा भंग कर देने का परामर्श दिया था। मुझे प्रसन्नता है कि अब श्री गोपालन भी ब्रिटिश पार्लियामेंट की रीतियों के उद्धरण देने लग गये हैं।

श्री ए० के० गोपालन: क्योंकि यहां उसी रीति का अनुसरण किया जाता है।

श्री रघुरामैया : श्री कीथ ने एक स्थिति का वर्णन किया है, ठीक वैसी ही स्थिति आन्ध्र राज्य में हुई है। "यदि कोई मंत्रिमंडल परास्त होने पर या अन्य कारण से त्यागपत्र देता है, तो आने वाली सरकार को, यदि इसे कार्य चलाने के योग्य बनना है, अवश्य भंग हो जाना चाहिये। परन्तु अधिक प्रचलित रीति यह है कि परास्त मंत्रिमंडल को भंग होकर निर्वाचनों की अपील करनी चाहिये।"

लार्ड एसक्विथ का कथन था कि उन्हें, दूसरे दल के परास्त होने पर, सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया जाना चाहिये था, परन्तु उनका यह भी मत था कि जो भंग करने का परामर्श सम्राट को दिया जाये, तो वह अपने विवेक के अनुसार कार्यवाही कर सकता है। आन्ध्र की जनता सिद्ध कर देगी कि वहां निर्वाचन का उपयुक्त समय था।

श्री के० रोजनबर्ग ने कहा है कि "प्रधान मंत्री, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के पश्चात्, अनुभव कर सकता है कि देश उस पर विश्वास करता है, और इसलिये वह संसद् को भंग करने का परामर्श दे सकता है। फिर सामान्य निर्वाचनों के परिणाम पर पुराने मंत्रिमंडल का बने रहना या नये मंत्रिमंडल का बनाना अवलम्बित है।" सम्राट् को अपना विवेक बर्तने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या पुराने मंत्रिमंडल को जारी रखने की भी रीति है ?

श्री रघुरामैया : जी, नहीं। सभा भंग करने के लिये कहे जाने पर सम्राट या राज्यपाल को सभा भंग करने या भंग न करने का पूरा अधिकार होता है। परन्तु एक बार भंग करने का निर्णय किये जाने पर विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये कहने की कोई प्रथा नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंग्लैण्ड में विरोधी दल का केवल एक नेता है, जबकि आन्ध्र में विरोधी दलों के कई नेता हैं। और स्वतन्त्र सभासद कभी एक दल में मिल जाते हैं और कभी दूसरे दल में। वहां विरोधी दल में इस प्रकार की बहुत गड़बड़ फैली हुई है। प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री राजू वहां सरकार बनाने के पक्ष में नहीं थे। उनके सात सदस्यों को निकाल कर सब दलों को मिला कर विरोधी दल की संख्या ६० से अधिक नहीं होती। फिर ऐसी स्थिति में और श्री राजू के सरकार बनाने के विरोध में होते हुए सरकार के पास सभा भंग करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। आन्ध्र की जनता भी नये सिरे से निर्वाचन चाहती थी, क्योंकि ये सभासद पुरानी मद्रास विधान सभा

के सदस्य थे, और आन्ध्र राज्य बनने से पूर्व ही निर्वाचित हुए थे ।

श्री गोपालन तथा कतिपय अन्य सदस्य चुनौती दे रहे हैं कि वे जीतेंगे । फिर उन्हें निर्वाचनों से भयभीत होने और वैकल्पिक सरकार बनाने की क्या आवश्यकता है ? वस्तुस्थिति यह है कि वे जानते हैं कि क्या परिणाम निकलेंगे, इसीलिये वे निर्वाचनों से प्रसन्न नहीं हैं । अन्यथा उन्हें इधर उधर के व्यक्तियों को मिला कर वैकल्पिक सरकार बनाने का अनुरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है । वहां कांग्रेसजनों में चाहे कितने भी भेदभाव हों, परन्तु देश और प्रान्त के भाग्य का जहां प्रश्न उठता है और जहां सामान्य निर्वाचनों का प्रश्न आता है, उनमें कोई भेदभाव नहीं रहेगा । श्री गोपालन ने इसे हमारे दल का आपत्तिकाल बताया है । यदि ऐसी बात है तो उन्हें चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसे स्वयं सुधार लेंगे । अन्त में मैं इतना कहूंगा कि राज्यपाल के परामर्श पर राष्ट्रपति ने जो कार्यवाही की है वह सर्वथा उचित और प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के पूर्णतया अनुकूल है ।

श्री अशोक मेहता (भण्डारा) : हमें आशा थी कि गृहकार्य मंत्री राष्ट्रपति की उद्घोषणा की आवश्यकता की व्याख्या करेंगे । हमें बताया गया है कि त्यागपत्र देने वाले मंत्रिमंडल के परामर्श से उद्घोषणा की गई है ।

मैं और मेरे साथी विधान सभा के भंग करने के पक्ष में हैं । जब श्री प्रकाशम हमारे दल की कार्यपालिका के सदस्य थे उन्हें आन्ध्र के लिये उपयुक्त नीति बनाने और शीघ्र निर्वाचन कराने के लिये दल की कार्यपालिका की ओर से आदेश दिया गया था । यदि हमारी इच्छा के अनुसार कार्यवाही की जाती, तो एक वर्ष पहले ही नये निर्वाचन हो जाते, परन्तु हमारे प्रधान मंत्री ने वहां के मामलों में हस्तक्षेप करके लुटेरों वाली नीति को अपनाया । यदि आज वहां की जनता कष्ट भोग रही है तो उसका उत्तरदायित्व कांग्रेस के प्रधान के ऊपर है....

एक माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री अशोक मेहता : उन्होंने लोगों को पदों आदि का प्रलोभन देकर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी । आज कांग्रेस संविधानिक आपत्ति उत्पन्न करना चाहती है, जब कि वास्तव में ऐसी कोई आपत्ति विद्यमान नहीं है । प्रस्तावक ने कहां बताया है कि वहां संविधानिक शासन प्रणाली असफल रही है ? संसदीय प्रजातन्त्र के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर या तो सरकार विधान सभा भंग करने की सिफारिश कर सकती है या त्यागपत्र दे सकती है । यह दोनों काम नहीं कर सकती । श्री कीथ ने भी यही बात कही है कि सरकार द्वारा त्यागपत्र दिये जाने के पश्चात् विधान सभा भंग कर दी जाती है । परन्तु कोई न कोई सरकार सत्तारूढ़ अवश्य रहती है । इस के कई उदाहरण ब्रिटेन के इतिहास में मिल सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ब्रिटेन के संविधान में ऐसा कोई उपबन्ध है ?

श्री अशोक मेहता : किन्तु यहां संविधानिक व्यवस्था नष्ट नहीं हुई है । यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि कोई असाधारण मामला हो गया है । कोई भी विधान सभा, मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना, भंग नहीं की जा सकती । यही विचार श्री डाईसी ने व्यक्त किये हैं । परन्तु मंत्रिमंडल यह परामर्श देकर त्यागपत्र नहीं दे सकता । यदि कोई मंत्रिमंडल त्यागपत्र देता है, तो या तो कोई वैकल्पिक मंत्रिमंडल बनाया जाना चाहिये या इसे स्वयं शासन कार्य चलाना चाहिये ।

[श्री अशोक मेहता]

सन् १८७५ में जब डिज़रेली ने ग्लैडस्टन को हरा दिया था तो उसे सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया गया। परन्तु उसके अस्वीकार करने पर जब फिर से ग्लैडस्टन को बलाया गया तो उसने कहा था कि "पार्टी के नेता को यदि आमन्त्रित किया जाये तो उसे या तो स्वयं सरकार चलानी होगी या और कोई उपाय बताना होगा, और उस अन्य उपाय के भी असफल हो जाने पर उसे स्वयं सारा कार्य सम्भालना ही होगा।" अतः यहां भी या तो मुख्य मंत्री को ही कार्य चलाना होगा अथवा उसके त्यागपत्र देने पर विपक्ष के नेता को आमन्त्रित करना होगा।

डा० काटजू : राज्यपाल ने साम्यवादी पार्टी के नेता को बुलाया था।

डा० रामाराव : मैं इस कथन को चुनौती देता हूं। (**अन्तर्बाधा**)

डा० काटजू : मेरा अभिप्राय है उसके साथ बातचीत की थी। (**अन्तर्बाधा**)

श्री अशोक मेहता : हमारा सम्बन्ध तो केवल संवैधानिक औचित्य के प्रश्न से है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हमारे संविधान और ब्रिटिश संविधान में कोई अन्तर नहीं ?

श्री अशोक मेहता : हमारा संविधान तभी उपबन्ध बनाता है जबकि संवैधानिक व्यवस्था टूट जाये। परन्तु यहां अभी यह टूटी नहीं है क्योंकि श्री प्रकाशम् सरकार चला सकते हैं। और उनके त्यागपत्र देने पर राज्यपाल अन्य नेताओं अथवा विपक्ष के किसी नेता के द्वारा राज्य चला सकता है। आंध्र के राज्यपाल का कथन है कि अब उसके शासन में प्रशासन उन्नति कर रहा है तो क्या इसका अर्थ यह है कि प्रजातन्त्र की अपेक्षा नौकरशाही अच्छी है और इसी राज्यपाल के शासन में ही चुनाव उचित प्रकार से हो सकेंगे ? हम तो इस देश में स्वस्थ प्रजातन्त्रात्मक परम्पराएं विकसित करना चाहते हैं। राज्यपाल को शासन अपने हाथ में ले लेने की अनुमति ही क्यों दी गई ? जैनरल इस्कन्दर मिरज़ा तो नियन्त्रित प्रजातन्त्र की बात करते हैं और त्रिवेदी जी इसका प्रत्यक्ष रूपेण प्रयोग कर रहे हैं। हम तो शुद्ध प्रजातन्त्र राज्य चाहते ह, जिसके अनुसार यदि कोई सरकार त्याग पत्र नहीं देती और राज्यपाल को शासन सम्भालने के लिए कहती है तो राज्यपाल को वैसा करना पड़ता है, परन्तु यदि पूर्व सरकार त्याग पत्र दे देती है तो राज्यपाल विपक्ष के नेता को आमंत्रित करता है।

इस नियम का कभी अपवाद होता नहीं देखा। विक्टोरिया के राज्य में आस्ट्रेलिया में श्रमिक-सरकार हार गई। तब श्रमिक पार्टी के नेता ने विपक्ष का दो पार्टियों में से छोटी पार्टी के नेता को आमन्त्रित करने के लिए सुझाव दिया और राज्यपाल को उसका सुझाव मानना ही पड़ा। सन् १९२६ में कैनेडा में भी यही हुआ और राज्यपाल को पहले नेता की बात माननी ही पड़ी।

धारा ३५६ विशेष स्थितियों में ही लागू होती है। आप श्री प्रकाशम् को विधान सभा टूटने के पश्चात् राज्य चलाने के लिए कह सकते थे। इस सम्बन्ध में हमंत्री मौन हैं। वे केवल कुछेक विवरणों को हमारे सामने पढ़ देते हैं। वहां कोई सरकार तो होनी चाहिए थी, परन्तु जनतन्त्र के विरुद्ध राज्यपाल को शासन जानबूझ कर दिया गया, तथा यह बताया गया कि इस प्रकार चुनाव न्यायपूर्ण होगा। यह कहीं भी नहीं कहा गया कि प्रकाशम् मन्त्रिमण्डल ने विधान सभा को तोड़ने की सम्मति दी है। यदि वे इस प्रकार की

सम्मति देते तो त्यागपत्र प्रस्तुत नहीं करते। ऐसा ही संविधान के ज्ञाताओं की सम्मति है।

चुनाव दोबारा तभी सम्भव थे जबकि प्रकाशम् मंत्रिमंडल अपनी नीति ठीक प्रकार से न चला पाता। यदि वे अपनी नीति ठीक तरह से चला नहीं सकते थे तो किसी अन्य नेता को सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया जाता जिससे उचित नीति चलाई जा सकती। गृह मंत्री का कथन है कि अविश्वास प्रस्ताव मदिरा पर नियन्त्रण के कारण प्रस्तुत हुआ। आंध्र सरकार ने राममूर्ति समिति की सिफारिशों को पूर्णतया स्वीकार किया। क्या सरकार सभा द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन कर सकती है। यही प्रश्न इस समय उपस्थित था।

गृह मंत्री जी जानते हैं कि मदिरा नियंत्रण की नीति इस प्रकार से वे चलाना चाहते थे जिससे वे सफ़ल होती—केवल इसी आधार पर वह सरकार नहीं तोड़ी गई थी। परन्तु हम जनतन्त्र के सिद्धान्तों का उल्लंघन नहीं चाहते थे।

आंध्र सरकार ने जनतन्त्र के सिद्धान्तों का उल्लंघन विधान सभा को तोड़ कर किया तथा हम से अब इस उद्घोषणा की स्वीकृति कराई जा रही है। इस प्रकार का वैधानिक कार्य कभी कभी होता है, परन्तु अभी यह कार्य प्रतिदिन हमारे सम्मुख आता है।

जब संविधान बनाया गया था तब संविधान निर्माताओं का विचार ऐसा नहीं था। वे जनतंत्र देश बनाना चाहते थे। सम्भव है कि मेरे मित्र, साम्यवादियों को अधिकार नहीं देना चाहते। परन्तु उन्हें इसके लिए दूसरी नीति बरतनी चाहिए। हमें जनतन्त्र के विभिन्न पक्षों के परस्पर सम्बन्ध अच्छे बनाने चाहियें, नहीं तो इस प्रकार से आप देश को जनतन्त्र नहीं बना सकते। साम्यवादियों का विरोध करने में मैं अपनी संवैधानिक रूढ़ियों को नहीं तोड़ सकता। हमें जनता पर विश्वास रखना चाहिए अपनी नीति को भली प्रकार चलाना चाहिए। आप देखेंगे कि देश में साम्यवादियों का ज़ोर नहीं होगा। क्योंकि देश की जनता में जनतन्त्र के अंकुर हैं, परन्तु आप तो अधिकार चाहते हैं। आप इसी पागलपन में दूसरी पार्टियों को छिन्न भिन्न करने में नहीं चूकते।

अतः इस उद्घोषणा के लिए कोई आधार, कोई तर्क नहीं है। इसीलिए मैं इस संकल्प के विरुद्ध हूं। गृह मंत्री ने अपने भाषण में समाचार पत्रों के उद्धरण आदि दिए हैं, उन्होंने कोई विशेष सूचना हमें नहीं दी। अतः मैं तथा मेरे साथी इस संकल्प को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।

डा० लंका सुन्दरम् : गृह मंत्री जी का वक्तव्य केवल चुनाव के पूर्व का भाषण सा प्रतीत होता है तथा इसी लिए उद्घोषणा बिल्कुल अलग की चीज़ हो गई है। उद्घोषणा का यह अधिकार राष्ट्रपति का है तो सभा का स्थान इसमें कहां आता है। हम पर व्यर्थ का उत्तरदायित्व लादा जा रहा है। गृह मंत्री जी का ध्यान मैंने इस ओर दिलाया था कि उसमें चुनाव सम्बन्धी तिथि का उल्लेख नहीं है। केवल इतना लिख दिया है कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र होगा। हो सकता है कि बाद में किसी बहाने से चुनाव की तिथि फिर से स्थगित कर दी जाये, तब तो आंध्र देश में सदैव ऐसा राज्य चलता रहेगा। इसीलिए मैं निश्चित रूप से चुनाव की तिथि जानना चाहता हूं।

इस संसद् सभा पर आंध्र के प्रशासन का भारी उत्तरदायित्व है। मैं श्री काटजू से इस उद्घोषणा में खण्ड (ख) के ठीक ठीक परिपालन के लिए कहूंगा। आप यह बताएं कि इस खण्ड को चुनाव से पहले के समय तक कैसे परिचालित करेंगे?

डा० काटजू : इसके विषय में सोचूंगा और आपका समाधान करूंगा ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं तो यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल का राज्य प्रजा के भले के लिए हो। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अवश्य ही इस मामले पर गहराई से सोच विचार करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र अपना विवरण रखेंगे ।

मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १५९ की ओर दिलाता हूं जिसके अनुसार राज्यपाल ईश्वर को साक्षी समझ कर प्रतिज्ञा करता है कि वह संविधान और विधि की सुरक्षा तथा संरक्षण करेगा । परन्तु यहां तो ऐसा नहीं हो रहा है । एक मंत्रिमंडल के त्याग पत्र देने पर राज्यपाल का राज्य क्यों हो गया है ? और फिर चुनाव होने तक बीच बीच में अनेक गुट बना कर जनता को अधःपतन की ओर ले जाया जायेगा । इसी-लिए तो हम बार बार कहते हैं कि चुनाव शीघ्रातिशीघ्र हों और यदि आवश्यक समझा जाये, तो प्राचीन परिसीमन के अन्तर्गत ही चुनाव हो जायें । नये परिसीमन आदेश के अनुसार जल्दबाज़ी से काम करने से अनेक उलझनें उत्पन्न हो जायेंगी ।

एक और बात यह है कि सरकार को राममूर्ति समिति के प्रतिवेदन पर निर्भर नहीं करना चाहिये था । यह कोई प्रथम अवसर नहीं है कि यह सरकार हारी है, अन्य अवसरों पर भी चार बार हार चुकी है । और इस बार मद्य-निषेध के प्रश्न पर ही अविश्वास प्रस्ताव पर हार गई । वेतनों के प्रश्न पर सरकार ने एक सर्वमत से यह पारित किया था कि वे ५००) रुपये मासिक से अधिक वेतन न लेंगे, परन्तु हुआ क्या ? राज्यपाल ने एक अध्यादेश जारी करके वेतनों को १००० रु० तक बढ़ा दिया । सारांश यह कि इस प्रकार से आन्ध्र में नियमों, विधियों और परम्पराओं का उल्लंघन होता रहा है ।

अतः मैंने केवल इस ओर ध्यान दिलाया है कि इस सभा का यह उत्तरदायित्व है कि वह देखे कि आन्ध्र देश में एक अच्छी सरकार हो और नई सरकार के लिए चुनाव होने तक राज्यपाल का शासन ऐसा हो जो न ही केवल इस सभा को अपितु वहां की जनता को भी पसन्द हो ।

डा० कृष्णस्वामी : मुझे खेद है कि इस वाद विवाद में चर्चा इस बात पर केन्द्रित रही है कि नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसे बुलाना चाहिए था और जो मुख्य प्रश्न है अर्थात् क्या राष्ट्रपति का शासन वर्तमान परिस्थितियों में न्यायोचित है, उस की उपेक्षा कर दी गई है । माननीय गृह मंत्री समझते हैं कि राष्ट्रपति का शासन एक साधारण मामला है । मैं इसे बहुत गम्भीर मामला समझता हूं, क्योंकि वास्तव में यह असैनिक सेवा का शासन होता है । इससे इस संसद् का उत्तर-दायित्व भी बढ़ जाता है । मेरे विचार में संसद् इतना उत्तरदायित्व नहीं सम्भाल सकेगी ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

अविश्वास प्रस्ताव के फलस्वरूप भूतपूर्व मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद, उसने काम चलाऊ मंत्रिमंडल के रूप में काम करने से इंकार कर दिया था । इन परिस्थितियों में राज्यपाल का कर्तव्य क्या था--यह प्रश्न मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं । क्या उनका कर्तव्य यह था कि वह केवल विधान सभा के विघटन का परामर्श स्वीकार कर लेते ? क्या उन का यह कर्तव्य नहीं था कि वह एक सर्व-दलीय काम चलाऊ मंत्रि-मंडल बनाने के लिए प्रयत्न करते ? काम चलाऊ मंत्रिमंडल नीति के मामलों में हस्तक्षेप तो कर नहीं सकता । दो तीन महीनों के बाद नये चुनाव हो जाते और एक प्रतिनिधि विधान-सभा बन जाती ।

राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अन्तर्गत यह उद्घोषणा की है। इसका अनुमोदन करने के लिए हमारे लिए यह देखना और इस मामले में अपने आप को सन्तुष्ट करना आवश्यक है कि क्या वास्तव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि अनुच्छेद ३५६ तभी लागू हो सकता है जब राज्यपाल यह अनुभव करे कि एक ऐसे मंत्रिमंडल के, जो कि विधान सभा के सामने उत्तरदायी नहीं है, ६ मास से अधिक अवधि के लिए सत्तारूढ़ होने की सम्भावना है। यदि वह यह अनुभव करे कि यह अवधि ६ मास से कम होगी, तो वह यह नहीं कह सकता कि शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। जब आंध्र में तीन मासों के बाद आपका नये चुनाव करने का विचार है, तो इस अवधि में राष्ट्रपति का शासन स्थापित कर देना वैधानिक दृष्टि से अनुचित है। यद्यपि हमें राष्ट्रपति के शासन का निरीक्षण करने का अधिकार है, वास्तव में शक्ति और प्राधिकार एक ही व्यक्ति अर्थात् राज्यपाल के हाथ में रहेगा और वह अपनी में शक्ति का प्रयोग एक स्वेच्छाचारी की तरह करेगा। मुझे इसमें सन्देह है कि आंध्र के राज्यपाल, श्री त्रिवेदी ने अपने आप को सन्तुष्ट कर लिया है या सन्तुष्ट करने का वास्तविक प्रयत्न किया है कि राष्ट्रपति का शासन स्थापित करने के लिए स्थिति अनुकूल है। यदि भूतपूर्व मंत्रिमंडल प्रशासन जारी रखने के लिए तैयार नहीं था, तो राज्यपाल के लिए एक सर्वदलीय काम चलाऊ मंत्रिमंडल बनाने में, जो कि केवल साधारण प्रशासनीय मामलों की देखभाल करता और जिसका नीति के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार न होता, क्या कठिनाई थी ? क्या ऐसा मंत्रिमंडल बनाने के लिए सब दलों से प्रस्ताव किया गया था ? केन्द्रीय कार्यपालिका तीन महीनों के लिए भी आंध्र के प्रशासन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर क्यों ले और संसद् पर यह उत्तरदायित्व क्यों डाला जाये ? मुझे बहुत खेद होगा यदि सदन संवैधानिक अभिसमयों की उपेक्षा करते हुए इस प्रस्ताव को पारित कर दे। मैं आशा करता हूं कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय गृह मंत्री इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि आंध्र के राज्यपाल ने एक सर्वदलीय काम चलाऊ मंत्रिमंडल बनाने के लिए किस हद तक प्रयत्न किया था ?

श्री ए० एम० थामस : साम्यवादी दल के नेता श्री गोपालन ने कहा है कि राज्यपाल का यह कर्तव्य था कि वह विरोधी दल के नेता से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहता। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है। यह संसदीय लोकतन्त्र के नमूने का है और हम उचित अवसरों पर ब्रिटेन जैसे देशों के अभिसमयों का अनुसरण कर सकते हैं। किन्तु हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ऐसे देशों में दो या तीन संगठित राजनीतिक दल हैं और छोटे छोटे गुट नहीं हैं। वहां मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद, विरोधी दल के नेता से मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहा जाना बहुत आसान है। किन्तु आंध्र में ऐसी स्थिति नहीं है। राज्यपाल को पहले सन्तुष्ट होना चाहिए कि एक स्थिर मंत्रिमंडल बन सकता है। उसके लिए यह अनिवार्य नहीं कि वह हर अवसर पर विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने का निमन्त्रण दे। एक दृढ़ और कार्य कुशल प्रशासन स्थापित होने की सम्भावना पहली शर्त है जो कि पूरी होनी चाहिए और इसका निर्णय राज्यपाल स्वविवेक से कर सकता है। उसे पहले सन्तुष्ट होना चाहिए कि ऐसा प्रशासन स्थापित हो सकता है। उसके लिए विरोधी दल के नेता को निमन्त्रण देना अनिवार्य नहीं है।

[श्री ए० एम० थामस]

जब संविधान के उस अनुच्छेद पर चर्चा हो रही थी जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति को संसद् और राज्यपाल को विधान सभा विघटित करने का अधिकार दिया गया है, तो इस अभिप्राय के संशोधन प्रस्तुत किये गये थे कि मन्त्रिमंडल की पराजय की अवस्था में विरोधी दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर देना चाहिए। उस समय डा० अम्बेडकर ने कहा था कि उचित मामलों में इस प्रथा का अवश्य अनुसरण किया जायेगा किन्तु इसके लिए किसी विशेष खंड की आवश्यकता नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यदि राजा या राष्ट्रपति विरोधी दल के नेता या किसी अन्य सदस्य को प्रशासन का उत्तरदायित्व सम्भालने के लिए प्रेरित कर सके, तो उनके लिए सदन को विघटित करना आवश्यक नहीं है।

इसी प्रकार भारत संघ का राष्ट्रपति भी सभा की भावना को देखेगा कि वह सभा को भंग करने के पक्ष में है या नहीं। यदि उसे भंग करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं दिखाई देगा तो वह प्रधान मंत्री की राय मान कर सभा को भंग कर देगा। अतः एक ऐसे दस्तावेज़ के लिये आग्रह करना जिसमें प्रधान मंत्री द्वारा सभा को भंग करने के कारण बताये गये हों मुझे बिल्कुल व्यर्थ प्रतीत होता है। राष्ट्रपति के पास सभा की भावना को जानने और यह पता लगाने के लिये कि प्रधान मंत्री सद्भाव से सभा को भंग करने के लिये कह रहा है या केवल अपने दल की उद्देश्यपूर्ति के लिये, और बहुत से साधन है।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि राज्यपाल ने स्थिति का सही ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही सभा विधान भंग करने के लिये कहा और राष्ट्रपति को यह सूचना दी कि संविधान भंग हो गया है। श्री अशोक मेहता का यह कहना, कि राज्यपाल सभा भंग करके प्रकाशम् मन्त्रिमण्डल को कायम रहने देते, युक्तिसंगत नहीं जान पड़ता, क्योंकि सत्तारूढ़ दल इसके विपक्ष में था और प्रजा समाजवादी दल भी यह चाहता था कि जनमत लिया जाये। साम्यवादी दल के नेता, श्री गोपालन अपने दल के लिये १५ दिन का अवकाश चाहते थे क्योंकि ऐसी अनिश्चित स्थिति में एकदम राज्यपाल से यह कह देना, कि उनका दल बहुमत प्राप्त कर लेगा, उचित न होता। कृषिकार लोक दल ने इस सम्बन्ध में अपना कोई मत प्रकट नहीं किया।

श्रीमान्, जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, वह मेरे विचार में किसी प्रकार भी अवैधानिक या गलत नहीं है। यद्यपि अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के तीन घंटे के अन्दर ही प्रकाशम् मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था, परन्तु राज्यपाल ने अपनी ओर से कोई शीघ्रता नहीं की, वे विभिन्न दलों के नेताओं से मिले, आन्ध्र की विभिन्न परिस्थितियों पर पर्याप्त विचार किया, और तभी सभा भंग की और राष्ट्रपति से शासन की बागडोर अपने हाथों में लेने की सिफारिश की। अतः मैं कहता हूं कि संकल्प बिल्कुल भी आपत्तिजनक नहीं है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

डा० गंगाधर शिव: मैं आन्ध्र के सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री के संकल्प और राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा का समर्थन करता हूं। आन्ध्र की विधान सभा में इस मामले के प्रस्तुत होने पर कि मद्य निषेध कायम रहे अथवा खत्म कर दिया जाये, मंत्रिमंडल अपने पक्ष के समर्थन में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ा। आन्ध्र की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति ने वहां के राज्यपाल की सिफारिश पर, आन्ध्र के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया और श्री

त्रिवेदी को अगले चुनाव तक के लिये वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया । राष्ट्रपति की इस घोषणा का आधार सत्य है, और उसके सद्भाव पर किसी को भी शंका नहीं करनी चाहिए ।

मैं इस संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं ।

श्री सी० आर० नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : कुछ माननीय सदस्यों ने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि सभा भंग करने में राज्यपाल ने कांग्रेस दल का पक्ष लिया है । परन्तु मेरा कहना यह है, कि यदि राज्यपाल सभा भंग न करके दूसरे दल को सरकार बनाने के लिये बुलाता, तो निस्सन्देह उसको पक्षपातपूर्ण कहा जा सकता था क्योंकि दलों की वर्तमान अनिश्चित अवस्था में कभी भी कोई दल बहुमत में आ सकता है और आने वाला मन्त्रिमण्डल भी सभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है । ऐसी स्थिति में यदि राज्यपाल बाद के मंत्रिमंडल की सिफारिश मान ले, जबकि पहले मंत्रिमंडल की इसी सिफारिश को उसने ठुकरा दिया है, तो निस्सन्देह उसकी यह बात पक्षपातपूर्ण होगी । मेरा विचार है कि आन्ध्र के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का कदम पूर्णतः उचित और पक्षपातरहित है । राज्यपाल के हाथों में शासन की बागडोर आना प्रजातन्त्र के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अन्ततः वहां का शासन केन्द्रीय सरकार के ही अधीन है ।

एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि क्यों न एक सर्वदलीय काम चलाऊ सरकार बना दी जाय । इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि राज्यपाल का शासन भी एक प्रकार से सर्वदलीय है ।

इतना कहने के बाद, मैं यह बात अवश्य कहूंगा, यद्यपि इसे कहते हुए मुझे कुछ संकोच भी होता है, कि मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर हर बार राज्यपाल का शासन कायम कर देना समस्या का एक स्थायी समाधान नहीं है । इस सम्बन्ध में हम केन्द्र की बात सामने रख कर विचार करें । प्रश्न यह है कि यदि आज केन्द्र के मन्त्रिमण्डल को त्याग पत्र देना पड़ जाये तो क्या वह मंत्रि-मंडल नये चुनाव होने तक काम करता रहेगा या फिर उसके स्थान पर राष्ट्रपति का शासन या काम-चलाऊ शासन लागू हो जायेगा ? मेरे विचार में केन्द्र के लिये संविधान में काम चलाऊ सरकार का कोई उपबन्ध नहीं है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि राज्यों और केन्द्र की लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया में इतना भेद क्यों रखा गया है और प्रकाशम् मंत्रिमंडल को अगले निर्वाचन तक क्यों नहीं रहने दिया गया ?

श्री एस० एस० मोरे : हम लोकतन्त्र की प्रारम्भिक अवस्था में हैं, अतः हमको संवैधानिक उपबन्धों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए । सबसे पहले हमको यह देखना है कि आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने जो घोषणा जारी की है, उसमें उन्होंने अपने अधिकारों की सीमा के अन्दर ही कार्य किया है अथवा नहीं । घोषणा के उपखण्ड (३) के अनुसार उक्त राज्य की विधान-सभा भंग कर दी गई है । अब देखना यह है कि राज्य की विधान सभा भंग करने का वास्तविक अधिकार किस को है । संविधान के अनुच्छेद १७४ (२) के अनुसार राज्यपाल को सभा भंग करने का अधिकार है, परन्तु इस घोषणा के द्वारा उक्त अनुच्छेद का निलम्बन हो जाता है और राज्यलपाल को सभा भंग करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है ।

अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद ३५६ के अनुसार राज्य विधान सभा को भंग करने का अधि-कार है । मैंने इस अनुच्छेद पर ध्यानपूवक विचार किया है और मैं इस निष्कष पर

[श्री एस० एस० मोरे]

पहुंचा हूं कि इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को सभा भंग करने का कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि वह इसको निलम्बित अवश्य कर सकता है । अनुच्छेद ३५६, वस्तुतः भारत शासन अधिनियम, १९३५ की धारा ९३ के ही समान है । धारा ९३ के अधीन, राज्यपाल को घोषणा जारी करने का अधिकार था, जिसका अनुमोदन इंग्लैण्ड की संसद् द्वारा किया जाता था । अनुच्छेद ३५६ में राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार है और जिसका अनुमोदन यहां की संसद् करती है । १९३५ के अधिनियम की धारा ९३ के अधीन प्रान्तों के राज्यपालों की घोषणा के अधीन निलम्बन आदेश के बाद भी कुछ सदस्य विधानमंडल में रह जाते थे और विधानमंडल भंग करने के लिये और उपाय करने पड़ते थे । जैसा मैंने अभी कहा अनुच्छेद ३५६ भी धारा ९३ के समान ही है और मैं यह महसूस करता हूं कि आन्ध्र राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने, जो आदेश जारी किया है, वह शक्ति के परे है ।

राष्ट्रपति का कहना है कि जो कुछ मैंने किया है, उससे मुझे पूरा संतोष है । परन्तु इस संसद् से उस घोषणा का अनुमोदन प्राप्त करने के लिये, वह सब सामग्री प्रस्तुत करना परमावश्यक है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति एक विशेष कदम उठाने के लिये बाध्य हुए । मेरा आशय राज्यपाल के प्रतिवेदन तथा अन्य सम्बन्धित सूचना से है । इस सभा को, जिसको अधीक्षण पुनरीक्षण तथा अनुमोदन सम्बन्धी सारे अधिकार प्राप्त हैं और जो एक सर्वोच्च सत्ता है, उस समस्त जानकारी से यह कह कर वंचित रखना कि राज्यपाल का प्रतिवेदन गोपनीय है और फिर उसका अनुमोदन प्राप्त करने की कोशिश करना बड़ा ही हास्यास्पद दिखाई देता है और लोकतन्त्र की भावना के विरुद्ध है । मेरा निवेदन है कि हमें संविधान के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए क्योंकि हमने उसके अनुसार चलने की सौगन्ध खाई है । केवल इस नाते सारी जानकारियों से वंचित रखना कि हम बहुमत में हैं और हम अपनी मनमानी करेंगे, उचित नहीं है ।

राज्यपाल ने श्री प्रकाशम् के त्याग पत्र के बारे में एक प्रैस सम्मेलन में केवल इतना ही कहा कि श्री प्रकाशम् ने अपना त्याग पत्र दे दिया है और इस बारे में, कुछ नहीं बताया कि मुख्य मंत्री ने स्वयं उनसे सभा भंग करने के लिये कहा था । अतः इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री का पदत्याग सम्बन्धी पत्र ही केवल विश्वसनीय माना जा सकता है, परन्तु सरकार उसको प्रस्तुत नहीं करना चाहती ।

यह कहा जाता है कि हमें अन्य देशों में प्रचलित संसदीय प्रथाओं का भी अनुकरण करना चाहिए । संसदीय लोकतन्त्र के सम्बन्ध में अनेक सदस्यों ने जेनिंग्स इत्यादि का उल्लेख किया है परन्तु मैं पूछता हूं कि क्या संसदीय सरकार इंग्लैण्ड में ही है ? क्या कनाडा, आस्ट्रेलिया, आयरलैण्ड इत्यादि में इस प्रकार की सरकारें नहीं हैं ? संविधान में यह नहीं कहा गया कि हमें किस देश का अनुकरण करना चाहिये जहां तक इस संविधान का सम्बन्ध है, बहुत से मामलों में समें निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा गया जैसा कि हम अनुच्छेद ७४ से देख सकते हैं ।

त्रावनकोर-कोचीन में ही हम देखें तो हमें पता चलेगा कि विधान सभा में प्रजा समाजवादी दल के लोगों की संख्या कितनी कम है, फिर भी वही शासन की बागडोर सम्भाले हुए है । मैंने संसदीय प्रक्रिया पर अनेक विद्वानों की सम्मतियों पढ़ी हैं किन्तु उनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि यह निश्चित नियम नहीं है कि हारे हुए मंत्रिमंडल को हटा दिया जाना चाहिये किन्तु

हटा देने की प्रथा इसलिये चल पड़ी है कि बहुमत मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध होने के कारण उसे कोई काम नहीं करने देगा।

आयरलैण्ड जो बहुत कुछ हमारे देश से इस विषय में मिलता-जुलता है, वहां भी मन्त्रिमण्डल के हार जाने पर जब तक दूसरे मन्त्रिमण्डल का चुनाव न हो जाय तब तक प्रशासन कार्य को असैनिक कर्मचारियों अथवा अन्य अधिकारियों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। अतः लोकतन्त्रात्मक रूप से चुना गया नेता, भले ही उसने संसद् का विश्वास खो दिया हो, कार्य करता रहेगा। इंग्लैण्ड में इससे विपरीत प्रथा है और वह यह कि यदि हारे हुए मन्त्रिमण्डल का कार्यकाल समाप्त होने पर वहां का मुख्यमंत्री राय दे कि विधान सभा तोड़ दी जाय तो सम्राट अथवा डोमीनियन के गवर्नर जनरल को इस राय को स्वीकार करना पड़ता है। जबकि आयरलैण्ड वालों का कहना यह है कि यदि आप हार जाते हैं तो आपने सदन का विश्वास खो दिया है। अतः सदन को भंग करने की आपकी राय नहीं स्वीकार की जायगी। अतः हमारे सम्मुख प्रश्न यह है कि हम इंगलिस्तान की प्रथा को अपनायें अथवा आयरलैण्ड की। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। इस विषय में संविधान निर्माताओं को यह निश्चय करना चाहिये था कि कौन सी प्रथा का पालन किया जाय।

जहां तक मैं समझता हूं कि यदि श्री प्रकाशम् अथवा उनका मन्त्रिमण्डल हार गया था तो उसे तत्काल ही भंग करना उचित उपाय नहीं था। अंग्रेज़ी प्रथा के अनुसार भी किसी उत्तराधिकारी की नियुक्ति करना राज्यपाल का कर्तव्य है।

हमारे पंडित नेहरू ने भी १९३८ में कहा था कि हमारी कांग्रेस भी भिन्न भिन्न वर्ग के लोगों की एक मिली-जुली संस्था है। यदि विभिन्न क्षेत्रों के ख्यातिप्राप्त लेखकों की रचनायें हमारे पंडित नेहरू जैसे व्यक्ति पढ़ें तो उन्हें पता लगेगा कि यद्यपि इंग्लैण्ड में दो दल अथवा तीन दलों की प्रणाली प्रचलित है, यहां तक कि १९५१ के चुनाव में सैंतीस दलों ने भाग लिया था।

मैं देखता हूं कि आजकल हमारे यहां भी प्रान्तीयता तथा जाति-पांति की भावना काम करती है हमारे देश में लोकतन्त्र की स्थापना को पांच छः वर्ष ही हुये और यह आशा नहीं की जा सकती कि दल प्रणाली चल सकेगी। इसी प्रकार इंग्लैण्ड तथा अमरीका में भी एक एक दल के अन्दर कई कई हित रहते ह। अतः मेरी समझ से राज्यपाल को पक्षपात रहित होकर काम करना चाहिये था। यदि आप यह समझते हैं कि कम्यूनिस्ट सरकार का उत्तरदायित्व सम्भालने के योग्य नहीं हैं तो उन्हें चुनाव में भाग ही क्यों लेने दिया जाता है। अतः मेरा निवेदन यह है हमें उन चीज़ों का पता नहीं है जिस पर राष्ट्रपति का निर्णय आधारित है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसा करके राष्ट्रपति ने अपने अधिकार से बाहर कार्य किया है।

अंग्रेज़ी प्रक्रिया के अनुसार तो संसद् को भंग करने के साथ ही अगली संसद् की बैठक की तिथि भी निश्चित कर दी जाती है किन्तु यहां हम "यथाशीघ्र" कह कर ही रह जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है ?

श्री रामा राव : जब कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर हार जाती है तो संवैधानिक प्रक्रिया यह है कि राज्यपाल का यह कतव्य हो जाता है कि वह विरोधी दल के नेता को अपनी सरकार बनाने का अवसर दे।

गृह मंत्री का यह कहना कि राज्यपाल ने विरोधी दल के नेता से ऐसा करने के लिये कहा था, गलत ह। श्री नागी रेड्डी, जो विरोधी दल के नेता हैं, उनके द्वारा भेंट की

[डा० रामा राव]

मांग करने पर उन्हें भेंट करने की अनुमति दी गई थी। वास्तव में होना यह चाहिये था कि राज्यपाल उन्हें आमन्त्रित करता। यदि गृह मंत्री ने जान-बूझ कर ऐसा कहा है तो उन्होंने बड़ा गलत काम किया है। इस कारण मेरी शिकायत यह है कि प्रक्रियानुसार विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित नहीं किया गया था।

आन्ध्र विधान सभा में प्रारम्भ में विरोधी दल अर्थात्, कम्युनिस्ट दल के सदस्यों की संख्या अधिक थी किन्तु गत चुनाव के अन्त में उनकी संख्या लगभग कांग्रेस सदस्यों के बराबर ही हो गई। अतः आन्ध्र में कम्यूनिस्ट दल की संख्या नगण्य नहीं है।

अब मुझे गृह-कार्य मंत्री द्वारा उस सरकार को सतमेली सरकार कहे जाने के विषय में कुछ कहना है। मैं उन से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनकी सरकार आरम्भ में सतमेली नहीं थी क्योंकि उसमें तो लगभग सभी दलों के लोग थे ?

इस प्रकार की यह अन्तिम चीज़ नहीं है। अन्य राज्यों में भी ऐसा ही होने वाला ह क्योंकि जब तक अन्य दलों का सहयोग मिलता है कांग्रेस सरकार बनाने के लिये कह देगी। किन्तु जब विरोधी दल के सरकार बनाने का प्रश्न आता है तो वह इसके लिये अनुमति नहीं देगी।

मद्य निषेध वहां की सरकार के हारने का प्रमुख कारण न होकर कुछ और ही कारण थे। सोलह बातों पर मत-विभाजन में से पांच में सरकार हार गई थी। अविश्वास प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखने से पूर्व कांग्रेसी मंत्री यही कहते रहे "या तो आप हमारा अधिकार चलने दीजिये अथवा राज्यपाल का शासन लीजिये।" बराबर इसी प्रकार के भाषणादि होते रहे कि यदि ये लोग हटाये जाते हैं तो राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जायेगा। अन्त में यही हुआ कि राष्ट्रपति के शासन का आदेश तो पहले से ही तैयार हो गया था किन्तु राज्यपाल की रिपोर्ट प्राप्त होने की प्रतीक्षा होती रही। यह समाचार इण्डियन एक्सप्रेस नामक समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था।

यह सत्य है कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को विधान सभा भंग करने के विशेषाधिकार हैं किन्तु उनका उपयोग विशेष परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिये। यदि वे कहीं पर हार जाते हैं तो उन्हें एक दम संविधान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। कम्युनिस्टों के लिये तो वे चिल्लाकर कहते हैं कि वे संसदीय प्रक्रिया में विश्वास नहीं करते किन्तु वे स्वयं संसदीय प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं का पालन केवल वहीं तक करते हैं जहां तक वे उनके पक्ष में हों। मेरे विचार से उन्हें तो बिना किसी भेद-भाव के इन नियमों का पालन करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि यदि अभी भी चुनाव किये जायें तो कांग्रेस के मुकाबले कम्युनिस्टों को ही अधिक मत मिलेंगे। कम से कम मैं इतना तो कह ही सकता हूं कि आन्ध्र के लोग यह मत रखते हैं कि सरकार ने लोकतन्त्रवादी प्रथाओं की हत्या की है।

श्री टेक चन्द : साधारणतः इंग्लैण्ड में द्विदलीय तथा कभी कभी त्रिदलीय प्रणाली काम करती है किन्तु बहु-दलीय प्रणाली इंग्लैण्ड में प्रचलित न होकर फ्रांस में प्रचलित है। यदि मेरे माननीय मित्र ने जिस पुस्तक से उद्धरण दिये हैं, उसका पहले का कुछ अंश पढ़ लिया होता तो अधिक अच्छा होता क्योंकि वह अधिक सुसंगत है। अतः जहां तक मैं समझता हूं माननीय सदस्य को इतना तो बताना ही चाहिये था कि जब तीन या तीन से अधिक दल होते हैं और किसी का भी

बहुमत नहीं होता तो ऐसी दशा में क्या होता है। पुस्तक के लेखक ने बताया है कि ऐसी दशा में सम्राट् को तीन सम्भावनाओं पर विचार करना पड़ता है। प्रथम यह कि मिली जुली सरकार बनाई जाय। दूसरी यह कि एक दल अल्पसंख्यक सरकार बना ले। ताकि यथासम्भव शीघ्र ही सभा को भंग करने की राय दे सके तथा तीसरी सम्भावना यह है कि यह अल्पसंख्यक सरकार ऐसी बने जब बहुमत न होने पर भी कार्य करती रहे। यदि वह इन तीन सम्भावनाओं को बता देते तो जिन लोगों ने यह पुस्तक नहीं भी पढ़ी है वह भी ये बातें जान लेते।

कहा यह जाता है कि यदि चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि वे अपनी शक्ति का चुनाव में दुरुपयोग करें। मेरा तो कहना यह है कि यदि हम हार जायेंगे तो कोई भी दल नहीं जीतेगा, इस पर क्या आपत्ति होगी। इस पर यही आपत्ति हो सकती है कि आपको मतदाता की आंखों में धूल झोंकने का अवसर नहीं मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप ही के हाथों में शक्ति रहे ताकि आपको झूठा दोष मढ़ने का अवसर मिलता रहे।

मुझे श्री एस० एस० मोरे के तर्क पर आश्चर्य होता है। उनका विचार है कि राष्ट्रपति को राज्य की विधान सभा भंग करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था कि किसी अनुच्छेद की ऐसी शब्दावली नहीं है जिसमें राष्ट्रपति को समय समय पर विधान सभा भंग करने का अधिकार दिया गया हो, परन्तु अनुच्छेद ८२ और ८३ में इस प्रकार का संसद् को भंग करने का उपबन्ध अवश्य है। अनुच्छेद ३६५ (१) (क) के अन्तर्गत राज्यपाल को राज्य की विधान सभा को भंग करने का अधिकार है और अनुच्छेद १७४ के अनुसार वह अधिकार राष्ट्रपति में निहित है।

श्री राघवाचारी : उन्होंने अनुच्छेद १७४ के उद्घोषणा में निलम्बित कर दिया है, इसी में तो गलती है।

सभापति महोदय : उपखण्ड (ख) और (ग) में संसद् को अधिकार दिया गया है कि वह स्थानीय विधान-मंडल के सभी अधिकार ले सकती है और राष्ट्रपति अनुसंगिक आदेश जारी कर सकता है।

श्री राघवाचारी : परन्तु इस खण्ड का विधान सभा भंग करने से कोई सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय : राष्ट्रपति स्थानीय विधान मण्डल के अधिकार स्वयं नहीं ले लेता है। खण्ड (क) में यह स्पष्ट है कि वह राज्यपाल के अधिकार ले लेता है और दूसरे स्थानीय विधान मंडल के अधिकार संसद् को दे दिये जाते हैं।

श्री एस० एस० मोरे : परन्तु अनुच्छेद १७४ को निलम्बित कर देने पर राष्ट्रपति का यह अधिकार भी नहीं रह जाता।

सभापति महोदय: विधि अनुसार राज्यपाल के अधिकार राज्यपाल में निहित होते हैं। जहां तक राज्यपाल का सम्बन्ध है उसके अधिकारों का निलम्बन हो जाता है, परन्तु उन अधिकारों को राष्ट्रपति संभाल लेता है।

श्री टेकचन्द : यदि माननीय सदस्य इस पर ध्यान दें तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि राष्ट्रपति ने जो कार्यवाही की है वह संविधान के अन्तर्गत ही है।

डा० कृष्णस्वामी ने भविष्य के लिए एक दृष्टांत का सुझाव दिया था कि वहां सभी दलों को एक काम-चलाऊ सरकार बनानी चाहिये थी। परन्तु सभी संवैधानिक दृष्टांतों को देखने से पता लगेगा कि कहीं भी कोई दृष्टांत इस बात का समर्थन नहीं करता।

[श्री टेक चन्द]

इसके साथ ही जहां विरोधी दल सरकार के शत्रु हों और वे एक दूसरे के खून के प्यासे हों यह सम्भव नहीं । वहां तो यही कार्यवाही उपयुक्त थी जो कि की गई है ।

अतः मुझे इस संकल्प का समर्थन करते हुए हर्ष होता है ।

सभापति महोदय : क्योंकि चार बजने में लगभग पच्चीस मिनट हैं और माननीय मंत्री उत्तर देने में पन्द्रह मिनट लेंगे अतः श्री एन० सी० चटर्जी को १० मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत बुरी घड़ी में आंध्र को स्थापित किया गया था । जब इस विधेयक को पारित किया जा रहा था तो सभी दलों ने यह इच्छा प्रगट की थी कि इस नये राज्य में लोकतन्त्र का संचालन उचित रूप से होगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जो लोग भाषा अनुसार प्रान्तों की स्थापना करने में विश्वास रखते थे उन्हें निराशा का मुंह देखना पड़ा है । हमें वहां की इस भट्टी राजनैतिक उथल-पुथल से अत्यन्त निराशा हुई है । जब अंग्रेज़ भारत शासन अधिनियम की धारा ९३ का आश्रय लिया करते थे तो सभी दल साम्राज्यवादियों के तानाशाही शासन का विरोध किया करते थे पंजाब के पश्चात् यह दूसरी बार लोकतन्त्र पर प्रहार किया गया है, और यह दैव योग की बात है कि पंजाब में भी श्री त्रिवेदी राज्यपाल थे और यहां भी वही हैं । हमें उन पर आक्षेप नहीं करना चाहिये, परन्तु यह देखना है कि क्या उन्होंने उचित कार्यवाही की है और क्या यह कार्यवाही संविधान की भावना के अनुकूल है । अनुच्छेद १५६ के अनुसार केवल तभी ऐसी उद्घोषणा जारी की जा सकती है जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाये कि राज्य की सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार न चलाई जा सके ।

मैं इस बात से सन्तुष्ट नहीं हूं कि आंध्र राज्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई थी ।

आईवर जेनिंग की पुस्तक 'केबिनट गवर्नमेंट' में लिखा है कि एक दीर्घकालीन प्रथा के कारण यह अभिसमय बन गया है कि जब सरकार पदत्याग करे तो राजा विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित करे । भारत के गणराज्य में इसे श्रेयस्कर अभिसमय का प्रयोग करना चाहिये । एक राज्यपाल यह कैसे जान सकता है कि मुख्य मंत्री के पदत्याग के पश्चात् राज्य में संविधान के सिद्धान्तों के अनुसार सरकार नहीं चलाई जा सकती ?

इंग्लैण्ड में श्री बाल्डविन के पदत्याग पर राजा ने रैम्ज़े मेकडानल्ड को आमंत्रित किया था यद्यपि वे बहुमत के नेता नहीं थे । वहां चार दल थे और वे उनमें से एक अल्पसंख्यक के नेता थे । श्री कीथ ने अपनी पुस्तक में एक और उदाहरण दिया है कि जब १९३१ में रैम्ज़े मेकडानल्ड को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था और उन्होंने एक मिली-जुली सरकार बनाई थी । 'आधुनिक विदेशी सरकारें' पुस्तक के लेखकों ने ब्रिटेन के संविधान के बारे में बताया है कि मुख्य मंत्री के पद-त्याग के बाद कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है उनका कहना है । कि ऐसी स्थिति में राजा को विरोधी दल के नेता को बुला कर मंत्रिमंडल बनाने के लिए कहना चाहिए । एक उदाहरण देकर उन्होंने यह समझाने का प्रयत्न किया है कि राज्य के सर्वोच्च अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह देश के राजनैतिक दलों को शासन भार सम्भालने की अनुमति दे । राष्ट्रपति के शासन जैसी चीज़ तब ही लागू हो सकती

जबकि विधान मंडल के वे सदस्य, जो अनेक राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि हों नया मंत्रि-मंडल कायम करने का उत्तरदायित्व लेने से इंकार कर देते हैं। राज्यपाल को सारा काम इस रूप में करना चाहिए और इतनी सामग्री प्रस्तुत कर देनी चाहिए, ताकि जनता को यह विश्वास हो जाये कि जो कुछ उसने किया है वह राज्य के हित में ही है। यद्यपि आंध्र के राज्यपाल के सद्भाव में मुझे कुछ भी शंका नहीं है, और उनका पिछला जीवन उनको एक अच्छा प्रशासक तथा जनसेवक के रूप में सिद्ध करता है, परन्तु फिर भी मैं यह कहता हूं कि विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर देने से पूर्व ही यह घोषणा कर देना कि संविधान भंग हो गया है, निसंदेह एक गलती है।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): माननीय सदस्यों ने राज्यपाल के प्रतिवेदन के बारे में बहुत कुछ कहा है। परन्तु मैं भारत सरकार के द्वारा उठाये गये कदम का समर्थन करता हूं और इस सम्बन्ध में मैंने काफी सामग्री भी प्रस्तुत कर दी है। माननीय मित्रों ने बड़ी बड़ी किताबों से उद्धरण लेकर अपना मत प्रकट किया है और अनेक विदेशों, जैसे कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि के भी उदाहरण उपस्थित किये हैं। परन्तु मैं यह बताता हूं कि अनुच्छेद ३५६ के बारे में किसी किताब में कुछ भी नहीं कहा गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस अनुच्छेद का अधिनियमन विशेष कारणों से किया है, जो कि मेरे विचार में किसी भी कठिन समस्या के समाधान के लिये अत्यन्त उपयुक्त है। यहां पर एक ऐसी सरकार का विषय है, जो कि हार गई है। मैं यह नहीं कहता कि वह कैसे हारी। यदि मतदान बराबर का होता तो स्थिति दूसरी ही होती। वह सरकार राज्यपाल के पास आई और अपना त्याग पत्र प्रस्तुत किया तथा राज्यपाल को यह परामर्श दिया कि सभा भंग कर दी जाये। साथ ही उसने घोषणा की कि किसी भी हालत में वह कोई भी काम-चलाऊ सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है। यदि वह सरकार यह कहती कि हम काम-चलाऊ रखने के लिये तैयार हैं, तो लोगों का यह विचार हो जाता कि अनेक कांग्रेसजनों के समान वे भी पद के लालची हैं। किन्तु उन महानुभावों ने ऐसी इच्छा प्रकट नहीं कि, यद्यपि ऐसा करने का उनको अधिकार था, और उन्होंने अपने पदों को त्याग दिया।

अब मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र, श्री चटर्जी, यह बात किस आधार पर कहते हैं कि विरोधी दल के नेता को नहीं बुलाया गया। वे यह बात श्री गोपालन से ही पूछ सकते हैं कि क्या हुआ है। श्री अशोक मेहता ने अपने भाषण में कहा था कि आन्ध्र की घटनाओं के बारे में उनके पास बहुत सामग्री है। श्री गोपालन को मालूम है कि आंध्र के साम्य-वादी दल ने राज्यपाल के पास एक तार भेजा था, जिसमें यह कहा गया था: "या तो साम्य-वादी दल को सरकार बनाने की अनुमति दी जाए, या फिर सभा भंग कर दी जाये। प्रजा समाजवादी दल, कृषिकार लोक दल अथवा किसी और दल के लिये शक्ति प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। या तो हम को शक्ति में आने दिया जाये, क्योंकि हमारे सदस्यों की संख्या ४० है, या फिर सभा भंग कर दी जाये।"

राज्यपाल ने प्रत्येक दल के नेता को बुलाया। मैं सदन को बता चुका हूं कि प्रजा समाजवादी दल के लोगों ने क्या कहा था। मैंने आपके समक्ष एक समाचार पत्र से एक उद्धरण भी पढ़ा है। मैंने आपको यह भी बताया है कि कृषिकार लोक दल के नेता श्री लक्ष्मण ने क्या कहा था। साम्यवादी दल स्वयं जानता है कि उसने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि वे बहुमत में आ सकेंगे, परन्तु राज्यपाल को उनकी यह उक्ति हास्यास्पद

[डा० काटजू]

प्रतीत हुई । अनुच्छेद ३५६ के अधीन इस संसद् ने यह नियम रखा है कि अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने से यदि एक सरकार हार जाती है तो मंत्रिमंडल अपना पदत्याग कर देता है, वह सभा भंग करने की सिफारिश करता है और यदि वह एक काम चलाऊ सरकार बनाने के लिये सहमत नहीं होता है यद्यपि उसको ऐसा करने का अधिकार है—इंग्लैण्ड का मन्त्रिमण्डल राजा को संसद् भंग करने की सलाह देने के बाद भी कायम रह सकता है—तो राज्यपाल या राजप्रमुख को किसी अन्य दल के नेता को बुलाना चाहिए यदि एक सरकार अपने पद पर कायम नहीं रहना चाहती तो, मैं इस बात से सहमत हूं, कि लोकतन्त्रात्मक प्रथा यही होनी चाहिए कि राज्यपाल अथवा राजप्रमुख अन्य दल के नेता को ही बुलाये । परन्तु यदि दस या बीस सदस्यों के अनेक समूह हों और एक दल केवल तीन या चार मत ही प्राप्त कर सकता हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को यह निश्चित करना बड़ा कठिन हो जायगा कि किसको बुलाया जाये । मेरे मित्र डा० कृष्णस्वामी ने कहा था कि राज्यपाल को एक सर्वदलीय काम चलाऊ सरकार बनानी चाहिए । परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि एक सर्वदलीय सरकार कैसे सम्भव हो सकती है । क्या श्री प्रकाशम् और श्री गोपालन कभी एक मत हो सकेंगे ? क्या सब दल एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर सकेंगे ? वस्तुतः, सर्वदलीय सरकार का होना पूर्णतः असम्भव है ।

मेरे मित्र डा० लंका सुन्दरम् ने चुनाव के सम्बन्ध में आश्वासन मांगा था मैं उनको बताता हूं कि इस बारे में स्वयं चिन्तित हूं कि फरवरी के मध्य में ही चुनाव हो जायें और जहां तक हो सके चुनाव एक दिन के लिये भी न टले । मेरे मित्र ने कहा था कि परिसीमन आयोग ने कुछ और निश्चय किया है और चुनाव जून या जुलाई तक के लिये स्थगित किये जा सकते हैं । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस बारे में मैं सबसे अधिक चिन्तित हूं कि चुनाव जल्दी ही हों ।

श्रीमान् इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि राज्यपाल एक प्रकार से निरंकुश शासक है । किन्तु ऐसा नहीं है । राज्यपाल राष्ट्रपति और केन्द्रीय सरकार के अधीन है । प्रत्येक मामले पर उसको केन्द्र की स्वीकृति लेनी पड़ती है । वित्त के सम्बन्ध में उसे वित्त मंत्री की स्वीकृति की आवश्यकता होती है । रेलवेज़ के बारे में उसको रेलवे तथा परिवहन मंत्री के पास जाना पड़ता है । मैं यह बात अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं । पैप्सू के सम्बन्ध में सभा ने संकल्प का अनुमोदन किया था और हमने पूरे एक वर्ष तक वहां का शासन भार सम्भाला था । जिन माननीय सदस्यों को रुचि है, वे लोक-सभा के वाद विवादों में यह देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण मामलों पर कितने सवाल उठाये गये थे । आन्ध्र के माननीय सदस्यों को, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, निस्सन्देह इस बात की चिन्ता होगी कि वहां की जनता के हितों की रक्षा की जाये । इन वाद-विवादों को यदि कोई अजनबी सुनता होता, तो वह अवश्यमेव राज्यपाल को प्राचीन समय के राज्यपालों के समान ही समझ लेता, जो कि मनमानी करते थे । संसदीय सरकार किसी प्रकार भी लोकतन्त्र के विरुद्ध नहीं है । यद्यपि यह सही है कि लगभग दो या तीन महीने से आन्ध्र में स्थानीय विधान मण्डल नहीं है, परन्तु हम लोगों का यह उत्तरदायित्व है कि हम इस बात का ध्यान रखें कि वहां का काम सुचारू रूप से चले और वहां के निवासियों को कोई कष्ट न हो ।

अन्त में, मेरे मित्र ने कुछ ऐसी प्रस्थापनायें रखी हैं जो पूर्णतः अव्यवहारिक हैं ।

उन्होंने बताया कि उनके विचारानुसार अनुच्छेद ३५६ के अधीन कोई भी कार्यवाही छः महीने से पूर्व सम्भव नहीं है और यह भी बताया कि सभा-भंग होने के बाद राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह बाहर के व्यक्तियों को लेकर एक नया मंत्रिमंडल स्थापित कर सकता है । केन्द्र में सम्पूर्ण मंत्रिमंडल की स्थापना उन व्यक्तियों को लेकर की जा सकती है, जो कि लोक-सभा के सदस्य नहीं हैं, परन्तु उन व्यक्तियों को छः मास के भीतर ही लोक-सभा का सदस्य बन जाना जरूरी है । मेरे माननीय मित्र ने उसी बात के आधार पर अपने इस तर्क को प्रस्तुत किया है । परन्तु मैं उनकी इस प्रस्थापना से सहमत नहीं हूं ।

अतः मैं सभा से केवल इस घोषणा के अनुमोदन के लिये ही न कह कर इस सामान्य प्रस्थापना के अनुमोदन के लिये भी कहता हूं कि ऐसी अवस्था में जबकि एक मंत्रिमंडल हार जाता है, त्याग पत्र दे देता है और देश का शासन-कार्य सम्भालने के लिये तैयार नहीं होता है, तथा राज्यपाल यह देखता है कि कोई भी विरोधी दल ऐसा नहीं है, जोकि बहुमत में हो, तो राज्यपाल को उस मामले की सूचना देने का पूरा अधिकार है, क्योंकि राज्यपाल केवल सूचना ही देता है । यह तथ्य सम्बन्धी सूचना है और राष्ट्रपति को यह कहने का अधिकार है कि सभा को भंग किया जा सकता है और उसके पश्चात् काम अधिक अच्छी तरह किया जा सकता है । मैं सभा को और तंग नहीं करना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि संकल्प के स्थान पर रखने के सभी संशोधन नियम विरुद्ध हैं अतः मैं इन्हें मतदान के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता ।

श्री राघवाचारी : मैं समझता हूं कि मेरा संशोधन नियमानुसार है ।

उपाध्यक्ष महोदय ने श्री राघवाचारी के अनुरोध करने पर उनका संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किया और वह अस्वीकृत किया गया ।

श्री एन० राचय्या : मेरा संशोधन सख्या ९ तो स्थान पर रखनेका संशोधन नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि मूल संकल्प के अन्त में यह जोड़ दिया जाये ।

"as that was the only proper constitutional remedy the crisis that arose on the resignation of Prakasam Ministry."

("क्योंकि प्रकाशम् मंत्रिमंडल के पद-त्याग से उत्पन्न हुए संकट का वही एकमात्र उपयुक्त संवैधानिक उपचार था ।")

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के खण्ड (१) के अधीन १५ नवम्बर, १९५४ को की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है जिसके अनुसार उन्होंने आंध्र सरकार के सब कृत्य अपने हाथ में ले लिए हैं, क्योंकि प्रकाशम् मंत्रिमंडल के पदत्याग से उत्पन्न हुए संकट का वही एकमात्र उपयक्त संवैधानिक उपचार था ।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में १५४; विपक्ष में ३५ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

श्री गिडवानी (थाना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है, जो कि १८ नवम्बर, १९५४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था।"

उपाध्यक्ष महादय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमत है जो कि १८ नवम्बर १९५४ को सभा में प्रस्तुत किया गया था।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प

—समाप्त

उपाध्यक्ष महोदय : अब २४ सितम्बर १९५४ को श्री हरिन्द्रनाथ मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प पर अग्रेतर चर्चा होगी।

क्योंकि एक घंटा और पचास मिनट बच गये हैं अतः मैं प्रत्येक सदस्य को पन्द्रह मिनट का समय दूगा।

मुझ से अभ्यावेदन किया गया है कि यदि सभा ५ बजे के पश्चात् बैठे तो किसी सदस्य को गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाना चाहिये। केवल मत विभाजन होने पर ही गणपूर्ति के प्रश्न को लिया जाय।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (ज़िला प्रतापगढ़—पूर्व): सरकारी कर्मचारियों के साथ सहानुभूति के कारण और विशेषतः कम वेतन पाने वाले लोगों से सहानुभूति के कारण मैं प्रस्तावक द्वारा बताये गये प्रस्ताव के दो उद्देश्यों से सहमत हूं। वे उद्देश्य हैं सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा तथा उनके प्रति निरंकुशता से उन्हें बचाने का आश्वासन देना।

परन्तु बाद में मैंने देखा कि प्रस्तावक का प्रमुख उद्देश्य कतिपय नियमों को रद्द करवाना है जिन्हें वे हानिकर समझते हैं।

कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दशा बहुत दयनीय है और बाज़ार की तेज़ी के दिनों में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। परन्तु प्रस्तावक ने प्रश्न के इस पहलू पर अधिक बल नहीं दिया है तो कतिपय उन नियमों को रद्द कराना चाहते थे जिन के अन्तर्गत उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, उन्हें दण्ड दिया गया था या उन्हें निलम्बित किया गया था या सेवा से निकाल दिया गया था।

जहां तक कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का सम्बन्ध है, चाहे वे सरकारी सेवा में हों या गैर सरकारी में, उनके प्रति सभा में सब को सहानुभूति है। परन्तु जो कतिपय नियमों को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है मैं उससे सहमत नहीं हूं।

रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा) नियम १९५४ की ओर निर्देश किया गया है। उन नियमों में लिखा है कि जहां राष्ट्रपति की राय में कोई रेलवे सेवा का व्यक्ति विध्वंसक कार्यवाइयों में लगा हो जो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रतिकूल हों तो उसकी सेवा के करार की शर्तों या भारतीय रेलवे स्थापना संहिता खण्ड १ के नियम १४८ के अन्तर्गत उसे उचित पूर्व सूचना (नोटिस) देकर या उसकी बजाय राशि देकर राष्ट्रपति उसे सेवानिवृत्त होने के लिए बाध्य कर सकते हैं।

प्रस्तावक यह चाहते हैं कि एक विध्वंसक कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए भी कोई

नियम न हो। मैं इस उद्देश्य को शलाघनीय नहीं कह सकता।

मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस नियम में बहुत उदार शर्तें रखी गई हैं क्योंकि उनके साथ उन कर्मचारियों जैसा व्यवहार किया जाता है जिन्हें नियम १४८ के अन्तर्गत सेवा से निकाला जाता है।

इसके अतिरिक्त उसके साथ अच्छे व्यवहार का उपबन्ध किया गया है। वह उपबन्ध यह है कि सक्षम अधिकारी रेलवे सेवा के व्यक्ति को पहले लिखित सूचना देगा और उसे राष्ट्रपति को अपने विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजने का अवसर देगा और राष्ट्रपति आदेश जारी करने से पूर्व उसके अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

यह आशंका प्रकट की जाती है कि कभी कभी अनावश्यक तौर से बिना किसी आधार के ऐसे नियमों का प्रयोग किया जा सकता है। परन्तु तब तो किसी भी नियम का प्रयोग बिना आधार के किया जा सकता है। इसका यह अभिप्राय नहीं कि विध्वंसक कार्यों को करने वाले कर्मचारियों को निकालने के लिए कोई विधि ही न हो।

फिर माननीय प्रस्तावक ने बताया है कि ९५,००० लोग अस्थायी कर्मचारी हैं और २१,००० शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या परीक्षण-काल में हैं। जिन लोगों के सेवा पद अस्थायी हैं और जो लोग अभी परीक्षण काल में हैं या शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अस्थायी तो होना ही है। यह अनिवार्य है। मैं समझता था कि वे हमें स्थायी सरकारी विभागों के उन कर्मचारियों की संख्या बतायेंगे जो कई वर्षों से अभी तक अस्थायी हैं। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया।

इसके अतिरिक्त दैनिक मजूरी वाले कुछ लोगों के अस्थायी होने की शिकायत से तो संकल्प का महत्व ही घटता है।

वे कहते हैं कि महाप्रबन्धक को कार्य में अकुशलता पर और छोटे छोटे अपराधों के दोहराने पर सेवा से निकालने का अधिकार है। परन्तु, निस्सन्देह ऐसे व्यक्ति को तो निकाल ही देना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि वस्तुतः लोग अस्थायी होने के कारण और कम वेतन पाने के कारण कष्ट सहन कर रहे हैं। परन्तु क्योंकि मूल्य कुछ गिर रहे हैं, अतः उनके कष्टों में भी कमी होगी।

उन्होंने दूसरी जिस बात पर बल दिया था वह यह है कि ये नियम अधिकतम साम्य-वादियों के विरुद्ध प्रयोग किये जाते हैं। मेरी यह राय है कि जो लोग सरकारी सेवा में हैं उनका राजनैतिक दलों से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि कांग्रेस के भी सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकारी सेवा में नहीं रहने देना चाहिये। अन्यथा उनके मन में किसी दल के लिए पक्षपात होगा जो किसी सरकारी कर्मचारी के मन में नहीं होना चाहिये।

इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों में यह उपबन्ध है कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल का सदस्य या उसके साथ सम्बन्धित नहीं होना चाहिये और उसे किसी राजनैतिक आन्दोलन को संगठित नहीं करना चाहिये और उसमें किसी प्रकार की सहायता नहीं देनी चाहिये। यह इतना स्पष्ट है कि इस आधार पर कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया है कि पश्चिमी बंगाल में एक सहायक सचिव के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी क्योंकि उसका कांग्रेस के साथ सम्बन्ध था। इस आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही किसी भी राजनैतिक दल से सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध की जा रही है।

मैंने आरम्भ में कहा था कि इस संकल्प का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है, परन्तु

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

उसकी व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि मुझे उस पर सख्त आपत्ति है। अतः मैं संकल्प के उद्देश्य का समर्थन करता हूं, परन्तु संकल्प की पृष्ठभूमि में प्रस्तावक के अभिप्राय का विरोध करता हूं।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नूर) : जो मेरे माननीय मित्र अभी बोले हैं वे इस संकल्प का उद्देश्य पूर्ण रूप से नहीं समझे। प्रश्न यह नहीं है कि राजनैतिक विचार और राजनैतिक दलों से सम्बन्ध रखने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों को पदच्युत किया गया है। संकल्प का उद्देश्य तो सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा है। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि आजकल सरकारी कर्मचारियों की अवस्था कैसी है, उनकी सेवा की सुरक्षा कैसी है और इस सम्बन्ध में सामान्य परिस्थितियां कैसी हैं।

संविधान के अनुच्छेद ३०९, ३११, और ३१३ में यह इच्छा व्यक्त की गई है कि सरकारी कर्मचारियों में सेवा के सम्बन्ध में सुरक्षा की भावना हो। अनुच्छेद ३११ (२) में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कारण बताये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी अतः उन्हें कुछ आश्वासन दिया है।

सरकारी कर्मचारियों के तीन वर्ग हैं : अस्थायी, अर्द्ध स्थायी और स्थायी। ये प्रश्न पूछे गये हैं कि कुल अस्थायी कर्मचारी कितने हैं, उनमें ऐसे कितने हैं जिन्होंने तीन वर्ष से अधिक सेवा की है, अर्द्धस्थायी कर्मचारियों और स्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। परन्तु इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। मेरी जानकारी के अनुसार अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की संख्या हज़ारों में है।

केन्द्रीय असैनिक सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों के नियम ३ के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय का यह उत्तरदायित्व है कि तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले कर्मचारियों के अर्द्ध स्थायित्व के प्रश्न पर विचार किया जाये। परन्तु इस नियम का पालन नहीं किया जाता।

महालेखापाल, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय के उन १३ अपर डिवीजन क्लर्कों की अपील संसद् के सदस्यों को मिली है, जिन्हें पदच्युत कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि ३ वर्ष से अधिक सेवा के पश्चात् भी उन्हें अर्द्धस्थायी घोषित नहीं किया गया। अतएव यह महत्वपूर्ण बात है कि नियम होते हुए भी उनका पालन नहीं किया जाता निस्सन्देह, मुझे यह भूला नहीं है कि इस नियम संख्या ३ के प्रतिवादस्वरूप नियम संख्या ५ भी है जिसमें यह लिखा है कि किसी व्यक्ति को अस्थायी होने के आधार पर एक मास का नोटिस देकर निकाला जा सकता है। किन्तु नियम संख्या ३ के अनुसार उन सभी सरकारी कर्मचारियों को अर्द्धस्थायी कर दिया जाना चाहिये जो लगातार तीन वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं। हम देखते हैं कि असैनिक सेवाओं में बहुत से लोग तीन वर्षों से सेवा करते चले आ रहे हैं किन्तु उन्हें अभी तक अर्द्धस्थायी नहीं किया गया है। यही नहीं बहुत से लोगों का सेवा-काल तो दस या पन्द्रह वर्ष तक हो चुका है, किन्तु फिर भी वे अभी तक अस्थायी ही हैं ; इसका तात्पर्य यह है कि सरकार जब भी चाहे उन्हें सेवा से अलग कर दे और उन्हें यह भी अवसर न मिल सके कि वे कुछ कह सकें या यह जान सकें कि उन्हें क्यों सेवा से अलग किया जा रहा है। मैं सरकार से यह बात ज़ोर देकर कहना चाहूंगा कि नियम संख्या ५ को हटा कर नियम संख्या ३ को लागू किया जाय। ऐसा करने से सेवा से हटाये जाने वाले व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह अपने हटाये जाने का कारण जान सके।

रेलवे सुरक्षा अधिनियम की धारा २४१ (२) से भी रेलवे कर्मचारियों को हानि उठानी पड़ी है। अब उसमें कुछ सुधार एवं संशोधन हो गये हैं। पहले परिवर्तन से उसे अपने हटाये जानेका कारण जानने का अवसर मिल गया है। किन्तु १९ अप्रैल से इसमें यह संशोधन हो गया है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय हो कि कोई कर्मचारी विध्वंसकारी कार्यों में भाग लेता है अथवा उस पर सकारण यह सन्देह किया जाता है तो उसे सेवा से हटाये जाने के कारण पूछने का अवसर नहीं रहेगा। कई मामलों में मुझे पता लगा है कि रेलवे सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मज़दूर संघ के कार्यकर्त्ताओं को सेवा से हटा दिया गया है। उनके विरुद्ध सारा मसाला तैयार कर उन पर अभियोग चलाया जाता है। पुलिस द्वारा ज़रा भी शिकायत किये जाने पर विध्वंसकारी कार्यों में भाग लेने का मिथ्या आरोप लगा कर उन्हें तंग किया जाता है और कई बार सेवा से अलग कर दिया जाता है जबकि उन्हें यह अवसर नहीं दिया जाता कि वे यह बता सकें कि ऐसी बात वास्तव में है भी या नहीं।

श्री अनन्तनारायणन नाम के एक रेलवे पदाधिकारी का मामला अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। उस पर भी यही आरोप लगाया गया था कि वह कम्यूनिस्ट दल का सदस्य है तथा उसने इस प्रकार के लेख आदि लिखे हैं। ये आरोप लगा कर उसे पदच्युत कर दिया गया था। इसके पश्चात् १० जुलाई, १९५४ से एक और नियम लागू किया गया है जिसके अनुसार किसी भी रेलवे कर्मचारी को अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्यों अथवा आन्दोलनों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने के लिये मना करना होगा जो विध्वंसकारी हों। मेरी समझ में नहीं आता कि भारत जैसे देशमें जहां इतने बड़े बड़े परिवार होते हैं कोई व्यक्ति किस प्रकार सारे लोगों पर निगरानी रख सकता है कि वे किसी दल में भाग न लें। यदि कहीं यह नियम लागू हो गया तो मैं समझता हूं कि एक-एक कर सारे रेलवे अधिकारियों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। मेरे पास अनेक ऐसे लोगों के मामले मौजूद हैं जो १६ या १८ और कुछ तो २५ वर्षों से नौकर थे, और उन्हें भी इस नियम के अन्तर्गत हटा दिया गया। इन लोगों को पता ही नहीं लगने पाता कि उनका अपराध क्या है। किसी ने भी शिकायत करदी और वे सेवा से अलग कर दिये गये।

सबसे अनोखा उदाहरण तो मुझे मद्रास में सुनने में आया। वहां के एक जनशक्ति नामक कम्युनिस्ट साप्ताहिक पत्र में कार्य करने वाले एक युवक के साथ विवाह करने पर वहां के सचिवालय में कार्य करने वाली एक लड़की को सरकारी नौकरी से केवल इसलिये हाथ धोना पड़ा क्योंकि वह एक कम्युनिस्ट पत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की पत्नी है। सबसे मज़े की बात तो यह है कि वह व्यक्ति बेचारा स्वयं कम्यूनिस्ट विचार धारा का नहीं है। वह तो मामूली क्लर्क था। मैं समझता हूं कि यदि यही हाल रहा तो किसी कम्यूनिस्ट की ओर एक घण्टा देखने मात्र से ही सरकारी कर्मचारी को अपनी नौकरी से अलग होना पड़ सकता है।

१०–१५ या कभी-कभी २० वर्ष तक कार्य करने पर भी कर्मचारियों को स्थायी नहीं किया जाता। रेलवे में ही नहीं, वरन् रेडियो में भी १०–१५ वर्ष के अनुभवी लोगों को अर्द्ध-स्थायी न होने के कारण हटा दिया गया।

इसी प्रकार असैनिक संभरण विभाग के ५५,००० अस्थायी कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया गया। महालेखापाल के कार्यालय के बहुत से कर्मचारी भी इसके शिकार

[श्री के० गोपालन]

बन चुके हैं। यही दशा रक्षा सेवाओं तथा युद्ध सामग्री के कारखाने के लोगों की भी है। उन्हें स्थानान्तरित करके भी अस्थायी का अस्थायी ही रखा गया और बहुत से लोगों को सेवा से निकाल बाहर किया गया है।

जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं नियम संख्या ३ को लागू करने से यह लाभ होगा कि उन्हें अपने हटाये जाने का कारण पूछने का अवसर मिलेगा। नियम संख्या ५ को निकाल देना इसलिये और भी आवश्यक है क्योंकि उसमें यह दिया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय सेवा से अलग किया जा सकता है।

न केवल केन्द्रीय सरकार में ही वरन् राज्य सरकारों में भी जो कुछ थोड़े-बहुत योग्य व्यक्ति हैं उन्हें हटा कर और नये लोगों को भरा जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता कि १०–१२ वर्ष का अनुभव प्राप्त हो जाने पर उन्हें सेवा से अलग करने का क्या तुक है? ऐसा केवल इसलिये होता है कि कोई भी झूठ सच रिपोर्ट किसी के विरुद्ध कर दी गई कि वह विध्वंसकारी कार्यों में भाग लेता है कि बस उसे नौकरी से अलग कर दिया गया। ऐसे अनेक उदाहरण भी देखने में आये हैं जिनमें मज़दूर संघ में अधिक उत्साह से काम करने वाले लोगों को नौकरी से अलग कर दिया गया।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुए]

५ म० प०

संविधान के अनुच्छेद ३०९, ३११ तथा ३१३ के अनुसार सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा सुरक्षा आदि पर चर्चा की जानी चाहिये। राष्ट्रपति जो नियम बनायेगा वे अधिक समय तक नहीं चल सकते, अतः इस प्रकार के विधान बनाने की आवश्यकता है। सोचने की बात है कि दस-बारह वर्ष तक नौकरी के बाद यदि किसी व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया जाये तो वह क्या करेगा किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करेगा। इसीलिये आज कर्मचारियों को अस्थायी रखा जाता है कि जब मन चाहा तभी उन्हें निकाल दिया और यदि वे स्थायी कर दिये जायंगे तो उन्हें कोई अन्य स्थान देना पड़ेगा। अतः इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा की जाय। जब तक ऐसा नहीं किया जायगा सरकारी कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं हो सकते। अतः उनकी नौकरी को सुरक्षित रखने के लिये उन्हें स्थायी करना चाहिये।

श्री गिडवानी (थाना) : हम देखते हैं कि लगभग साढ़े सात वर्ष तक सेवा करने पर भी अभी तक लगभग ५,००० विस्थापित कर्मचारी अस्थायी ही हैं। इनमें से कम से कम १०० व्यक्तियों को तो अब तक स्थायी कर देना चाहिये था क्योंकि इनमें लगभग ३००० कर्मचारी पाकिस्तान में स्थायी हो चुके थे। शरणार्थियों को परिस्थितिवश भारत में आना पड़ा। विभाजन के समय सभी कर्मचारियों से उनकी राय मांगी गई थी जिसके आधार पर ही कार्य किया गया था। सिन्ध के कर्मचारियों को बाद में विवश होकर भारत आना पड़ा। इन लोगों को वे सुविधायें तथा विशेषाधिकार नहीं दिये गये। यदि पहले ही इन राज्य सरकारों के कर्मचारियों को भी समान सुविधायें तथा अधिकार दे दिये गये होते तो मुझे यह संकल्प प्रस्तुत करने की आवश्यकता न पड़ती। सरकार का कहना यह है कि उनका मामला भिन्न प्रकार का है और उन्हें काम दिलाने की ज़िम्मेदारी हमारी नहीं है। टैक्निकल तथा वैधानिक रूप से सरकार भले ही ऐसा कहे मानवीय दृष्टिकोण से यदि इस समस्या पर विचार किया जाय तो होना यह

चाहिये कि उनको भी अन्य केन्द्रीय कमचारियों के समान ही समझा जाना चाहिये जिन्होंने अपनी सम्मति वहां रहने के लिये दी थी। यदि इस प्रश्न पर अभी भी फिर से विचार किया जाय तो अधिक विलम्ब नहीं कहा जा सकता। बहुत से लोगों की सेवा की सुरक्षा तथा निवृत्ति-वेतनों आदि का मसला भी इसी पर निर्भर करता है। इस सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय होना चाहिये तथा भिन्न दृष्टिकोण से इस मामले को निबटाया जाना चाहिये। जो कर्मचारी वहां स्थायी थे उन्हें स्थायी किया जाय तथा जो अस्थायी थे उन्हें भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान समझा जाय। इस समस्या को हल करने का यही एकमात्र उपाय है।

मैं गृह-कार्य उपमंत्री तथा सभा का ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब तक इस मामले में मानवीय दृष्टिकोण से काम नहीं लिया जायगा तब तक यह समस्या सुलझाई नहीं जा सकती इस मामले पर मैं इससे पूर्व भी गृह-कार्य उपमंत्री का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं और उन्होंने पूर्ण सहानुभूति भी प्रदर्शित की थी। आखिर उन बेचारों का क्या अपराध है कि उन्हें अन्य कर्मचारियों से निम्न स्तर पर समझा जाय। स्वराज्य प्राप्त होते ही पहले वाले कर्मचारियों की पदोन्नति हो गई। इस कारण नहीं कि वे अधिक योग्य हैं, वरन् इस कारण कि स्थान रिक्त हो गये थे।

अतः मेरा निवेदन है कि जिन स्थानों के लिये सिन्ध तथा सीमा प्रान्त के लोग उपयुक्त हैं, उन्हें अवश्य नियुक्त किया जाय।

जहां तक अस्थायी सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न है सरकार को अपनी नीति पर पुनर्विचार कर सेवा की सुरक्षा करनी चाहिये अतः यदि हम उनसे कुशलता, कर्तव्य पूर्ति तथा निष्ठा की आशा करते हैं तो हमें इस सबके लिये व्यवस्था करनी ही चाहिये। यदि आज छंटनी कर दी जाती है, जैसा कि कुछ विभागों में देखने में आया है, तो काफी समय तक नौकरी करने के पश्चात् यदि लोगों को नौकरी से अलग कर दिया जायगा तो वे बेचारे अपना तथा अपने परिवार का पेट किस प्रकार भरेंगे अतः तुरन्त ही बड़ा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। लोक लेखा समिति के सदस्य होने के नाते मुझे पता चला है कि कुछ सचिवों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि मंत्री लोग विभिन्न प्रकार के कार्यों की अधिकता के कारण उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं।

वे अपने ही ंग से काम करते हैं। परन्तु इन कर्मचारियों के संतोष के हित में तथा अच्छे प्रशासन के हित के लिए यह वांछनीय है कि अस्थायी तथा अर्ध स्थायी वर्ग समाप्त कर दिये जायें। प्रत्येक कर्मचारी स्थायी कर दिया जाय जिससे कि वह निश्चिन्त हो जाय और उसे निवृत्ति वेतन दिया जाय ताकि सेवा निवृत्त होकर उसे अपने बच्चों की चिन्ता न रहे। हमारे प्रधान मंत्री जी समाजवाद की बातें करते हैं, किन्तु प्रत्येक कर्मचारी को स्थायी करना समाजवाद का एक आवश्यक तत्व है। हममें से बहुत से लोग विदेशों में जाकर यह देख आये है कि प्रत्येक देश के कर्मचारी स्वामीभक्त हैं। इसका कारण यह है कि वे सन्तुष्ट हैं और उन्हें अपने भविष्य की तनिक भी चिन्ता नहीं है। आज यहां अधिकतर कर्मचारी केवल अपनी ही उन्नति चाहते हैं और लोकहित की परवा नहीं की जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि वास्तव में कर्मचारी देशभक्त, ईमानदार सत्यनिष्ठ और स्वामीभक्त हों तो हमें उनकी शिकायतें दूर करनी चाहिएं। प्रत्येक कर्मचारी को सन्तुष्ट करना होगा। मैं डा० काटजू से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे सिन्ध तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त से आने वाले ५,००० कर्मचारियों

[श्री गिडवानी]

के मामले में ध्यान दें और उनसे न्याय किया जाये ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : इस संकल्प का तात्पर्य सभी सरकारी कर्मचारियों को सन्तुष्ट करने से है । हमारा यह विचार है कि प्रत्येक कर्मचारी को यथासम्भव शीघ्र स्थायी कर देना चाहिए । किन्तु कई मित्र इससे दूसरा ही अर्थ समझ बैठे हैं । श्री उपाध्याय जी ने कहा है कि संकल्प रखने वाले साम्यवादी आन्दोलन से सम्बन्धित कर्मचारियों का संरक्षण चाहते हैं । परन्तु यह उनका भ्रम है और उसे स्पष्ट करना ही उचित है ।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा–रक्षित––अनुसूचित जातियां): इनमें पुलिस भी सम्मिलित है ?

श्री नम्बियार : निस्सन्देह; मुख्य बातें तीन हैं : प्रथमतः तो लम्बे काल के लिए अस्थायी नौकरियां नहीं होनी चाहियें, दूसरे अर्धस्थायी वर्ग भी नहीं होना चाहिए और तीसरे सेवाओं को उचित संरक्षण मिलना चाहिए अर्थात् किसी को किसी प्रकार से तंग न किया जाय । जहां तक तंगी का सम्बन्ध है, संकल्प प्रस्तुत करने वाले ने एक विशेष नियम का भी उल्लेख किया है । यह रेलवे सेवा से सम्बन्धित है और १९४९ में बनाया गया था । अतः यह वर्तमान नियम गवर्नर जनरल के समय में बनाया गया था जबकि भारत शासन अधिनियम, १९३५ प्रवर्तित था । किन्तु हमारे नये संविधान के लागू होने के पश्चात् यह नियम ठीक नहीं प्रतीत होता । मेरी प्रार्थना यह है कि संविधान बन जाने के पश्चात् इस नियम का परिवर्तन होना ही चाहिए । आप यह तो कह सकते हैं कि किसी न्यायालय ने इस नियम को शून्य घोषित नहीं किया है । इस नियम में लिखा है कि यदि किसी सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि कोई कर्मचारी किसी विध्वंसात्मक कार्यवाही में भाग लेता है अथवा उस पर ऐसे भाग लेने के बारे में युक्तियुक्त सन्देह हो तो वह इस नियम के अन्तर्गत पदाधिकारियों के कोप का भाजन बन सकता है । यह नियम ही ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को इस नियम के अन्तर्गत दोषी बनाया जा सकता है । यह अवस्था तो बहुत कठिन है ।

अब इस नियम में एक परिवर्तन किया गया है कि ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा । यह परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद ३११ से बचने के लिए किया गया है । पहले तो ऐसे कर्मचारी को सेवा से अलग ही किया जाता था परन्तु उसके स्थान में अब थोड़ा परिवर्तन हो गया है और यह उससे भी बुरा परिवर्तन है ।

हमारी प्रार्थना यह है कि जो कर्मचारी कोई अपराध करता है उसके विरुद्ध सामान्य कार्यवाही होनी चाहिए अन्यथा कोई सेवाओं की सुरक्षा न होगी ।

इस नियम के अन्तर्गत कोई ६०० के लगभग कर्मचारी हटाये जा चुके हैं । केवल मैं ही नहीं बल्कि कई विरोधी दलों के नेता रेलवे मंत्री से इस सम्बन्ध में मिले थे उन्होंने केवल २० मामलों पर पुनर्विचार भी किया था ।

हमारे संकल्प के पीछे कोई दलबन्दी की भावना नहीं है । कोई भी दल क्यों न हो हमारी सेवायें तो सुरक्षित रहनी चाहियें । अन्यथा सरकारों के परिवर्तन के साथ साथ कर्मचारियों को हानि होती जायेगी । और इसी भावना को लेकर हमने यह संकल्प प्रस्तुत किया है ।

हमारी प्रार्थना यह है कि ऐसे तमाम मामलों की जांच होनी चाहिये । चाहे कोई

न्यायाधिकरण नियुक्त किया जाये अथवा कोई न्यायाधीश इन मामलों की पड़ताल करे--फिर यदि उसकी राय में उन पर की गई कार्यवाही अनुचित सिद्ध हो जाय तो उन्हें दोबारा नौकरी दी जाय अन्यथा नहीं। इस नियम द्वारा अधिक क्षति तो रेलवे कर्मचारियों की हुई है।

मद्रास में लगभग १०० रेलवे कर्मचारी इसी प्रकार नौकरियों से अलग कर दिये गये हैं। इन्हें सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था परन्तु जब वे निर्दोष मान कर मुक्त कर दिये गये तो भी रेलवे ने उन्हें सेवाओं से अलग कर दिया। वे लोग कोई नेता नहीं थे, वे तो केवल छोटे मोटे श्रमिक और फिटर आदि थे।

इसी प्रकार से कई कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालयों में अभियोग लगाये गये, परन्तु न्यायालयों में दोष सिद्धि न होने पर भी उन्हें इसी सुरक्षा नियम के अन्तर्गत सेवाओं से अलग कर दिया।

मद्रास का एक और उदाहरण भी लीजिए वहां पर दंड विधि (संशोधन) अधिनियम लागू था। और उसके अन्तर्गत कई लोगों को दण्ड दिया गया। परन्तु जब उच्चतम न्यायालय ने उस अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया, फिर भी उन भाग्यहीन कर्मचारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा के रक्षण के नियमों में जकड़ लिया गया। यदि कोई श्रमिक संघ साम्यवादियों के नेतृत्व में चलता हो तो उसे साम्यवादी नियंत्रित कहा जाने लगा है और उसके सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाहियां करके उन्हें सेवाओं से अलग कर दिया जाता है। १९४९ में तो जो भी कोई किसी प्रकार का अधिकार मांगता उसे तुरन्त ही साम्यवादी घोषित कर इन नियमों के अन्तर्गत पकड़ लिया जाता और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती।

अब अवस्था भिन्न है। कांग्रेस दल यह भली भांति जानता है कि साम्यवादी दल किस प्रकार कार्य कर रहा है। इस दल का किसी भी विध्वंसात्मक कार्यवाही से किसी प्रकार का परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं है अतः उन्हें अब इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये--मैं नहीं समझता कि इस बात का क्या अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति जिसका कम्युनिस्टों से किसी प्रकार का सम्बन्ध होगा नौकरी से निकाल दिया जायेगा। ऐसा क्यों है? हमें सरकारी कर्मचारियों के स्तर को इतना नीचा नहीं समझना चाहिए कि वे सरकार के गुप्त भेदों को कम्युनिस्टों को बतला देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि जिन मामलों को हम लोगों ने रेलवे मंत्री तथा अन्य मन्त्रालयों के सामने पेश किया उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाय और उन लोगों को इस बेकारी के समय में कम-से-कम फिर से नौकरियां दी जायं।

श्री केशवैयंगार : श्री गोपालन और श्री नम्बियार के वक्तव्य हमारी समझ में नहीं आये कि उन्होंने देश विरोधी सभी बातें अपने दिमाग से निकाल दी हैं। मैं कम्युनिस्टों द्वारा किये गये अनेक तोड़फोड़ और उत्पात के कामों के विस्तार में नहीं जाना चाहता पर उनके गैर तरीके बड़े संदेहजनक होते हैं।

मैं अपनी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के प्रति किये गये दुर्व्यवहार की कटु निन्दा करता हूं। एक समाजवादी सिद्धान्तों पर बने राज्य में निम्न श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण का हमें ध्यान रखना चाहिए। अभी हाल में ही बंगलौर रेलवे स्टेशन के मालगोदाम के कई सौ कर्मचारियों को अकारण ही पदच्युत कर दिया गया है और वहां बड़ा आन्दोलन चल रहा है।

मैं श्री नम्बियार के सुझावों का बहुत सम्मान करता यदि वे एक उचित संकल्प

[श्री केशवायंगार]

में रखे गये होते। बाहर से तो ऐसा मालूम होता है कि यह संकल्प हज़ारों सरकारी कर्मचारियों के हितों का पोषक है पर अन्त में रेलवे सेवा नियमों के उन्मूलन या भंग करने की मांग की गई है जो शरारत से भरी हुई है और इससे हमारी सरकार का सारा प्रशासन भी ठप्प हो सकता है। मैं इसके समर्थन में हूं कि अस्थायी, अर्धस्थायी कर्मचारियों की श्रेणी को समाप्त कर दिया जाय। एक या दो वर्ष बाद सभी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय। पर संकल्प का अन्तिम भाग बहुत हानिकारक है। यदि रेलवे सेवा नियमों का संशोधन ही उनका उद्देश्य था तो वे इन नियमों के संशोधन की मांग करते न कि इनके उन्मूलन की। अतः मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जहां तक रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा परित्राण) नियमों के खण्डन का सम्बन्ध है, सभा को स्मरण होगा कि गतवर्ष अप्रैल में श्री नम्बियार ने एक संकल्प रखा था जिस पर वाद-विवाद हुआ था और वह अस्वीकृत हुआ। वही संकल्प दूसरे रूप में रखा गया है।

मैं कुछ मामलों को स्पष्ट करना चाहता हूं। ऐसा मालूम होता है कि श्री गोपालन की यह धारणा हैकि संशोधित नियमों के अनुसार पहले के नियमों की अपेक्षा,उन लोगों को कम सुविधायें मिलेंगी जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। उनको वही विशेषाधिकार प्राप्त हैं। उन्हें एक मान प्रपत्र पर सूचना दी जाती है और उन्हें उसका उत्तर देने की अनुमति दी जाती है और उस पर सलाहकारों की एक समिति विचार करती है। अन्तर केवल इतना है कि पहले नियमों के अधीन वे इस समिति के सामने खुद भी हाज़िर हो सकते थे पर अब वह अधिकार लौटा दिया गया है और वह केवल अपने विभाग प्रमुख के सामने हाज़िर हो सकते हैं। इस साधारण से अन्तर के अतिरिक्त, किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध उसे उचित अभ्यावेदन भेजने और सुनवाई का अवसर देने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है। एक प्रकार से यह संशोधित नियम पुराने नियमों से विकसित है। पहले जब वे छुट्टी पर चले जाते थे, और एक बार छुट्टी समाप्त हो जाने पर, यदि उनके सम्बन्ध में शीघ्र ही कुछ निर्णय नहीं किया जाता था, तो उन्हें हानि उठानी पड़ती थी; जबकि अब उन्हें केवल कार्य से पृथक् कर दिया जाता है, यदि वे चाहें तो छुट्टी भी ले सकते हैं, और जब तक उनके मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, उन्हें उस कार्य पृथक् अवधि में हानि नहीं उठानी पड़ती है जैसा कि पहले हानि उठानी पड़ती थी। अतः यह धारणा कि संशोधित नियमों ने कि नता पैदा कर दी है, सही नहीं है।

उसके बाद पाकला के पुल उपनिरीक्षक के सम्बन्ध में एक विशेष मामले की बात कही गयी। उसके मामले में १९४९ के मौलिक नियमों के अनुसार कार्यवाही की गयी थी। अपने उत्तर में उसने सुनवाई की मांग की। सुनवाई की आज्ञा दिये जाने के पूर्व ही, संशोधित नियम जारी हो गये। अतः उसे एक नयी सूचना दी गयी। उस सूचना का उत्तर देने के बजाय उन सज्जन ने मद्रास उच्चन्यायालय में एक लेख आवेदन पत्र दे दिया, और उच्चन्यायालय ने उस कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाहियों को रोक दिया। अतः मामला वहीं रुका हुआ है।

श्री नम्बियार ने यह समझाने की बहुत कोशिश की कि इस संकल्प का कोई भी राजनैतिक उद्देश्य या विद्वेष नहीं है और कोई भी उसको इस दृष्टिकोण से न देखे। उन्होंने स्वयं बताया कि उनके अभिवेदन पर मंत्री

द्वारा कुछ कार्यवाहियां की गयी थीं । अतः, इससे उन्हें सन्तुष्ट हो जाना चाहिए कि जहां तक हम लोगों का सम्बन्ध है, हम उसे किसी राजनैतिक विद्वेष के दृष्टिकोण से नहीं देखते । निश्चित ही, सर्वाधिक संख्या में श्रमिकों को नौकरी देने वाला संगठन, राज्य के स्थायात्वि को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा उपायों की इस प्रारम्भिक सावधानी को अवश्य स्वीकार करेगा । यह परम् आवश्यक है । जब आप उन लोगों की संख्या देखेंगे जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है तो आप को विदित हो जाएगा कि सम्पूर्ण १० लाख लोगों में से केवल बहुत थोड़े लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है । और उन थोड़े लोगों में से, अभी हाल में पुनरीक्षण करने के बाद, २२ लोगों को फिर से काम पर लगा दिया गया है । अतः इससे प्रकट होगा कि सरकार की इच्छा इन नियमों को किसी कर्मचारी के विरुद्ध रुखाई से प्रयोग करने की नहीं है । यह केवल एक सुरक्षित अधिकार है । यह इस देश में परिवहन के समुचित संचालन और राज्य के स्थायित्व के संरक्षण के लिए है ।

मुझे और कुछ नहीं करना है । मैं सोचता हूं कि इससे माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो जायेंगे ।

श्री आर० के० चौधरी : मैं सरकार का ध्यान कुछ ऐसे मामलों की ओर आकर्षित करूंगा जिससे वर्तमान सरकारी नौकरियों की असुरक्षित प्रकृति का भास होता है ।

मैं अपने प्रान्त आसाम की बात बताऊंगा । ७ वर्ष पूर्व चुनाव बोर्ड ने आकाशवाणी के कुछ कर्मचारियों को चुना । ७ वर्ष बाद छंटनी का प्रश्न उठा । वे सभी अस्थायी आधार पर नियुक्त किये गये थे और उन सबों को सात वर्षों तक अस्थायी रखा गया । गृह-विभाग ने इनकी रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया और २२ व्यक्तियों की छंटनी हो जाने के बाद छंटनी बन्द कर दी गयी । छंटनी में आप कुछ लोग ४१० रुपये तक वेतन पाते थे । निस्सन्देह उनको किसी न किसी अवस्था में कहीं न कहीं खपाने का प्रयत्न सरकार कर रही है । ७ वर्ष अस्थायी रह कर, छंटनी में निकाले जाने के बाद वह पुनः अस्थायी रूप में रखा जायेगा और पहले से आधा वेतन पायेगा, यह सब नौकरियों की असुरक्षित प्रकृति का प्रभाव है ।

आजकल सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एक और प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । यदि किसी कर्मचारी के विरुद्ध आचरण, गबन, धोखा या छल सम्बन्धी कोई आरोप लगाया जाता तो उस कर्मचारी के विरुद्ध सरकार या तो विभागीय कार्यवाही करती थी या उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाती थी । पर दोनों काम नहीं करती थी । और आजकल यह होता है कि यदि वह न्यायालय से निर्दोष छूट जाता है तो विभागीय कार्यवाही की जाती है । पहले ऐसा नहीं होता था । मैं समझता हूं कि इस प्रवृत्ति को नष्ट कर देना चाहिए । दिल्ली विशेष पुलिस कर्मचारी यह कह कर कि उनके पास उस कर्मचारी के आचरण के विरुद्ध कुछ सूचना आई है, उस कर्मचारी को कार्य से पृथक् करा देते हैं । कभी कभी अपनी जांच की सुविधा के लिए इन कर्मचारियों का स्थान-परिवर्तन भी करा देते हैं । यद्यपि अधिकांश ऐसे मामलों में कर्मचारी लोग छूट गये हैं पर उनको दोहरी परेशानी और कठिनाई उठानी पड़ती है । क्या इससे असन्तोष और नौकरियों की असुरक्षा की भावना नहीं पैदा होती ?

तीसरा विषय जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह है कि विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की दशा दयनीय । उनमें से कुछ अपनी सरकारों में

[श्री आर० के० चौधरी]

अच्छे अच्छे वेतनों वाले पदों पर थे अब यहां उन्हें उसका चौथाई या उससे भी कम वेतन मिलता है । उनके अवकाशग्रहण करने का समय भी निकट आ गया है ; उनको इस समय जो वेतन मिलता है उसका आधा भी अवकाश ग्रहण के बाद नहीं मिलेगा ।

लड़ाई के समय में लोगों की खूब भर्ती हुई । उसके बाद छंटनी हुई । उस समय भी नौकरियों की असुरक्षा का प्रश्न लोगों के सम्मुख था । अब जब यहां सरकारी नौकरियों में जो महिलायें हैं वह जब बूढ़ी हो जाती हैं तो कार्य से पृथक् कर दी जाती हैं । वृद्धावस्था में उनकी अपनी नौकरियों की कोई भी सुरक्षा नहीं है ।

श्री दातार : जहां तक इस संकल्प का सम्बन्ध है इसका कुछ अंश एक दूसरे ही रूप में १९५३ में सभी में प्रस्तुत किया गया था और वह रद्द भी कर दिया गया था । अब यह संकल्प एक विस्तृत रूप में जिसका केवल रेलवे मन्त्रालय से ही सम्बन्ध नहीं है अपितु अन्य सभी मन्त्रालयों से समष्टि रूप में सम्बन्ध है, सभा में प्रस्तुत किया गया है । इसलिए अब यह बताना आवश्यक हो गया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने यथा सम्भव क्या क्या कार्यवाही की है ।

इस प्रयोजन के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि युद्धकाल में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की संख्या किस प्रकार असाधारण रूप से बढ़ गई थी और ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी सेवाएं बिल्कुल ही आवश्यक नहीं थीं, सरकार को छंटनी करनी पड़ी । इस संकल्प के प्रस्तावक चाहते हैं कि सेवाओं की सुरक्षा की गारण्टी विशेष प्रकार से हो, और इसके लिए उन्होंने अपने संकल्प में तीन तरीके बताये हैं । एक तो यह है कि अस्थायी तथा अर्द्ध-स्थायी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को समाप्त कर देना चाहिए । दूसरे सभी सरकारी कर्मचारियों का वर्गीकरण स्थायी हो । तीसरे रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा परित्राण) नियमों का निरसन होना चाहिए ।

आप देखेंगे कि जहां तक इन व्यक्तियों की सेवा-सुरक्षा की गारण्टी का सम्बन्ध है, उनके बताये गये उपचार सही उपचार नहीं हैं । इसलिए मैं आपको यह बताऊंगा कि पिछले सात, आठ अथवा नौ वर्षों से सरकार इस समस्या को किस प्रकार हल कर रही है । इससे तो आप सहमत होंगे ही कि द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप सरकार की कार्यवाहियां विभिन्न क्षेत्रों में काफ़ी बढ़ गई थीं, और इसके लिए सरकार को बहुत से अस्थायी विभाग खोलने पड़े तथा अन्य विभागों में भी सरकार को अस्थायी तौर पर बहुत से कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ी । जब तक युद्ध रहा तब तक इन व्यक्तियों का सेवा में रहना स्वाभाविक था । युद्धकाल में यह कहना बड़ा कठिन था कि कौन कौन विभाग स्थायी तौर पर रहेंगे तथा इन कर्मचारियों में से कितने व्यक्तियों को स्थायी बनाया जायगा । इसलिए युद्धकाल में यह समस्या हल नहीं की जा सकी । युद्ध के समाप्त होते ही सरकार ने इस प्रश्न को हाथ में लिया और यह मालूम करने का प्रयत्न किया कि सरकारी काम को चलाने के लिए असैनिक विभागों में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है । आप देखेंगे कि उस समय अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी करने का प्रश्न सरकार को हाथ में लेना पड़ा, क्योंकि विभिन्न मन्त्रालयों में सरकारी काम को चलाने के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता थी उनकी अपेक्षा अधिक इन अस्थायी व्यक्तियों की संख्या बहुत कुछ अधिक थी । इसलिए सेवाओं के पुनर्गठन का प्रश्न हाथ में लेने से

पूर्व अस्थायी कर्मचारियों की काफ़ी संख्या में छंटनी करनी पड़ी क्योंकि यदि उन्हें नौकरी में रखा जाता तो सरकार को उन्हें आजीविका देनी पड़ती और राष्ट्र को इस पर बहुत अधिक व्यय करना पड़ता अतः सरकार को भारी संख्या में अस्थायी सरकारी कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी ।

•छंटनी के मामले में सरकार के सामने दो समस्याएं थीं । पहिली समस्या तो यह थी कि तत्कालीन सरकार की आवश्यकता की अपेक्षा कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक थी । दूसरे युद्ध काल में, युद्ध की आवश्यकता को ध्यान में रख कर ऐसे व्यक्तियों की भर्ती कर ली गई थी जो अपने स्थान के लिए योग्य भी नहीं थे । अतः इन दोनों बातों पर विचार किया गया और सरकार ने छंटनी के बारे में आदेश जारी कर दिये । छंटनी के लिए उन्होंने कुछ शर्तें बना दीं जिनके आधार पर छंटनी होगी जैसे जो अपने अपने स्थानों पर बने रहने की योग्यता नहीं रखते थे, जिनके पास शिक्षा सम्बन्धी अथवा अन्य प्रकार की योग्यता नहीं थी, अथवा सरकारी कर्मचारी होते हुए भी निर्धारित समय में जिन्होंने योग्यता पूरी नहीं की, उन्हें नौकरी से पहले अलग किया जायगा । इस नियम का पालन करने के लिए कुछ अपवाद करने पड़े; और विस्थापित कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति तथा सुरक्षा देने के लिए सरकार काफ़ी सावधान थी और इसलिए कुछ नियम बनाये गये और उन नियमों को यथासम्भव क्रियान्वित किया जा रहा है । यह तो हुआ उन कर्मचारियों के बारे में जो आवश्यकता से अधिक थे अथवा शिक्षा अथवा प्रशासनीय दृष्टिकोण से अयोग्य थे ।

आप देखेंगे कि इसलिए इन व्यक्तियों की अस्थायी सेवाओं के बारे में कुछ नहीं हो सका और जब ऐसे व्यक्तियों की संख्या लाखों में हो तो किसी भी सरकार के लिए उन्हें स्थायी बनाना अथवा उनकी पुष्टि करना बिल्कुल असम्भव है क्योंकि यह कार्य सरकार की क्षमता से बाहर है । इसलिए आप यह अच्छी तरह समझ सकेंगे कि युद्धकाल में युद्ध की आवश्यकता की दृष्टि से, तथा युद्धोपरांत बाद की उन स्थितियों को दृष्टि में रख कर अस्थायी प्रकृति के कुछ ऐसे विभाग खोले गये। आपको ध्यान होगा कि पुनर्वास विभाग, बहुत से अन्य प्रकार के विभाग, जैसे रसद विभाग आदि उस समय खोले गये थे । अब समय ऐसा आता है जबकि इन विभागों को बन्द करना होगा । इसलिए सरकारी कर्मचारियों के अब कुछ ऐसे विभाग हैं जो अस्थायी हैं जिन्हें अब बन्द करना होगा, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें अब अलग करना होगा । इस सभा में कई बार इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि बचत की जाय । आवश्यकता से अधिक इन कर्मचारियों को नौकरी में रखने से बचत नहीं हो सकती । इसलिए हमें यह ध्यान में रखना होगा कि अब केवल उतने ही कर्मचारियों को रोका जायेगा जिनकी आवश्यकता है तथा सरकारी काम करने के लिए जिनकी ज़रूरत है ।

छंटनी करने के सम्बन्ध में भी सरकार ने एक यह शर्त लगा दी है कि सरकारी नौकरी में रहते हुए यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय में अपने पद के लिए वांछित योग्यता प्राप्त कर लेता है तो उसकी छंटनी तुरन्त ही नहीं की जायगी । इसलिए ऐसी श्रेणियां बना दी गईं जिनके अनुसार पहले वे व्यक्ति अलग किये जायेंगे जिन्हें कि अलग करना है तथा उन व्यक्तियों को जिनके बारे में विचार किया जाना है, सब के बाद अलग किया जायगा । मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, यहां तक कि उन को अलग कर देने के बाद भी हमने यह नियम

[श्री दातार]

बनाया है कि सरकारी नौकरी के लिए छंटनी किये गये कर्मचारियों को पुनर्भर्ती के मामलों में उच्च स्तरीय प्राथमिकता दी जायगी।

नये साधन तलाश किये जा रहे हैं। यों तो जब कभी नये साधन खोले गये हैं, छंटनी किये गये व्यक्तियों को नौकरी दी गई है। ऐसी स्थिति में आप इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि सब को तुरन्त ही स्थायी नौकरी देना सरकार के लिए असम्भव है। क्योंकि स्थायी नौकरी देने का अभिप्राय यह है कि सरकार के ऊपर बहुत से उत्तरदायित्व आ जाते हैं एवं आगामी वर्षों के लिए वित्त से सम्बन्धित कुछ बचन भी देने पड़ते हैं। और यही कारण हैं कि काफ़ी संख्या में अस्थायी कर्मचारी हैं।

इन सब बातों के अतिरिक्त हमारा अपना संविधान भी है। संविधान से पहले भी सरकार के सामने केन्द्रीय सरकार के अधीन सभी प्रकार की सेवाओं के पुनर्गठन की समस्या थी। इस सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं, केन्द्रीय सचिवालय के क्लर्कों की सेवाओं केन्द्रीय सचिवालय के स्टीनोग्राफरों (आशुलिपिकों) की सेवाओं का पुनर्गठन किया है और बहुत से व्यक्तियों में, जिन्हें कि स्थायी बनाने की आवश्यकता थी, स्थायी बना दिया गया है।

कुछ स्थितियों में विभिन्न मंत्रालयों ने जिनमें वित्त मन्त्रालय भी सम्मिलित है नियम बनाये हैं कि ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी बनाने की सम्भावना है, अतः उन पदों पर काम करने वाले कर्मचारियों को शीघ्र ही स्थायी बना दिया जाना चाहिए।

रक्षा विभाग ने अभी एक आदेश द्वारा निर्देश दिया है कि ४० प्रतिशत अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं की तुरन्त ही पुष्टि की जानी चाहिए। इस प्रकार आप देखेंगे कि सरकार के सभी मन्त्रालय सेवाओं को सुरक्षा देने के लिए यथा सम्भव प्रयत्न कर रहे हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि अर्द्धस्थायी प्रदान करने वाले खड को कुछ मित्र नहीं समझ सके हैं। जब सरकार को यह पता चला कि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सरकारी सेवाओं में इसलिए पुष्टि नहीं हो सकी है क्योंकि स्थायी श्रेणियों में कोई स्थान रिक्त नहीं था और कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो सरकारी सेवा में पिछले ६, ८ अन्यथा और अधिक वर्षों से कार्य कर रहे थे तो सरकार ने एक नया नियम बनाया कि वे भी इतने ही स्थायी समझे जाएंगे जितने वे अर्द्ध स्थायी समझे जा रहे है। तीन वर्ष से अधिक की सेवा वाले व्यक्तियों को अर्द्ध स्थायी नौकरी के प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये; जहां तक कि केन्द्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियमों का सम्बन्ध है उसका नियम संख्या ३ का पहिला वाक्य बहुत ही स्पष्ट है। एक सरकारी कर्मचारी जिसने लगातार तीन वर्ष से अधिक सरकारी सेवा की हो उसे अर्द्ध-स्थायी कर्मचारी समझा जायगा। दूसरे नियम में लिखा है :

"अर्द्ध स्थायी रूप से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की उम्र, योग्यता, कार्य तथा चरित्र आदि के सम्बन्ध में यदि नियुक्ति प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कर नियुक्ति की घोषणा करता है....."

इसलिये उसके कार्य के बारे में भी विचार किया जायगा। सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो विस्थापित सरकारी कर्मचारी हैं। इन के लिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ अपवाद रखे गये है और इन अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को

काफ़ी संख्या में अर्द्ध-स्थायी होने के प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। इनको लगभग वे सभी रियायतें दी गई हैं। जो कि स्थायी सरकारी कर्मचारियों को दी जाती हैं।

सरकारी सेवाओं की नियमित श्रेणियों में जहां कि बहुत से वर्ग तथा सेवाओं की बहुत श्रेणीया हैं। और उन श्रेणियों में जहां कि काफ़ी संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, सरकार ने उन कर्मचारियों की पुष्टि कर दी है जिनकी कि पुष्टि तुरन्त ही हो सकती थी। इसके अतिरिक्त अस्थायी कर्मचारियों के हित में सरकार ने ऐसे व्यक्तियों की जिन्हें की स्थायी बनाया जायगा एक नयी श्रेणी बनायी है और वह श्रेणी नियमित अस्थायी संस्थापन के नाम से पुकारी जाती है। एक सूची भी तैयार की गई ह और उस सूची में बहुत से व्यक्तियों के नाम हैं तथा जब और जैसे भी कोई स्थायी पद खाली होंगे तो उतने ही व्यक्तियों के नाम नियमित अस्थायी संस्थापन में से काटकर पुष्टि किये जाने वाले व्यक्तियों की सूची में रख दिये जायेंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को यथासम्भव सुरक्षा देने के लिए सजग है। पूर्ण सुरक्षा न दे सकने पर सरकार परिस्थितियों के अनुसार जैसी भी सुरक्षा दी जा सकेगी, सुरक्षा देगी। अतः हमने उन सभी व्यक्तियों को जिनको कि स्थायी पदों पर हम पुष्टि कर सकते थे, पुष्टि कर दी है। हमने अर्द्ध-स्थायी बनाने वाले प्रमाणपत्र भी जारी किये हैं, हमने नियमित अस्थायी संस्थापन की सूची में काफ़ी व्यक्तियों को भी स्थान दिया है.....

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मंत्रियों के बारे में क्या है ?

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, श्री त्यागी ने क्या कहा ?

श्री दातार : यह रिकार्ड में नहीं है। उन्होंने कहा था कि मंत्रियों को भी कुछ सुरक्षा दी जानी चाहिये।

श्री त्यागी : वे भी अस्थायी सेवा में हैं।

एक माननीय सदस्य : यदि उनका व्यवहार सर्वथा ठीक रहता है तो वे मंत्री बने रहगें ; अन्यथा उन्हें पद से हटा दिया जायेगा।

श्री दातार : अतः आपको विदित होगा कि हमने इन निश्चित उपायों द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लोगों को सेवा सुरक्षण दिया है।

अन्त में यह आपत्ति उठाई गई थी कि जहां तक कुछ लोगों को सरकारी सेवा से अलग करने का सम्बन्ध है, सरकार स्वच्छन्द नीति का अनुकरण कर रही है। इस सम्बन्ध में सुरक्षा नियमों की ओर बहुत ही विशेष ध्यान अकर्षित किया गया है। जहां तक संविधान का सम्बन्ध है माननीय श्री गोपालन तथा अन्य सदस्यों ने अनुच्छेद ३११ पर विश्वास प्रकट किया था। अनुच्छेद ३११ में यह उल्लेख है कि :—

> "जो व्यक्ति संघ की असैनिक सेवा का या अखिल भारतीय सेवा का या राज्य की असैनिक सेवा का सदस्य है, अथवा संघ के या राज्य के अधीन असैनिक पद को धारण करता है वह अपनी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी से निचले किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जायेगा अथवा पद से हटाया नहीं जायेगा।"

और फिर, सेवा से हटाने के मामले में एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित होती है।

श्री ए० के० गोपालन : क्या आप कृपया उस मामले की जांच करेंग जहां विवाहोपरान्त सेवक को पदच्युत कर दिया गया था ?

श्री दातार : मैं उन सारे मामलों की जांच करूंगा जिनसे भारत सरकार का सम्बन्ध है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान अनुच्छेद ३११ के परन्तुक (ग) की ओर आकर्षित करता हूं, जहां यह उल्लेख है कि जहां राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्यप्रमुख, जैसी भी स्थिति हो, सन्तुष्ट हो कि उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना, जिसका उल्लेख अनुच्छेद के अग्र भाग में किया गया है, राष्ट्र की सुरक्षा के हित में नहीं है, तो वह नहीं दिया जाना चाहिये। आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद ३११ के उपबन्धों के अनुसार सरकार ने नियम बनाये थे और आदेश दिये थे। पहिले, भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के अधीन नियम बनाये गये थे, और संविधान के उपरान्त, वे अद्यतन कर दिये गये।

रेलवे मन्त्रालय तथा अन्य सरकारी विभागों के बारे में, सुरक्षा-नियमों का आधार लगभग वही है। रेलवे कर्मचारियों के मामले में एक परामर्शदाताओं की समिति नियुक्त की जाती है, और दूसरे मामले में सरकार के उच्च पदाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की जाती है। तत्पश्चात् जांच की जाती है। जांच के पूर्ण होने पर जबकि किसी रेलवे कर्मचारी को सेवा से हटना होता है या अनिवार्य रूप से निवृत्ति प्राप्त करनी होती है या भारत सरकार के किसी अन्य कर्मचारी को सेवा से हटाना होता है, तब एक ऐसी प्रथा है जिस के अनुसार स्वयं मन्त्री, आदेश जारी होने के पूर्व, मामले की जांच करता है। यह एक सुरक्षा है कि आदेश छोटे पदाधिकारियों द्वारा नहीं दिये जाते।

सके अतिरिक्त इन व्यक्तियों के हित में एक और नई पद्धति रही है। वह पद्धति यह है कि अन्य विभागों के सम्बन्ध में अन्तिम आदेश राष्ट्रपति देगा। जब कभी इन सुरक्षा-नियमों के अधीन कोई कार्यवाही की जाय, अन्तिम आदेश राष्ट्रपति द्वारा दिया जायेगा, अर्थात् भारत सरकार द्वारा तथा सम्बद्ध मंत्री द्वारा।

इस विशे संकल्प के बारे में, यह आवश्यक नहीं है कि मैं इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख करूं, क्योंकि ऐसा संकल्प पाइले ही अस्वीकृत कर दिया गया है, परन्तु, कृपया आप यह समझेंगे कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं, भारत में कुछ ऐसी संस्थायें हैं जो विध्वंस की कार्यवाही कर रही हैं और ये विध्वंस की कार्यवाहियां स्वभावतः गोपनीय होती हैं। मैं जानता हूं कि कुछ संस्थाओं ने कुछ गोपनीय संकल्प पारित किये हैं कि उनका अगला उद्देश्य सेवाओं में प्रवेश करना होगा। यह बात बहुत ही सावधानीपूर्वक समझने योग्य है, और भारत की सुरक्षा के हित में, सरकार को इस पर कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह कोई साधारण या सामान्य कार्यवाही नहीं होगी क्योंकि उससे राष्ट्र की सुरक्षा का सम्बन्ध है। अतः यह देखने के लिए सरकार को अत्यधिक सावधान रहना होगा कि जो भी किया जाय, वह राष्ट्र के हित के विरुद्ध न हो। इसी उद्देश्य से ही राष्ट्र के हित को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, और जहां तक सेवा के सम्बन्ध में किसी वैयक्तिक अधिकार का प्रश्न है, भारत की सुरक्षा के अनुकूल प्रत्येक सामान्य कार्यवाही पर ध्यान दिया जाता है। अब, उनकी सुनवाई हो चुकी है; वे आरोप उन्हें बता दिये गये हैं जो उनपर लगाये गये हैं। यह सूचना केवल कोई मत विशेष रखने के कारण नहीं अपितु कुछ गोपनीय कार्यवाहियों से सम्बन्ध रखने के कारण दी गई है। कृपया आप इस ओर ध्यान देंगे कि सरकारी कर्मचारी को किसी भी राजनीतिक संस्था से सम्बन्ध रखने की अनुमति नहीं है। जब वह ऐसा करता है तो हम सरकारी सेवा आचरण

नियमों के अधीन भी उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री गिडवानी : क्या वह कांग्रेस के सदस्य बना सकता है ?

श्री दातार : नहीं; यह नहीं बना सकता। यदि वह कांग्रेस के सदस्य बनाता है तो वह अपने आप को राजनीतिक संस्था से सम्बद्ध कर देता है। मैं बता चुका हूं कि यदि ऐसी कार्यवाही, अर्थात् राजनीतिक संस्था के कार्य में सक्रिय भाग लेना, की जाती है, तो सामान्य सम्भाव्य विभागीय कार्यवाही की जाती है। परन्तु, यदि यह आगे बढ़ती है और उसका राजनीतिक कार्य साधारण राजनीतिक कार्य न होकर गोपनीय कार्य होता है, तो यह राष्ट्र के लिए हानिकारक होती है जब वह कार्यवाही सीमा पार कर जाती है और सरकार को व्यक्ति की बुरी कार्यवाही का पूर्ण विश्वास हो तो देश के हित में सरकार को परिस्थिति के अनुकूल कार्यवाही करनी होगी। सरकार को, वह व्यक्ति सेवा से हटाना नहीं अपितु अनिवार्य रूप में निवृत्त करना पड़ेगा। दोनों में पर्याप्त अन्तर है। एक व्यक्ति कुछ ऐसी कार्यवाहियों के कारण सेवा से हटाया जाता है जिनमें नैतिक दुष्टता सन्निहित होती है। जहां उसका सेवा से हटाया जाना आवश्यक हो वहां कुछ प्राविधिक अपराध हो सकते हैं।

सभापति महोदय : समय समाप्त हो गया।

श्री तिम्मय्या (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : वह मेरा समय ले रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं देखूंगा कि आपका संकल्प प्रस्तुत किया जाता है।

श्री दातार : अतः, इन समस्त मामलों में सरकार को बहुत सतर्क रहना होगा। सरकार को प्राप्त सूची सामग्री की व्यक्ति के हित की दृष्टि से भी यथासम्भव उत्सुकता से जांच की जाती है और केवल उसके पश्चात् ही अन्तिम कार्यवाही की जाती है। जो कार्यवाही की जाती है वह लगभग साधारण होती है, अर्थात् जिसे आप भी सुविधापूर्वक समझ सकते हैं। उसे निवृत्ति-वेतन, उपदान, तथा वह सुविधायें जिसका उसे स्वास्थ्य के कारण निवृत्ति पाने पर अधिकार होता है, प्राप्त होती है। अतः आप देखेंगे कि इन कारणों से सरकार इस व्यक्ति के प्रति अत्यन्त सहृदयता का व्यवहार करती है।

अन्त में, मैं विस्थापित सरकारी सेवकों के बारे में कुछ कहूंगा। मुझे डर है मेरे मित्र का यह कहना ठीक नहीं है कि सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त के ५,००० सरकारी सेवक अब भी अस्थायी हैं। फिर भी, मैं अपने माननीय मित्र को बचन देता हूं कि मैं इस मामले की जांच करूंगा। उनके मामलों पर अत्यधिक तथा अत्यन्त सहानुभूति से विचार किया जा रहा है। कुछ मामलों में उन्हें भूतपूर्व अविभाजित सिंध तथा उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्तों की सेवा के कारण अधिकार दिये जाते हैं। अतः प्रत्येक सम्भाव्य कार्यवाही की जा रही है और सरकार को सभी की आवश्यकताओं तथा अन्य समस्त वर्गों के प्रति पूर्व सहानुभूति है। इन व्यक्तियों के हित में अनेकों नियम बनाये गये हैं। अतः, मैं यह कहूंगा कि इन व्यक्तियों का हित सदैव ही हमारे ध्यान में रहता है। हम से जो भी सम्भव होगा वह सदैव ही सहानुभूतिपूर्ण किया जायेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : सिन्धी तथा अन्य विस्थापित लोगों में भेदभाव मत रखो।

श्री दातार : उन्होंने सिन्ध तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा कहना यह है कि सारे भेदभावों को समाप्त कर दीजिये। अन्य व्यक्तियों को आप जो छूट देते हैं वे कृपया उन्हें भी दीजिये।

श्री दातार : उन्हें ी जाती हैं, और यहां तक कि उन्हें अधिक छूट दी जाती हैं।

श्री गिडवानी : उनके साथ वरणकारि ों का-सा व्यवहार नहीं किया जा रहा है।

गृह-कार्य तथा राज्य-मंत्री (डा० काटजू) : मैं अपने सहकारी के स्पष्ट कथन के अतिरिक्त कोई और बात कहना नहीं चाहता। मैं इस समस्या के केवल एक भाग की ओर, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, सभा का ध्यान आकर्षित कर के लिए खड़ा आ । जो लोग पिछले अनेक वर्षों से अस्थायी रुप में काम कर रहे हैं उनसे हमें हार्दिक सहानुभूति है। उनके उत्तरदायित्व हैं। उनके अपने परिवार हैं और उन्हें अपने बालकों का पोषण करना है। जैसा कि गैर-सरकारी कह चुके हैं, सरकार उन्हें काम का संरक्षण तथा अवधि देने के लिए प्रत्येक सम्भव कायवाही कर रही है। परन्तु मूल बात यह है कि संसद् तथा जनता यह मांग करती है कि प्रशासन में अत्यधिक मितव्ययता होनी चाहिय। मैं आपके समक्ष यह बात प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान लीजिये कि सरकार को ५,००० या १०,००० लोगों की आवश्यकता है, तो साधारणतया यदि कोई अतिरिक्त कर्मचारी न होंगे तो नई पीढी से—विद्यार्थी जो अपना अध्ययन समाप्त करते हैं—१०० या ५०० लोग लिये जायेंगे। मैंने अब जो परिणाम देखा है वह यह है कि पुराने अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के कारण कालिजों से आने वाले नये लोगों की भ ी कई सालों से पूर्णतया समाप्त हो गयी है। आप पुराने लोगों को स्थायी बनाते हैं। और नवयुवकों को भर्ती नहीं करते जिसका परिणाम यह होता है कि नवयुवकों को हानि होती है। उनमें निराशा और इससे बहुत सी कठिन समस्यायें उत्पन्न होती है। मैं केवल यह चाहता हूं कि सभा इस बात का ध्यान रखे।

दूसरी बात यह है कि जब आप प्रतिवर्ष विभिन्न आयु वाले लोगों को भर्ती करते हैं। तो पुराने लोगों के निवृत्ति प्राप्त करने के समय ये लोग कार्य पर आते हैं और फिर कोई अधिक अभाव नहीं रह जाता। परन्तु, यदि आप पुराने ोगों को उस समय स्थायी बनाते हैं जबकि वे अतिवयस्कता पर निवृत्ति प्राप्त करने को हों तो आपको तुरन्त ही ५० या १०० लोगों की आवश्यकता होगी और वे नये लोग कार्य सम्भाल नहीं सकेंगे। मैं चाहता हूं कि सभा स बात का ध्यान रखे।

सभापति महोदय : अब मैं प्रस्ताव को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

एक माननीय सदस्य : उन्हें वापस ले ले दीजिये।

सभापति महोदय : प्रस्तावक, श्री एच० एन० मुक ी, यहां उपस्थित नहीं हैं अतः ोई भी व्यक्ति इसे वापस नहीं ले सकता। मैं इसे सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

अस ायी तथा अर्द्ध-स्थायी सरकारी सेवकों को स्थायी बना कर और रेलवे सेवा (राष्ट्रीय सुरक्षा का परीत्राण) नियम, १९५४ का निरसन करके सरकारी कर्मचारियों को सेवा-संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव सभापति महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया, त था अस्वीकृत हुआ।

———

विधि आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प

श्री तिम्मय्या (कोलार-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं स्ताव करता ·—

"कि यह सभा कल्प करती है कि न्याय को सरल, ीघ्र, सस्ता, प्रभा ी और पर्याप्त बनान के लिए ूल क्रिया या अन्य रूप में दण्ड सम्बन्धी व्यवहार सम्बन्धी और राजस्व सम्बन्धी विधियों विशेषकर व्यवहार तथा दण्ड प्राक्रया संहिताओं और भारतीय दण्ड संहिता के ,पुनरीक्ष और आधुनिकीकरण की सिफारिश करने, मुकदमे के पूर्व निर्णयों पर आधारित ।वधि के परीमाण को कम करने और कई विषयों पर उच्च न्याया-लयों के विनिश्चयों की विषमताओं को दूर करन के लिए एक विधि आयोग नियुक्त किया जाय ।"

कई माननीय सदस्य । अगले दिन ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य दस ।मनट में ाषण समाप्त न ीं कर सकेंगे ।

श्री तिम्मय्या : जी नहीं ।

सभापति महोदय, तो मैं समझता हूं उनका ाषण कल पर ही रखा जाय । यह भी है कि इस समय यहां बहुत कम सदस्य ैठे हैं ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार २२, नवम्बर, १९५४ के ग्यारह बजे मध्याह्न पूर्व तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—495 LSD—23-4-55—000

अनुक्रमणिका

अ

अध्यक्ष महोदय, (श्री जी० वी० माघलंकर)

सभा के कार्य के सम्बन्ध में घोषणा २७९–८०

अलगेशन, श्री—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३५१–५३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–७९

आ

आंध्र—

—के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—

(संशोधित प में स्वीकृत) २८०–३३४

उ

उद्घोषणा—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की—सम्बन्धी संकल्प—

(संशोधित रूप में स्वीकृत) २८०–३३४

उपाध्याय, पंडित मुनीश्वर दत्त—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३३५–३९

औ

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८०–८४

क

काटजू, डा०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प २८४–८७; २८८–९२, २९३, ३२९–३३

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८०, २८३–८४

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३६७–६८

कृपालानी, आचार्य—

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८०

कृष्णास्वामी, डा०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३१२–१४

केशवैयंगार, श्री—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३५०–५१

ग

गिडवानी, श्री—

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव ३३४–३५

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३४४–४७

गुप्त, श्री साधन—

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८१–८२

गैर सरकारी सदस्य (यों) के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

—के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव ३३४–३५

गोपालन, श्री ए० के०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प २९४–३०३

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३३९–४४

च

चटर्जी, श्री एन० सी०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३२७–२९

चौधरी, श्री आर० के०—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३५३–५५

चौधरी, श्री टी० के०—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–७८

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८२

ट

टेकचन्द, श्री—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३२४–२५, ३२६–२७

त

तिमय्या, श्री—

विधि आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ३६८–६९

थ

थामस, श्री ए० एम०—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३१४–१६

द

दातार, श्री—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३५५–६७

देसाई, श्री के० के०—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश २७८–२७९

न

नम्बियार, श्री—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३४७–५०

नरसिंहन, श्री सी० आर०—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३१७–१८

प

प्रतिवेदन—

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें—से सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव—(स्वीकृत) ३३४–३५

प्रस्ताव—

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमति सम्बन्धी—(स्वीकृत) ३३४–३५

ब

बसु, श्री के० के०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प २९३–९४

बैंक पंचाट—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—

—पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–७९

भ

भार्गव, पंडित ठाकुर दास—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प ३६६, ३६७

म

मेहता, श्री अशोक—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३०५–१०

मोरे, श्री एस० एस०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प २९४, ३१८–२२, ३२६

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८०–८१

र

रघुरामैया, श्री—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३०३–०५

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी सकल्प के बारे में २८२–८३

राघवाचारी, श्री—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३२६

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८२, २८३

राचय्या, श्री एन०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प २९३

राव, डा० रामा—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३२२–२४

राष्ट्रपति—

आन्ध्र के बारे में —की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प—

(संशोधित रूप में स्वीकृत) २८०–३३४

ल

लंका सुन्दरम, डा०—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३१०–१२

औचित्य प्रश्न—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प के बारे में २८१

व

विधि आयोग—

—की नियुक्ति के सम्बन्ध में संकल्प ३६८–६९

विधेयक(ों)—

ग़ैर सरकारी सदस्यों के—तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव ३३४–३५

श

शिव, डा० गंगाधर—

आंध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प ३१६–१७

श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर—के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला सरकारी आदेश २७७–७९

स

संकल्प(ों)—

आन्ध्र के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी—(संशोधित रूप में स्वीकृत) २८०–३३४

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा—सम्बन्धी समिति के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव—(स्वीकृत) ३३४–३५

विधि आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में —३६८–६९

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में—(अस्वीकृत) ३३५–६८

सभा का कार्य—

सभा का कार्य २७९–८०

समिति—

ग़ैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी—के चौदहवें प्रतिवेदन से सहमति सम्बन्धी प्रस्ताव ३३४–३५

सरकारी आदेश—

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—

बैंक पंचाट पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूपभेद करने वाला—२७७–७९

सरकारी कर्मचारी (रियों)—

—की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में संकल्प (अस्वीकृत) ३३५–६८

सरकारी सेवा—

सरकारी कर्मचारियों की सेवा को सुरक्षित बनाने के बारे में सकल्प (अस्वीकृत) ३३५–६८